द्वितीय माला, खण्ड २२—अंक ६

२४ नवम्बर, १९५८ (सोमवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(खण्ड २२ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

248 (A) L.S.D.

लोक-सभा
वाद विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २२, १९५८

(१७ नवम्बर से २९ नवम्बर, १९५८)

छठा सत्र, १९५८

(खण्ड २२ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली।

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खंड २२—अंक १ से १०—१७ नवम्बर से २९ नवम्बर, १९५८]

अंक १—सोमवार, १७ नवम्बर, १९५८

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ८, ११ से १३ और १५ से १७	१—२४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९, १०, १४, १८ से २५ और २७ से ३२	२४—३२
अतारांकित प्रश्न सख्या १ से २० और २२ से ३९	३२—४८
श्री सामी वैंकटाचलम् चेट्टी का निधन	४८
स्थगन प्रस्ताव—	
१. पांडेचेरी में स्थिति ; और	४९—५०
२. पाकिस्तान से सम्बन्ध	५०—५३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिया गया निदेश	५७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	५७—५८
गुड़गांव में विमान बल के सिगनल केन्द्र में अग्नि दुर्घटना के बारे म वक्तव्य	५८
समिति के लिये नि चिन	५९
केन्द्रीय नरतत्व विज्ञान सलाहकार बोर्ड	५९
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना	५९
उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) सशोधन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५९—६९
खंड २ से १० और १	६९—७८
पारित करने का प्रस्ताव	७८
चाय (सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	७८—८९
कार्य मंत्रणा समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन	८९
दैनिक संक्षेपिका	९०—९८

पृष्ठ

अंक २—मंगलवार, १८ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३३, ३४, ३५, ३७ से ४४ . ९९—१२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६, ४५ से ६२ . १२१—२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ४० से ९२ १२८—५२

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५२–५३

प्राक्कलन समिति—

उन्तीसवां प्रतिवेदन . . १५३

तारांकित प्रश्न संख्या १३६० के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि १५३

कार्य मंत्रणा समिति—

इकत्तीसवां प्रतिवेदन . १५३

चाय (सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक—

विचार करने के लिये प्रस्ताव १५४—५६

खंड २, ३ और १ १५७–५८

पारित करने का प्रस्ताव . . . १५८

संघलोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों में रूपभेद सम्बन्धी प्रस्ताव १५८—७७

एक सदस्य को सजा . . : १७७

रेलवे यात्रा में जीवन की असुरक्षा के संबंध में चर्चा १७८—९३

दैनिक संक्षेपिका . . १९४—९८

अंक ३—बुधवार, १९ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३ से ७६ . १९९—२२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७ से १०० . . . . २२१—३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३ से १४५ और १४७ से १५८ . . २३२—५९

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २५९—६१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति उनतीसवां प्रतिवेदन २६१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

वित्त मंत्रालय से फाइलों का गायब हो जाना २६१–६२

आसाम तेल शोधन कारखाने के लिये भारत-रूमानियां करार के बारे में वक्तव्य २६२—६५

आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक—

पुरस्थापित . . २६५

विष (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . २६५—२६८

खंड २ से ४ और १ . . . . २६८—७०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २७०

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . . २७०—८४

गंगा बांध परियोजना के बारे में प्रस्ताव . . . २८५—९८

दैनिक संक्षेपिका . . २९९—३०५

अंक ४—बृहस्पतिवार, २० नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१, १०२, १०४, १०५, १०७, १०९ से ११५ और ११७ से १२१ . . . . ३०७—३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०३, १०६, १०८, ११६ और १२२ से १२९ . ३३१—३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १५९ से १८२, १८४, १८६ से २०२ और २०४ से २१० . . . ३३७—६०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ३६०—६३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पाकिस्तान की घटनायें . . . . ३६३—६५

सभा का कार्य ३६६

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . . ३६६—८४

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बन्द किये जाने के बारे में चर्चा . . ३८४—४११

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४१२—१७

पृष्ठ

अंक ५—शुक्रवार, २१ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३० से १४१ ४१९—४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४२ से १६५ . . ४४२—५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २११ से २८१ . . ४५१—८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ४८१—८२

प्राक्कलन समिति—

तीसवां प्रतिवेदन . . ४८२

सभा का कार्य ४८३

जानकारी का प्रश्न . . ४८३—८४

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति . . ४८४

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . ४८५—९३

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार का प्रस्ताव . ४९३—५०१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

उनतीसवां प्रतिवेदन . . ५०१

बेरोजगारी की समस्या की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . ५०१—२४

सैनिक व्यय के ढांचे की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प ५२४

दैनिक संक्षेपिका ५२४—३०

अंक ६—सोमवार, २४ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६ से १७९ ५३१—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ ५५४—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८० से २०७ और २१० से २१२ ५५६—७०

अतारांकित प्रश्न संख्या २८२ से ३७७ ५७०—६०८

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ६०८—१०

प्राक्कलन समिति—

इकतीसवां प्रतिवेदन . . . ६१०

१९५५–५६ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) ६१०

१९५६–५७ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेलवे) . . ६१०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ब्रिटिश तेल वाहक जहाज स्टैनवाक जापान में विस्फोट . ६१०—१२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, वापस लिया गया . ६१२

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक पुर-स्थापित ६१३

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण अध्यादेश संबंधी विवरण . . ६१३

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव . ६१३—३६

सभा का कार्य ६३६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ६३७—४४

अंक ७—मंगलवार, २५ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१३ से २२०, २२२, २२६, २२७ और २२९ . ६४५—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२१, २२३ से २२५, २२८ और २३० से २६० . ६६९—८४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७८ से ४४१ . . . . ६८४—७०९

स्थगन प्रस्ताव—

रात की गाड़ी में हत्या ७०९–१०

सभा पटल पर रखे गये पत्र ७१०–११

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

तीसवां प्रतिवेदन ७११

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

लंका में भारतीय उद्भव के राज्यहीन व्यक्ति . . ७११—१३

पृष्ठ

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ७१३—२२

हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड के बारे में चर्चा . ७२२—३७

दैनिक संक्षेपिका ७३८—४३

अंक ८—गुरुवार, २७ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६१, २६३, २६५ से २७८ . . ७४५—६८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . ७६८—७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६२, २६४, २७९ से २९० . . ७७०—७५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४२ से ४७९ . . . ७७५—९०

स्थगन प्रस्ताव—

रात की गाड़ी में हत्या . . . . ७९०—९२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ७९२—९३

राज्य सभा से सन्देश ७९३

सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—

दसवां प्रतिवेदन . . ७९३

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . ७९३

(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य-सभा-पटल पर रखा गया . ७९३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम . . . ७९३—९४

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक— . . ७९४

पुरस्थापित

विशेषाधिकार प्रस्ताव —

केरल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य . . . ७९५—८१४

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ८१५—२७

दैनिक संक्षेपिका . . ८२८—३२

अंक ९—शुक्रवार, २८ नवम्बर, १९५८	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २९१ से ३०१.	८३३—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३०२ से ३२७ . . .	८५४—६४
अतारांकित प्रश्न संख्या ४८० से ५२९, ५३१ और ५३२	८६४—८४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	८८५
अनुपस्थिति की अनुमति . . .	८८५
एक प्रश्न के उत्तर की कथित अशुद्धता का उल्लेख .	८८६—८७
जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में प्रस्ताव	८८७—९९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति—	
तीसवां प्रतिवेदन	८९९
विधेयक :	
पुरस्थापित : . . .	९००—०३
(१) श्री नलदुर्गकर का व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १०० का संशोधन)	९००
(२) श्री वाडीवा का हिन्दू दत्तकग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक (धारा १८ का संशोधन)	९००
(३) श्री अ० मु० तारिक का दूकानदार (मूल्यों की पर्चियां लगाना) विधेयक	९००
(४) श्री राम कृष्ण का कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा ४५ और ४७ का संशोधन तथा नई धारा ४७क, ४७ख और ४७ग का रखा जाना)	९०१
(५) श्री राम कृष्ण का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ३०, ७८, ८५ आदि का संशोधन)	९०१
(६) श्री राम कृष्ण का भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन)	९०१
(७) श्री राम कृष्ण का संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन) . . .	९०२
(८) श्री राम कृष्ण का प्रबन्ध परिषद् विधेयक . . .	९०२
(९) श्री राम कृष्ण का समवाय (संशोधन) विधेयक (नई धारा ४३क और २५०क का रखा जाना तथा धारा २२४, २३७ आदि का संशोधन) .	९०२

	पृष्ठ
(१०) श्री महन्ती का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ७ का संशोधन)	९०३
मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक—	
वापस लिया गया . . .	९०३
समवाय (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत हुआ . . .	९०३—२१
सिक्ख गुरुद्वारा विधेयक—	
परिचालित करने का प्रस्ताव	९२१—२२
दैनिक संक्षेपिका	९२३—२८
अंक १०—शनिवार, २९ नवम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२८ से ३३९ . . .	९२९—५२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ .	९५२—५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३४० से ३९१	९५६—८०
अतारांकित प्रश्न संख्या ५३३ से ५४७, ५४९ से ५८१ और ५८३ से ५९४ .	९८०—१००६
लुनेज में तेल के कुएं के स्थान पर आग लगने के बारे में वक्तव्य .	१००६—०७
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१००७—०८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच सीमा समायोजना सम्बंधी समझौते की कार्यान्विति	१००८—१०
सभा का कार्य	१०१०—११
जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में प्रस्ताव . .	१०११—२९
समवाय अधिनियम के कार्य-संचालन तथा प्रशासन सम्बंधी प्रतिवेदन के बारे में चर्चा . .	१०२९—४७
दैनिक संक्षेपिका	१०४८—५४

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
आगड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)
अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)
अचमम्बा, डा० को (विजयवाड़ा)
अचल सिंह, सेठ (आगरा)
अचिंत राम, श्री (पटियाला)
अजित सिंह, श्री (भटिण्डा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)
अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुल रशीद, बख्शी, (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)
अब्दुल सलाम, श्री (त्रिरुचिरापल्ली)
अमजद अली, श्री (धुबरी)
अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम्)
अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तूर)
अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)
अय्यांकण्णु, श्री (नागपट्टिनम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अरुमुगम्, श्री रा० सी० (श्री विल्लीपुत्तुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अरुमुगम्, श्री स० र० (नामक्कल--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)
अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)
आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)
आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरि)

इ

इकबाल, सिंह, सरदार (फीरोजपुर)
इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
इलियास, श्री मोहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री इयानी (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (प्रतापगढ़)
उपाध्याय, श्री शिव दत्त (रीवा)
उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)
कट्टी, श्री द० अ० (चिकोडी)
कनकसबै,, श्री (चिदाम्बरम्)
कमल सिंह, श्री (बक्सर)
कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)
कर्णी सिंहजी, श्री (बीकानेर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)
कामले, डा० देवराव नामदेवराव (नांदेड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)
कार, श्री प्रभात (हुगली)
कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)
कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)
किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
कुन्हन, श्री (पालघाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुमारन, श्री (चिरयिन्कील)
कुम्भार, श्री बनमाली (सम्बलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)
कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)
कृष्ण, श्री मं० रं० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)

क—(क्रमशः)

कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)
कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)
कृष्णस्वामी, डा० (चिंगलपट)
कृष्णैया, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)
केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)
केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)
केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
कोडियान, श्री (क्विलोन--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)
को कोट्टुकप्पल्ली, श्री जार्ज थामस (मवात्तुपुजा)

ख

खां, श्री उस्मान अली (कुरनूल)
खां, श्री शाहनवाज (मेरठ)
खां, श्री सादत्त अली (वारंगल)
खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)
खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)
खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)
खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खेडकर, श्री गोपाल राव (अकोला)
ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)
गणपति, राम, श्री (जौनपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
गांधी, श्री फीरोज (रायबरेली)
गांधी, श्री मानिकलाल मगनलाल (पंच महल)
गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)
गुप्त, श्री छेदा लाल (हरदोई)
गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता–पूर्व)
गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)
गोडसोरा, श्री शम्भूचरण (सिंहभूभ--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)
गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)
गोविन्द दास, सेठ (जबलपुर)

ग---(क्रमशः)

गोहेन, श्री चौखामून (नामनिर्देशित---आसाम आदिम जाति क्षेत्र)
गोहोकर, डा० देवराव यशवन्तराव (यवतमाल)
गौंडर, श्री षनमुध (तिंडीवनम्)
गौडंर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तूर)
गौंडर, श्री क० पेरियास्वामी (करूर)
गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घारे, श्री अंकुशराव वेंकटराव (जालना)
घोडासार, श्री फतहसिंहजी (कैरा)
घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री विमल कुमार(बैरकपुर)
घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)
घोष, श्री महेन्द्र कुमार (जमशेदपुर)
घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)
घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)
चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)
चन्दा, श्री अनिल कु० (वीरभूम)
चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)
चंद्रामणि कालो, श्री (सुन्दरगढ़---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
चावन, श्री दा० रा० (कराड़)
चांडक, श्री बी० ल० (छिन्दवाड़ा)
चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)
चुनोलाल, श्री (अम्बाला--रक्षित---अनुसूचित जातियां)
चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)
चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदिव कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री सु० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम--रक्षित---अनुसूचित जातियां)
जयपाल सिंह, श्री (रांची-पश्चिम---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातिया)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)
जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)
जीनचन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)
जेधे, श्री केशवराव मारुतिराव (बारामती)

ज—(क्रमशः)

जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)
जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)
जोगेन्द्र सिंह, सरदार (बहराइच)
जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)
जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)
ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)
झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुरसिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर-मध्य)
डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
डिन्डोड, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)
तारिक, श्री अली मुहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (केसरिया)
तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़—खंडवा)
तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)
तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)
तुलाराम, श्री (इटावा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)
त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)
त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (उन्नाव)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम्)

द

दलजीत सिंह,, श्री (कांगड़ा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)
दामानी, श्री सू० र० (जालोर)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दास, डा० मन मोहन (आसनसोल---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दासगुप्त, श्री विभूति भूषण (पुरुलिया)
दासप्पा, श्री (बंगलौर)
दिगे, श्री शंकरराव खांडेराव (कोल्हापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दिनेश सिंह, श्री (बांदा)
दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)
दुबलिश, श्री विष्णु शरण (सरधना)
देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)
देव, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)
देव, श्री प्रताप केशरी (कालाहांडी)
देव, श्री प्र० गं० (अंगुल)
देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)
देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)
दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)
द्रोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)
धर्मलिंगम, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्प, श्री (नीलगिरि)
नथवानी, श्री नरेन्द्र भाई (सोरठ)
नंदा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)
नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरि)

न—(क्रमशः)

नलदुर्गकर, श्री वैंकटराव श्रीनिवासराव (उस्मानाबाद)
नल्लाकोया, श्री कोयिलाट (नामनिर्देशित—लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप)
नाथ पाई, श्री (राजापुर)
नादर, श्री थानुलिंगम (नागरकोईल)
नायक, श्री मोहन (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नायडू, श्री गोविन्दराजुलू (तिरुवल्लूर)
नायडू, श्री मुतुकुमारसामी (कडलूर)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नायर, श्री कुट्टिकृष्णन्, (कोजीकोड)
नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)
नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन् (तिरुवल्ला)
नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नारायणस्वामी, श्री (पेरियाकुलम्)
नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)
नेगी, श्री नेकराम (महासू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़-दक्षिण)
नेहरू, श्री जवाहर लाल (फूलपुर)
नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटनायक, श्री उमाचरण (गंजम)
पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
पटेल, श्री पुरुषोत्तमदास र० (मेहसाना)
पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)
पटेल, सुश्री मणिबेन वल्लभभाई (आनन्द)
पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम)
पद्मदेव, श्री (चम्बा)
पन्नालाल, श्री (फैजाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
परागीलाल, श्री सीतापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परूलकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)
पलनियाण्डी, श्री (पेरम्बलूर)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)
पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)
पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)
पांडे, श्री सरजू (रसरा)

प---(क्रमशः)

पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)
पाटिल, श्री नाना (सतारा)
पाटिल, श्री बालासाहेब (मिराज)
पाटिल, श्री र० ढ़ो० (भीर)
पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर-दक्षिण)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)
पादलू, श्री कनकपति वीरन्ना (गोलुगोंडा---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास-उत्तर)
पिल्ले, श्री पे० ति० थानू (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री (अम्बल पुजा)
पेकर साहेब, श्री (मंजेरी)
प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बदन सिंह, चौ० (बिसौली)
बनर्जी, डा० रामगोति (बांकुरा)
बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)
बनर्जी, श्री प्रमथनाथ (कण्टाई)
बनर्जी, श्री स० म० (कानपुर)
बरुआ, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (शिवसागर)
बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)
बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बलदेव सिंह, सरदार (होशियारपुर)
बसुमतारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बांगशी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडीगल---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बाल्मीकी, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)
बिदारी, श्री रामप्पा, बालप्पा (बीजापुर-दक्षिण)
बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोड़ा)

ब--(क्रमशः)

बीरबल सिंह, श्री (जौनपुर)
बैंक, श्री इगनेस (लोहरदगा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
बैरो, श्री (नामनिर्देशित--आंग्ल-भारतीय)
बोस, श्री प्रभात चन्द्र (धनबाद)
ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)
'ब्रजेश' पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)
ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)
भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)
भगवती, श्री बि० (दरांग)
भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवनजी (अकोला--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
भट्टाचार्य, श्री चपल कांत (पश्चिम दीनाजपुर)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खानदेश)
भार्गव, पंडित ठाकुर दास (हिसार)
भार्गव, पंडित मुकट बिहारी लाल (अजमेर)
भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)
मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मणियंगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टम्)
मतीन, काजी (गिरिडीह)
मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
मनायन, श्री (दार्जिलिंग)
मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)
मल्होत्रा, श्री ठाकुर दास (जम्मू तथा काश्मीर)
मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)
मसानी, श्री मी० रु० (रांची-पूर्व)
मसुरिया दीन, श्री (फूलपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)

म—(क्रमशः)

महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)
महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)
माईति, श्री नि० वि० (वाटल)
माझी, श्री राम चन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
माथुर, श्री मथुरा दास (नागौर)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)
माने, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, पंडित गोविन्द (सुल्तानपुर)
मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री केशव देव (बस्ती)
मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराहो—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री भगवान दीन (केसरगंज)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगू सराय)
मिश्र, श्री रबुबर दयाल (बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)
मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)
मिश्र, श्री विभूति (बगहा)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—मध्य)
मुत्तकृष्णन्, श्री मु० (बेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)
मुरुमू, श्री पाइका (राजमहल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनू)
मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, शेख (जम्म तथा काश्मीर)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० स० (काकिनादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)
मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)
मेनन, श्री वें० कृ० कृष्ण (बम्बई नगर–उत्तर)
मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकन्दपुरम्)
मेलकोटे, डा० (रायचूर)
मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)
मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मेहदी, श्री सै० अहमद (रामपुर)

म—(क्रमशः)

मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दूलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)

र

रंगा, श्री (तेनालि)
रंगाराव, श्री (करीम नगर)
रघुनाथ सिंहजी, श्री (बाड़मेर)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुबीर सहाय, श्री (बदायूं)
रघुरामैया, श्री कोत्ता (गुण्टूर)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान, श्री मु० हिफजुर (अमरोहा)
राउत, श्री भोला (चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राउत, श्री राजाराम बालकृष्ण (कोलाबा)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजय्या, श्री देवनपल्ली (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)
राजू, श्री विजयराम (विशाखापटनम)
राजेन्द्र सिंह, श्री (छपरा)
राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हजारीबाग)
राधामोहन सिंह, श्री (बलिया)
राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)
राने, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)
राम कृष्ण, श्री (महेन्द्र गढ़)
रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)
रामगरीब, श्री (बस्ती—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामधनी दास, श्री (नवादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)
रामम्, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)
राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)
रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)
रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामस्वामी, श्री सें० ें० (सैलम)

र—(क्रमशः)

रामशंकर लाल, श्री (डुमरियागंज)
राम शरण, श्री (मुरादाबाद)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)
राय, श्री खुशवक्त (खेरी)
राय, श्री बीरेन (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम)
राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)
राय, श्री विश्व नाथ (सलेमपुर)
राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)
राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम्)
राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)
राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगौंडा)
राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)
राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री हनुमन्त (मेदक)
रुंगसुंग सुइसा, श्री (बाह्मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)
रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)
रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)
रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)
रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमपेट)

लक्ष्मण सिंह, श्री (नामनिर्देशित—अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)
लच्छीराम, श्री (हमीरपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लाश्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लाहिरी, श्री जितेन्द्रनाथ (श्रीरामपुर)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्पारन)
वर्मा, श्री माणिक्य लाल (उदयपुर)
वर्मा श्री राम सिंह भाई (निमाड़)

व –(क्रमशः)

वर्मा, श्री राम जी (देवरिया)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)
वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वारियर, श्री कृ० की० (त्रिचूर)
वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (मंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
विजय राजे, कुंवररानी (छतरा)
विल्सन, श्री जान न० (मिर्जापुर)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वीरेन्द्र सिंह जी, श्री (रायपुर)
वेद कुमारी, कुमारी मोत्ते (एलुरु)
वेंकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकान्ति (अडोनी)
वेरावन, श्री अ० (तंजोर)
वोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)
व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)
व्यास, श्री राधे लाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शंकरपांडियन, श्री (टंकासी)
शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरदासपुर)
शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)
शर्मा, श्री हरिश चन्द्र (जयपुर)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)
शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)
शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)
शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)
शाह, श्रीमती जयाबेन वजुभाई (गिरनार)
शव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शवनजप्पा, श्री (मंडया)
शवराज, श्री (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलौदा बाजार)
शोभा राम, श्री (अलवर)
श्री नारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

संगण्णा, श्री तो० (कोरापट––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
संबंदम्, श्री (नागपट्टिनम)
सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (महाराजगंज)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्य नारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम्––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)
सम्पत्, श्री (नामक्कल)
सरदार, श्री भोली (सहरसा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)
सहगल, सरदार अमर सिंह (जंजगीर)
सहोदरा बाई, श्रीमती (सागर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
साधूराम, श्री (जालन्धर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)
सामन्तसिंहार, डा० न० च० (भुवनेश्वर)
सालंके, श्री बाला साहेब (खेड़)
साहु, श्री भागवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सिंह, श्री क० ना० (शहडोल––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
सिंह, श्री चन्डिकेश्वर शरण (सरगूजा)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)
सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)
सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर)
सिंह, श्री त्रि० ना० (चन्दौली)
सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज)
सिंह, श्री लैसराम अचौ (आन्तरिक मनीपुर)
सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद––बिहार)
सिंह, श्री हर प्रसाद (गाजीपुर)
सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)
सिदय्या, श्री (मैसूर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)
सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)
सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)
सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)
सुगन्धि, श्री सु० मु० (बीजापुर––उत्तर)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सुब्बारायन्, डा० (तिरुचेंगोड)
सुब्राह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

स---(क्रमशः)

सुमत प्रसाद, श्री (मुज्जफरनगर)
सुल्तान, श्रीमती मैमना (भोपाल)
सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)
सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)
सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता---उत्तर-पश्चिम)
सेन, श्री फनी गोपाल (पूर्निया)
सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
सैयद महमूद, डा० (गोपालगंज)
सोनावाने, श्री तयप्पा (शोलापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
सोनुले, श्री हरिहरराव (नांदेड़)
सोमानी, श्री ग० ध० (दौसा)
सोरेन, श्री देवी (दुमका---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
स्वर्ण सिंह, सरदार (जालंधर)
स्वामी, श्री (चांदा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
हजारनवीस, श्री रा० मा० (भंडारा)
हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)
हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)
हाल्दर, श्री कन्सारी (डायमण्ड हार्बर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
हिनिटा, श्री हूवर (स्वायत्त जिले---रक्षित---अनसूचित आदिम जातियां)
हुक्म सिंह, सरदार (भटिण्डा)
हेडा, श्री ह० चं० (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री मोहम्मद इमाम
श्री वे० रा० पट्टाभिरामन
श्री जयपाल सिंह

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री शिवराम रंगो राने
श्री श्रीनारायण दास
श्री ब० स० मूर्ति
श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री रघुबीर सहाय
श्री त० ब० विट्ठलराव
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी
श्री सुरेन्द्र महन्ती
श्री जयपाल सिंह
श्री विजयराम राजू

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
श्री सत्य नारायण सिंह

विशेषाधिकार समिति—(क्रमशः)

श्री अशोक कुमार सेन
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय
डा० सुब्बारायन
श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल
श्रीमती जयाबेन बजूभाई शाह
श्री ना० वाडीवा
श्री सारंगधर सिन्हा
श्री शिवराम रंगो राने
श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी
श्री इन्दुलाल कन्हैया लाल याज्ञिक
श्री विमल कुमार घोष
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री हूवर हिनिटा

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**
श्रीमती शकुन्तला देवी
श्री व० ना० स्वामी
श्री अय्याकण्णु
श्री राम कृष्ण
श्री अमल कृष्ण दास
श्री सूरती किस्तैया
श्री रूंग सुंग सुइसा
श्री बी० ल० चांडक
श्री क० र० आचार
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही
श्री करसनदास परमार
श्री यादव नारायण जाधव
श्री हरिश्चन्द्र शर्मा
श्री इगनेस बैक

प्राक्कलन समिति

श्री ब० गो० मेहता—**सभापति**
श्री श्रीपाद अमृत डांगे
सरदार जोगेन्द्रसिंह
डा० सुशीला नायर
श्री राधा चरण शर्मा
चौधरी रणवीर सिंह
श्री गोपालराव खेडकर

प्राक्कलन समिति—(क्रमशः)

श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री तिरुमल राव
श्री विश्वनाथ रेड्डी
श्री रामनाथन् चेट्टियार
श्री न० रं० घोष
पंडित गोविंद मालवीय
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री मथुरा दास माथुर
श्री डोडा तिमैया
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री र० के० खाडिलकर
श्री भा० कृ० गायकवाड़
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री रोहन लाल चतुर्वेदी
श्रीमती मफीदा अहमद
काजी मतनि
श्री नरेन्द्रभाई नथवानी
श्री राजेश्वर पटेल
श्री विजयराम राजू
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री शंकर पांडियन
श्री झूलन सिंह
श्री रामजी वर्मा

आश्वासनों सम्बन्धी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**
श्री अनिरुद्ध सिंह
श्री मल चन्द दुबे
श्री भक्त दर्शन
श्री चि० र० बासप्पा
श्री सुब्बया अम्बलम्
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री नवल प्रभाकर
श्री जसवंत राज मेहता
श्री मोती लाल मालवीय
श्री कमल सिंह
श्री अटल बिहारी बाजपेयी
श्री रामजी वर्मा
श्री र० के० खाडिलकर
श्री वासुदेवन नायर

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**
पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी
श्रीमती उमा नेहरू
पंडित द्वारिका नाथ तिवारी
श्रीमती कृष्णा मेहता
श्री अब्दुल सलाम
श्री जियालाल मंडल
श्री क० गु० वोडयार
श्री नानूभाई निन्छाभाई पटेल
श्री पेन्देकान्ति वेंकटासुब्बैया
श्री प्रताप सिंह दौलता
श्री द० रा० चावन
श्री बै० च० मलिक
श्री रामचन्द्र माझी
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
सरदार अमर सिंह सहगल
श्री नरेन्द्र भाई नथवानी
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री कृष्ण चन्द्र
श्री भूलन सिंह
श्री संबंदम्
श्री स० अ० अगाड़ी
श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया
श्री सुन्दर लाल
श्री ईश्वर अय्यर
श्री बाला साहेब पाटिल
श्री प्रमथ नाथ बनर्जी
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री शम्भूचरण गोडसोरा

लोक-लेखा समिति

लोक-सभा

श्री रंगा—**सभापति**
डा० राम सुभग सिंह
पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी
श्री रामेश्वर साहू
श्री तो० संगण्णा

लोक-लेखा समिति—(क्रमशः)

लोक-सभा—(क्रमशः)

श्री अ० चं० गुह
श्री न० रा० मुनिस्वामी
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्री रघुबर दयाल मिश्र
श्री दासप्पा
श्री अरविन्द घोषाल
श्री प्रभात कार
श्री जयपाल सिंह
श्री शिवराज
श्री खुशवक्त राय

राज्य-सभा

राजकुमारी अमृत कौर
श्री अमोलक चन्द
श्री टी० आर० देवगिरिकर
श्री एस० वेंकटरामन
श्री एम० गोविन्द रेड्डी
श्री रोहित मनुशंकर दवे
श्री एम० बसवपुनैय्या

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
श्री फणि गोपाल सेन
श्री अजित सिंह सरहदी
श्री ठाकुर दास मलहोत्रा
श्री क० स० रामस्वामी
श्री सिंहासन सिंह
श्री जितेन्द्र नाथ लाहिरी
श्री बहादुर सिंह
श्री विश्वनाथ रेड्डी
श्री कन्हैया लाल भेरूलाल मालवीय
श्री अरविन्द घोषाल
श्री मोहम्मद इमाम
डा० कृष्णस्वामी
श्री ब्रजराज सिंह
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**
सरदार हुक्म सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति—(क्रमशः)

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री ब० गो० मेहता
श्री रंगा
श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री मूलचन्द दुबे
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री श्रीपाद अमृत डांगे
आचार्य कृपालानी
श्री इन्दुलाल याज्ञिक
श्री जयपाल सिंह
श्री विजयराम राजू
श्री प्र० के० देव
श्री भा० कृ० गायकवाड़
डा० कृष्णस्वामी
श्री मोहम्मद इमाम
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

आवास समिति

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या—सभापति
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री दिग्विजय नारायण सिंह
श्री राजेश्वर पटेल
श्री मणिकलाल मगनलाल गांधी
श्री मि० सू० मूर्ति
श्रीमती मैमूना सुलतान
श्री कमल कृष्ण दास
श्री बैरो
श्रीमती पार्वती कृष्णन
श्री खुशवक्त राय
श्री भाऊसाहेब रावसाहेब महागांवकर

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारायण सिंह—सभापति
श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री दीवन चन्द शर्मा

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति—(क्रमशः)

लोक-सभा—(क्रमशः)

श्री चपलकान्त भट्टाचार्य
श्री कन्हैयालाल खादीवाला
श्री रघुबर दयाल मिश्र
श्री दुरायस्वामी गौण्डर
श्री नारायण गणेश गोरे
श्रीमती पार्वती कृष्णन्
श्री उ० मयुरमलिंग तेवर

राज्य-सभा

श्रीमती अम्मु स्वामिनाथन्
श्री अमर नाथ अग्रवाल
श्री जसपत राय कपूर
डा० आर० पी० दुबे
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—सभापति
सरदार हुक्म सिंह
श्री सत्य नारायण सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्
श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम
श्री राधे लाल व्यास
श्री तय्यपा हरि सानावने
श्री शिवराम रंगो राने
डा० सुशीला नायर
श्री तंगामणि
श्री पुरुषोत्तम दास पटेल
श्री अमजद अली
श्री मी० रु० मसानी
श्री भाऊराव कृष्णराव गायकवाड़

भारत सरकार

मंत्रि-मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भारसाधक मंत्री---श्री जवाहरलाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री---श्री गोविन्द वल्लभ पन्त

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री---श्री लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मंत्री---श्री जगजीवन राम

वित्त मंत्री---श्री मोरारजी देसाई

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री---श्री गुलजारी लाल नन्दा

परिवहन तथा संचार मंत्री---श्री स० का० पाटिल

विधि मंत्री---श्री अ० कु० सैन

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री---सरदार स्वर्ण सिंह

सिंचाई और विद्युत् मंत्री---हाफिज मुहम्मद इब्राहीम

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री---श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री---श्री अजित प्रसाद जैन

प्रतिरक्षा मंत्री ---श्री व० कृ० कृष्णमेनन

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री ---श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री---डा० बा० वि० केसकर

स्वास्थ्य मंत्री---श्री दी० प० करमरकर

सहकार मंत्री---डा० पंजाबराव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री---श्री केशव देव मालवीय

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री---श्री मेहर चन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री---श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री---श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री---श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री---श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास मंत्री---श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा मंत्री ---डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री---श्री हुमायन कबिर

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री---डा० बे० गोपाल रेड्डी

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री---सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया

श्रम उपमंत्री---श्री आबिद अली

उपमंत्री (क्रमशः)

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री--श्री अनिल कु० चन्दा
कृषि उपमंत्री--श्री मो० वें० कृष्णप्पा
सिंचाई और विद्युत उपमंत्री--श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी
वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री--श्री सतीश चन्द्र
योजना उपमंत्री--श्री श्याम नन्दन मिश्र
वित्त उपमंत्री--श्री ब० रा० भगत
वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री--डा० मनमोहन दास
रेलवे उपमंत्री--श्री शाहनवाज़ खां
रेलवे उपमंत्री--श्री सें० वें० रामस्वामी
वैदेशिक कार्य उपमंत्री--श्रीमती लक्ष्मी मेनन
गृह-कार्य उपमंत्री--श्रीमती वायलेट आल्वा
प्रतिरक्षा उपमंत्री--श्री कोत्ता रघुरामैया
असैनिक उड्डयन उपमंत्री--श्री मुहउद्दीन
खाद्य तथा कृषि उपमंत्री--श्री अ० म० थामस
पुनर्वास उपमंत्री--श्री पू० शे० नास्कर
विधि उपमंत्री--हजारनवीस
वित्त उपमंत्री--श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सभा सचिव

वैदेशिक-कार्यमंत्री के सभा सचिव--श्री सादत अली खां
वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव--श्री जो० ना० हजारिका
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव--श्री जी० राजगोपालन
श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव--श्री ललित नारायण मिश्र
प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव--श्री फतेहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव--श्री आ० चं० जोशी
सामुदायिक विकास मंत्री के सभा सचिव--श्री ब० स० मूर्ति
इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव--श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

लोक-सभा

सोमवार, २४ नवम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आयुद्ध कारखाना

+

†*१६६. श्री वि० च० शुक्ल :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री ३० अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११५१ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये आयुद्ध कारखाने के लिये स्थान का चुनाव करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया): (क) जी हां ।

(ख) भंडारा नामक स्थान चुना गया है। किन्तु विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की कठिनाई के कारण परियोजना मंजूर नहीं की गई है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री वि० च० शुक्ल : क्या इस परियोजना के द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पूरे होने की कोई संभावना है ?

†श्री रघुरामैया : हम तो इसमें प्रगति करने के इच्छुक हैं किन्तु विदेशी मुद्रा की ऐसी कठिनाई उपस्थित हो गई है कि हम प्रस्ताव पर इस दृष्टि से पुनः विचार कर रहे हैं कि क्या कम विदेशी मुद्रा

†मूल अंग्रेजी में

से भी काम हो सकता है। सारी स्थिति की जांच की जा रही है। यह कह सकना कठिन है कि इस पर अन्तिम रूप से निर्णय कब तक हो सकेगा।

†**श्री वि० च० शुक्ल :** इस कारखाने में किस प्रकार का सामान बनाने का विचार था ?

†**श्री रघुरामैया :** यह बताना लोक हित में नहीं होगा कि इस कारखाने में हम कौन-सा सामान बनवाने का विचार करते हैं। यह तो आयुद्ध कारखाना है।

†**श्री वि० च० शुक्ल :** प्रस्तावित वस्तुओं को बनाने के लिये किस प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी ?

†**श्री रघुरामैया :** इस प्रश्न का उत्तर देना भी उतना ही खतरनाक होगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या भारत में जैसे अन्य आयुद्ध कारखाने हैं, यह कारखाना भी उन्हीं की भांति साधारण होगा अथवा अभी तक जैसे कारखाने हैं उनसे किसी प्रकार भिन्न होगा ?

†**श्री रघुरामैया :** कारखाने का उद्देश्य तो ऐसी चीज का निर्माण करना है जिसका निर्माण अभी नहीं हो रहा है।

†**श्री रंगा :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इतनी बड़ी संख्या में आयुद्ध कारखाने काम कर रहे हैं, जितने मजदूर काम में लगाये गये हैं या तो उनके लिये अथवा मशीनों के लिये काम नहीं है, ऐसी दशा में क्या दूसरे आयुद्ध कारखाने का होना आवश्यक है ? अथवा हम यह समझें कि चूंकि माननीय मंत्री ने कहा है कि सम्पूर्ण प्रश्न विचाराधीन है, इसके साथ ही इस पर भी विचार किया जायेगा ?

†**श्री रघुरामैया :** जो चीज हम अब बनाने जा रहे हैं वह ऐसी चीज है जो किसी भी विद्यमान मशीन से मौजूदा कारखाने में नहीं बनाई जा सकती।

†**श्री प्र० चं० बोस :** कारखाने की स्थापना की कुल अनुमानित लागत क्या होगी तथा उसमें कितनी विदेशी पूंजी अन्तर्निहित होगी ?

†**श्री रघुरामैया :** अभी मामले की जांच हो रही है और चूंकि हम किसी अन्तिम निर्णय तक नहीं पहुंच सके हैं। अतः कोई आंकड़े अभी नहीं बताये जा सकते।

†**श्री गोरे :** क्या यह सच है कि इस कारखाने के निर्माण में इतना अधिक विलम्ब हो जाने से ही हमें इस मौजूदा कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा, और यदि हां, तो इसमें शीघ्रता करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**श्री रघुरामैया :** मैं नहीं समझता कि मेरे माननीय मित्र को यह पता है कि हम इस कारखाने में क्या बनाने का विचार करते हैं। प्रश्न से ऐसा आभास होता है कि उन्हें इस के बारे में कुछ पता है।

†**श्री गोरे :** इसे बताना लोक हित में नहीं है।

†**श्री तंगामणि :** क्या सरकार असैनिक इस्तेमाल की चीजें जैसे ट्रैक्टर, जीपें तथा मोटर का अन्य सामान बनाने के प्रश्न पर भी विचार करेगी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह कार्यवाही करने के लिये सुझाव है।

---

†मूल अंग्रेजी में

लाल किला, दिल्ली

†*१६७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ और १९५८ में अब तक दिल्ली के लाल किले के जीर्णोद्धार के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ; और

(ख) उसके क्या परिणाम निकले ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) और (ख). इस स्मारक की दशा अच्छी है और आवश्यकता पड़ने पर उसकी वार्षिक और विशेष मरम्मत की जाती है। विभिन्न स्थानों पर मरम्मत करने और दराड़ें भरने के अलावा पिछले तीन वर्षों में जो अन्य महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं उनमें दीवाने खास और रंगमहल की टूटी छत पर मसाला और कंकरीट आदि लगाना, रंग महल के फर्श के लाल रंग के पत्थरों को बदलना तथा मुमताज महल के टूटे हुये छज्जे की मरम्मत और उसे फिर से लगवाना है। आवश्यक रंगाई-पुताई भी की गई है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न महत्वपूर्ण इमारतों की और अधिक मजबूती हो गई है तथा देखने में साफ-सुथरी लगने लगी है।

†**श्री दी० चं० शर्मा:** क्या यह सच नहीं कि लाल किले के पीछे वाला हिस्सा---जामा मस्जिद के सामने वाला नहीं—गिरने वाला लग रहा है, और यदि ऐसा है, तो उसे रोकने के लिये क्या उपाय किया जा रहा है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैं बता चुका हूं कि वार्षिक तथा विशेष मरम्मत आवश्यकता पड़ने पर होती रहती है। किन्तु क्या माननीय सदस्य किले के उस भाग का उल्लेख कर रहे हैं जो रक्षित भाग है अथवा उसके अलावा हिस्से की बात कर रहे हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मैं लाल किले के रक्षित क्षेत्र का उल्लेख कर रहा हूं। लाल किले का सामने का हिस्सा बड़ा शानदार दीखता है। क्या पिछला हिस्सा भी उतना ही शानदार दीखेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** जी हां, वह भी वैसा ही दीखेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इस किले को अच्छी दशा में बनाये रखने के लिये प्रतिवर्ष इस पर कितना व्यय होता है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह प्रतिवर्ष जितनी मरम्मत की आवश्यकता होती है उस पर निर्भर करता है। किन्तु माननीय सदस्य चाहते हैं इसलिये म पिछले तीन वर्षों के आंकड़े दे देता हूं :—

	रुपये
१९५५–५६	११,५७८
१९५६-५७	२८,२६०
१९५७–५८	१४,९००

†मूल अंग्रेजी में

परीक्षा पद्धति

+

†*१६८. **श्री राम कृष्ण :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बहादुर सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दामानी :

क्या **शिक्षा** मंत्री १३ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर भी मौजदा परीक्षा पद्धति की जांच, पड़ताल के बारे में कहां तक प्रगति की गई है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप परीक्षा पद्धति में सुधार करने के लिये कोई क्रमबद्ध कार्य-क्रम तैयार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७३]**

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उठता नहीं होता ।

†**श्री राम कृष्ण** : विवरण से ज्ञात हुआ है कि सम्मेलन की सिफारिशें आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकारों को भेज दी गई थीं । क्या किसी राज्य ने इस निर्णय को लागू किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: जी हां, कुछ राज्य परीक्षाओं के पुनर्गठन के लिये कार्यवाही कर रहे हैं । किन्तु यदि माननीय सदस्य प्रत्येक राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं, तो उसके लिये उन्हें मुझे अलग पूर्वसूचना देनी होगी ।

†**श्री राम कृष्ण** : इस प्रयोजन के लिये नियुक्त की गई समिति में कौन-कौन से लोग हैं तथा समिति किस प्रकार का काम कर रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य किस समिति का निदेश कर रहे हैं ?

†**श्री राम कृष्ण** : विवरण में दिया गया है :

> "आयोग ने इस समस्या का अध्ययन करने के लिये अपने पदाधिकारियों को विदेश भेजा है और एक समिति की स्थापना की है जो भारतीय विश्वविद्यालयों में परीक्षा पद्धति के प्रश्न के बारे में सुधार करने की जांच करेगी ।"

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति के बारे में है । प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बहादुर सिंह** : विवरण से ज्ञात हुआ है कि आयोग इस समस्या का अध्ययन करने के लिये अपने पदाधिकारियों को विदेश भेजा है। ये लोग किन-किन देशों को भेजे गये हैं तथा कितने अधिकारी भेजे गये हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : देशों के नाम विवरण में दिये गये हैं।

†**श्री तंगामणि** : विवरण में देशों के नाम नहीं हैं।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : आयोग के पदाधिकारियों ने जापान, अमरीका तथा अन्य देशों का दौरा किया है। इस समय मेरे पास अन्य देशों के बारे में जानकारी नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : विवरण से पता लगा है कि १९५५ में सरकार ने विश्वविद्यालयों से निवेदन किया था कि वे अन्तिम परीक्षाओं पर बोझ कम करके सारे पाठ्यक्रम में कार्य का वितरण कर दिया करें। सरकार की इस प्रार्थना को किस विद्यालय ने स्वीकार किया है और यदि किसी विश्वविद्यालय ने अभी तक नहीं किया है तो क्या उसने इस सुझाव को कार्यान्वित न किये जाने के कोई कारण बताये हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से हाल ही में यह विशेष सिफारिश की गई है और वास्तव में इसके कार्यान्वित होने में अभी कुछ समय लगेगा। परीक्षा के पुनर्गठन का प्रश्न एक जटिल प्रश्न है और बहुत से प्रारम्भिक कार्य परीक्षा के पुनर्गठन से पहले किये जाने हैं जैसे वस्तुगत जांच का तैयार करना तथा कुछ अन्य आवश्यक उपाय। यह काम धीरे-धीरे होगा। प्रारम्भिक कार्य किया जा रहा है और मुझे आशा है कि कुछ समय पश्चात् विश्वविद्यालय परीक्षाओं का पुनर्गठन कर लेंगे।

†**श्री तंगामणि** : माननीय मंत्री ने कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने पदाधिकारियों को जापान, अमरीका तथा अन्य देशों को भेजा है। क्या इन पदाधिकारियों ने अपना दौरा पूरा कर लिया है और क्या उन्होंने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: मेरे पास यह जानकारी नहीं है। यह जानकारी मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त करूंगा और यदि वह चाहेंगे तो उन्हें बता दूंगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : माध्यमिक स्कूल के स्तर पर अथवा विश्वविद्यालय के स्तर पर इन जांच-पड़तालों का परिणाम कब दिखाई देगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : शिक्षा संबंधी ऐसे सुधारों में समय-सीमा निर्धारित कर सकना बड़ा कठिन है। यह सतत पुनर्निमाण की क्रिया है और मैं नहीं जानता कि किसी भी प्रक्रम पर हम यह कह सकेंगे कि अब अन्तिम अवस्था आ गई है।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : हाल ही में दक्षिणी और उत्तरी प्रदेश में डा० ब्लूम के निरीक्षण में विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये थे। मध्य भाग इसमें क्यों शामिल नहीं किया गया था और क्या निकट भविष्य में उसे शामिल कर लिया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : डा० ब्लूम यहां कुछ ही समय तक रहे थे किन्तु उन्होंने यथासंभव प्रशिक्षण केन्द्र चलाये थे। यदि भविष्य में कोई और केन्द्र चलाया गया तो जो स्थान छूट गये थे वे भी शामिल कर लिये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आचार** : क्या इस मामले में राज्य के मंत्रालयों से परमर्श लिया जाता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी हां, सभी शिक्षा बोर्डों का एक सम्मेलन किया गया था और उस सम्मेलन में कुछ निर्णय किये गये थे ।

द्वितीय देशमुख समिति प्रतिवेदन

+

†*१६९. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री र० चं० माझी :

क्या **शिक्षा** मंत्री २१ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६८३ के उत्तर के **सम्बन्ध में** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय देशमुख समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) कुछ विश्वविद्यालयों ने समिति के समक्ष क्या कठिनाइयां रखी थीं ;

(ग) इन कठिनाइयों को किस प्रकार हल करने का विचार है ; और

(घ) किन-किन विश्वविद्यालयों में तीन वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम पहले ही से आरम्भ हो गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) वर्तमान योजना बनाने से पहले दिल्ली और जाधपुर विश्वविद्यालयों के अलावा जिनमें तीन वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम था, सागर, मद्रास, बड़ौदा, कर्नाटक, केरल, उस्मानिया, विश्वभारती, मैसूर, सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ, नागपुर, आंध्र, अलीगढ़, अन्नामलाई, श्री वेंकटेश्वर, विक्रम, पूना, मराठवाड़ा और राजस्थान विश्वविद्यालयों ने भी तीन वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम जारी कर दिया है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : उन विश्वविद्यालयों में जिन्होंने इस तीन वर्ष वाले कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया है, दो वर्षों का स्नातक पाठ्यक्रम कब तक चलेगा ? क्या इस बारे में सरकार ने कोई समान क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : कुछ विश्वविद्यालयों ने तीन वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम स्वीकार कर लिया है, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं । दो-तीन विश्वविद्यालयों ने इसे स्वीकार नहीं किया है । उदाहरण के लिये बम्बई विश्वविद्यालय ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया है । गोरखपुर और पटना विश्वविद्यालय अभी इस पर विचार कर रहे हैं । अधिकांश विश्वविद्यालयों ने यह योजना स्वीकार कर ली है और मैं आशा करता हूं कि कुछ समय में वे इसे कार्यान्वित कर देंगे ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : इतना अंशदान देने के लिये निधि की कमी के कारण किन विश्वविद्यालयों ने इसे मानने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ?

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : उत्तर प्रदेश, बंगाल और बम्बई ने अपनी कुछ विशेष कठिनाइयां बताई हैं। इस समिति की नियुक्ति उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा इस सिफारिश को लागू करने में सामने आने वाली विशेष कठिनाइयों का पता लगाने के लिये की गई थी। ज्यों ही इन विशेष कठिनाइयों पर विचार हो जायेगा और प्रतिवेदन उपलब्ध होगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस मामले में और आगे कार्यवाही करेगा।

†**श्री सुबोध हंसदा** : तीन-वर्ष का स्नातक कार्यक्रम लागू करने में कितनी राशि-व्यय की गई है तथा केन्द्र और राज्यों में इसका बंटवारा किस प्रकार किया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस योजना को कार्यान्वित करने में होने वाले कुल व्यय का आक्कलन प्रथम देशमुख समिति प्रतिवेदन में दिया गया है। मेरे विचार से यह राशि २५ करोड़ है, समें गलती होने पर शुद्धि की जा सकती है। जहां तक बंटवारे का प्रश्न है, मेरे विचार से आधा-आधा है।

†**श्री र० चं० माझी** : क्या राज्यों के शिक्षा मंत्री इस प्रस्ताव पर सहमत हो गये हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : तीन वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम की योजना पर विभिन्न निकायों द्वारा चर्चा की जा चुकी है जिसमें शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन एवं केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड भी शामिल हैं जिनमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि थे। इस पाठ्यक्रम को लागू करने के लिये सर्वसम्मति दी गई थी।

†**श्री चं० द० पांडे** : क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि तीन वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम को कार्यान्वित करने में वास्तविक कठिनाई प्रवेश परीक्षा के लिये समान व्यवस्था नहीं है। देश के कुछ भागों में इन्टरमीडियेट कक्षाओं वाली संस्थायें हैं। यदि उन क्षेत्रों में तीन वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम लाया जाता है तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने में लोगों को ५ वर्ष लगेंगे, जबकि कुछ क्षेत्रों में छात्रों को चार ही वर्ष लगेंगे। अतः वास्तविक कठिनाई यह है कि वे किस क्रम पर प्रवेश के लिये उपयुक्त समझे जाने चाहियें।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस मामले में दो-तीन राज्यों की कुछ विशेष कठिनाइयां हैं। योजना आयोग की शिक्षा तालिका ने माननीय सदस्य द्वारा बताई गई विशेष समस्या का पता लगाने के लिये द्वितीय देशमुख समिति की नियुक्ति की है। यह समिति उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और बम्बई की विशेष कठिनाइयों की जांच कर रही है।

†**श्री पाणिग्रही** : जिन विश्वविद्यालयों ने इस योजना को सिद्धांत रूप में मान लिया है, क्या उन्होंने सरकार को यह बता दिया है कि किस वर्ष से वे तीन वर्ष का पाठ्यक्रम आरम्भ करने जा रहे हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : कुछ विश्वविद्यालयों ने पहले ही इसे कार्यान्वित कर दिया है। कुछ थोड़े समय में आरम्भ कर देंगे।

†**श्री तंगामणि** : कुछ विश्वविद्यालय जैसे मद्रास ने इस योजना को लागू कर दिया है। मद्रास विश्वविद्यालय का इस योजना को चलाते हुये तीसरा वर्ष है। यह पाठ्यक्रम कैसा काम कर रहा है, इस बारे में मद्रास जैसे विश्वविद्यालय से क्या कोई सूचना मिली है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य एक विश्वविद्यालय विशेष के बारे में पूछ रहे हैं। मैं अलग पूर्व सूचना चाहूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश चन्द्र माथुर :** क्या माननीय मंत्री को माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय की शिक्षा के बीच समायोजन न होने से उत्पन्न कठिनाइयों का पता है ? यदि ऐसा है, तो समायोजन रखने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दोनों ही इन समस्याओं से भलीभांति परिचित हैं और उनके मार्ग में जो कठिनाइयां आती हैं उन्हें दूर करने के लिये वे प्रयत्नशील हैं ।

दृश्य-श्रव्य शिक्षा के लिये राष्ट्रीय संस्था

+

†*१७०. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दृश्य श्रव्य शिक्षा के लिये एक राष्ट्रीय संस्था स्थापित करने की योजना पर अन्तिम निर्णय किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या संस्था के लिये आवश्यक कर्मचारी देने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७४]**

†**श्री सुबोध हंसदा :** विवरण से पता चलता है कि तीन दृश्य श्रव्य विशेषज्ञ जनवरी में आने वाले हैं । ये विशेषज्ञ कितने समय तक संस्था में काम करेंगे और क्या उन्हें कुछ राशि का भुगतान किया जायेगा, यदि हां, तो कितनी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** विशेषज्ञों के ठहरने के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है । मैं आशा करता हूं कि वे दो-तीन वर्ष यहां ठहरेंगे ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** संस्था के लिये जिन उपकरणों की आवश्यकता होगी क्या वे सरकार को प्रविधिक सहायता मिशन से प्राप्त हो गये हैं ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** कुछ सामान आ गया है और कुछ समय के बाद और आ जायेगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** विवरण से पता लगता है कि तीन अमरीकी विशेषज्ञ आयेंगे । क्या ये वही व्यक्ति हैं जिनकी सिफारिश प्रविधिक सहायता मिशन द्वारा की गई थी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी हां, सारा कार्यक्रम प्रविधिक सहायता मिशन द्वारा चलाया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी :** देश के अत्यधिक दूर स्थित भागों में स्थित फार्म और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को शिक्षा से लाभ उठाने के बारे में क्या सरकार ने एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना करने की संभावना की जांच की है जो रेडियो के द्वारा शिक्षा दे सके ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । किन्तु मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि दृश्य-श्रव्य संस्था में जो काम किया जायेगा वह फार्म और कारखानों तथा उन लोगों के लिये अधिक लाभदायक होगा जिनको साहित्य का अध्ययन करने का अवसर कभी कभी मिलता है ।

†**श्री तंगामणि :** क्या यह राष्ट्रीय संस्था जनवरी, १९५९ से काम करने लगेगी जैसा कि बताया गया है अथवा इसमें कुछ विलम्ब लगेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी नहीं, इसे यथाशीघ्र आरम्भ करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच है कि प्रविधिक सहायता मिशन को उपकरणों की जो सूची प्रस्तुत की गई है उसमें फिल्में भी शामिल की गई हैं और क्या वे आ गई हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जैसा कि मैं कह चुका हूं कुछ सामान पहले ही आ गया है किन्तु मेरे पास उसका विस्तृत ब्योरा नहीं है ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या सरकार ने कुल लागत का अनुमान लगाया है जो इस संस्था के लिये आवश्यक होगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** द्वितीय मूल पंचवर्षीय योजना में पहले ७५ लाख रुपये का उपबन्ध था किन्तु अब घटाकर २५ लाख रुपये कर दिया गया है ।

†**श्री त्यागी :** इस दृश्य-श्रव्य शिक्षा का विस्तृत ब्योरा क्या है ? क्या यह द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रचार मात्र है अथवा इसमें ये चीजें भी शामिल हैं जिनके द्वारा सामान्य शिक्षा दी जायेगी अथवा इसमें शिक्षा संबंधी बातें भी होंगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** माननीय सदस्य को विदित है कि बच्चों को शिक्षा देने में दृश्य-श्रव्य उपकरणों का बड़ा महत्व है । इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य ऐसे आवश्यक कर्मचारी तथा सामग्री तैयार करना होगा जिसकी आवश्यकता विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को पड़ती है ।

शैक्षणिक अनुदानें

†***१७१. श्री संगण्णा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् राज्य सरकारों की शैक्षणिक अनुदानों में कमी कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कमी कहां तक की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). जी हां। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन राज्यों के शैक्षणिक विकास कार्यक्रमों के लिये मूल रूप से निर्धारित २१२ करोड़ रुपये की राशि घटा कर २०७ करोड़ रुपये कर दी गई है।

†**श्री संगण्णा** : क्या आवंटन राशि में कटौती करने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अन्य शिक्षा संस्थाओं से परामर्श लिया गया था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सभी निकायों से नियमित रूप से परामर्श होता रहता है। किन्तु चूंकि योजना में उपबन्धित राशि में कटौती करनी थी, जिसका प्रभाव शिक्षा संबंधी योजना पर भी पड़ा।

†**श्री संगण्णा** : देश के शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों में विभिन्न राज्यों का क्या अंशदान रहता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मेरे पास राज्यों की विस्तृत योजनाएं नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह योजना में ही देख लें।

†**श्री दासप्पा** : क्या प्राइमरी शिक्षा के अनुदान में भी कटौती की गई है क्योंकि प्रथम योजना के मुकाबले द्वितीय योजना में इसके लिये बहुत कम राशि का उपबन्ध किया गया था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक राज्यों की योजनाओं का संबंध है, कुल कमी ५ करोड़ रुपये की गई है अर्थात् २१२ करोड़ रुपये में से २०७ करोड़ रुपये कर दी गई है। इससे विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह ठीक बता सकना अभी संभव नहीं है। इन प्रस्तावों के राज्य सरकारों के पास से प्राप्त होने पर ही इस बारे में मैं जानकारी दे सकूंगा।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति श्री देशमुख के इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उन्होंने अधिकतम निधि निर्धारित करने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की व्यय करने की क्षमता के बारे में वित्त मंत्री को चुनौती दी है ? यदि ऐसा है, तो आवंटन में कमी का कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की व्यय करने की क्षमता के बारे में सरकार का विश्वास न होना है अथवा इसका और कोई कारण है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जितनी लम्बी भूमिका है उससे बड़ा प्रश्न है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं प्रश्न का वास्तविक अभिप्राय नहीं समझ सका फिर भी उत्तर दूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तो फिर उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री महन्ती** : क्या शिक्षा संबंधी अनुदान में कटौती का प्रभाव राज्यों में निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा पर भी पड़ेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जैसा कि मैं पहले ही बता चका हूं, कुछ कमी हुई है किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि इससे माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा आदि पर अलग अलग क्या प्रभाव पड़ेगा यह मैं राज्य सरकारों से विस्तृत ब्योरा मिल जाने के बाद ही बता सकूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय सेवा

+

†*१७२. श्री हरिश चन्द्र माथुर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री राम कृष्ण :
श्री हेम राज :
श्री सूपकार :
श्री विभूति मिश्र :
श्री बोडयार :
श्री वाजपेयी :
श्री आचार :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब तक छात्र एक वर्ष तक राष्ट्रीय सेवा नहीं करेंगे तब तक विश्वविद्यालय उन्हें डिग्री नहीं देंगे ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मोटी-मोटी बातें क्या हैं और उस पर कितना खर्च होगा ;

(ग) क्या सभी विश्वविद्यालयों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) इसे कब से चालू किया जा रहा है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह प्रस्ताव कैसे प्रस्तुत किया और यह किन किन प्रावस्थाओं में से गुजर चुका है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : यह प्रस्ताव प्रधान मंत्री ने दिया था। उन्होंने ९ जून, १९५८ को सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने यह सुझाव दिया कि १९ और २२ वर्ष के बीच की आयु के सभी युवकों तथा युवतियों के लिये श्रम तथा समाज सेवा करना अनिवार्य कर दिया जाये। इस समय मंत्रालय इस योजना का ब्योरा तैयार कर रहा है।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या विश्वविद्यालयों को भी यह पत्र भेजा जा चुका है और यदि हां, तो कितने विश्वविद्यालयों से उत्तर मिल चुका है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : अभी बात यहां तक नहीं पहुंची । मैंने बताया कि मंत्रालय अभी योजना का ब्योरा तैयार कर रहा है और इसके बाद आगे कार्यवाही की जायेगी।

†श्री वोडयार : क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इससे सहमत हो गया है और किस मापदण्ड से यह देखा जायेगा कि छात्र ने वास्तव में एक वर्ष तक की राष्ट्रीय सेवा पूरी कर ली है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० का० ला० श्रीमाली : पिछली बार जब प्रधान मंत्री को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बैठक में आने के लिये आमंत्रित किया गया था तब योजना के बारे में अनौपचारिक रूप से कुछ बातचीत हुई थी। लगभग सभी लोगों ने इस योजना की प्रशंसा की थी।

श्री विभूति मिश्र : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डिग्री लेने के लिये एक साल नेशनल सर्विस जो करनी है तो इसके लिये पहले ही पढ़ाई के वक्त में लोगों को क्यों न शिक्षा दी जाय ताकि उनमें नेशनल सर्विस करने की भावना पैदा हो जाये ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैंने निवेदन किया कि अभी तक कोई स्कीम फाइनल नहीं बनी है और जब वह बन जायेगी तो मैं उसे आपके सामने जरूर रखूंगा।

†श्री आचार : राज्यों पर इस प्रस्थापना की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : अभी योजना पर अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है अभी तो ब्योरा तैयार हो रहा है। योजना पर अन्तिम निर्णय करते समय राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से परामर्श किया जायेगा।

†श्री त्यागी : सरकार ने प्राक्कलन समिति की इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है कि विश्वविद्यालय के छात्रों को स्वेच्छा से शारीरिक तथा रचनात्मक कार्य करने के अधिक अवसर दिये जाने चाहियें चाहे इसके लिये उन्हें पारिश्रमिक देना पड़े ? मूल उद्देश्य यह था कि अन्य देशों की तरह यहां भी छात्र पढ़ने के साथ-साथ कुछ रुपया भी कमा सकें।

†डा० का० ला० श्रीमाली : शारीरिक कार्य के बारे में सभा को मालूम है कि मंत्रालय श्रय सेवा और समाज सेवा के लिये कैम्प लगाने की योजना चला रही है जहां छात्र अपनी इच्छा से आयेंगे। ३० सितम्बर, १९५८ तक लगभग ४,५०० कैम्प लगाये गये और इन में लगभग ५ लाख छात्रों ने भाग लिया था।

प्रश्न का दूसरा भाग कृपया फिर से बताया जाये।

†श्री त्यागी : क्या सरकार कालेजों का समय ऐसा रखने का प्रयत्न करेगी जिससे कि छात्र, अमरीका के ८० प्रतिशत छात्रों की तरह, शिक्षा के साथ-साथ अपनी आजीविका भी कमा सकें ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : भारत और अमरीका की हालत में बड़ा अन्तर है। यह विचार तो बहुत अच्छा है इस पर अमल होना चाहिये परन्तु यह तो विश्वविद्यालयों को देखना होगा कि छात्र अमरीका में जितना कमाते हैं क्या वे भारत में भी कमा सकते हैं या नहीं।

†श्री गोरे : क्या आज के पत्र में माननीय मंत्री ने यह समाचार पढ़ा कि यूगोस्लाविया के १५,००० छात्रों ने मिल कर ८० मील लम्बे राजपथ का निर्माण किया ? क्या इसका ध्यान रखते हुये यह योजना शीघ्र चालू की जायेगी ?

†उपाध्यक्ष महोदय : श्री पटनायक।

†श्री उ० च० पटनायक : पश्चिमी देशों में राष्ट्रीय सेवा का अभिप्राय प्रशिक्षण तथा अनुशासन होता है। क्या यहां भी यही होगा या कि वे श्रमिकों का कार्य करेंगे ? यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय सेवा प्रशिक्षण के लिये छात्र सेना दल और सहायक छात्र सेना दल तथा अन्य संगठनों की सहायता ली जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० का० ला० श्रीमाली : उद्देश्य तो यह है कि शस्त्रों का प्रयोग सिखाये बिना उन्हें सेना का अनुशासन और शारीरिक शिक्षा और समाज सेवा का प्रशिक्षण दिया जा सके।

वयस्क बहरों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

\+

†*१७३. श्री बहादुर सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रा० चं० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री हेम राज :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वयस्क बहरे लोगों के लिये टैकनीकल प्रशिक्षण केन्द्र बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कार्यान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) प्रशिक्षण केन्द्र चालू करने के लिये कौनसा स्थान चुना गया है ; और

(घ) इस योजना पर कितना खर्च होने की संभावना है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). केन्द्र स्थायी तौर पर फरीदाबाद में स्थापित करने का विचार है। केन्द्र के लिये इमारत बनाने के हेतु फिलहाल जमीन का एक टुकड़ा चुन लिया गया है। इमारत का नक्शा और प्राक्कलन भी तैयार हो चुके हैं ।

इसी दौरान में ये प्रयत्न किये जा रहे हैं कि केन्द्र को अस्थायी तौर पर किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर रखा जाये ।

(घ) इसके लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ८ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

†श्री बहादुर सिंह : इन बहरे और गूंगे व्यक्तियों को किस प्रकार का टैक्नीकल प्रशिक्षण देने का विचार है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : कई प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा सकता है अर्थात् दर्जी का काम, बढ़ई और कैबिनेट बनाना, मशीन का काम, कमर्शल पेंटिंग, इलैक्ट्रोप्लेटिंग, छपाई, जिल्द-साजी, फोटोग्राफी और अन्य कई काम हैं ।

†श्री बहादुर सिंह : उस केन्द्र में कितने लोग प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : इस समय मेरे पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है परन्तु मैं अवश्य उपलब्ध कर दूंगा।

†श्री रा० चं० माझी : प्रशिक्षण की अवधि क्या होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० का० ला० श्रीमाली : इन सब बातों का निर्णय अभी किया जाना है।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विशेषज्ञ ने बम्बई में अपंग व्यक्तियों के प्रशिक्षण की एक योजना तैयार की थी क्या वह योजना चालू की गई और क्या जनता और उद्योगपतियों ने उसमें कोई सहायता दी थी ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : माननीय मंत्री अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विशेषज्ञ के बारे में कह रहेहैं। अपंग व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना तैयार करने के लिये एक विशेषज्ञ को बुलाया गया है ।

†श्री अजित सिंह सरहदी : क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है कि किस राज्य में बहरे व्यक्तियों की संख्या सब से अधिक है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : मेरे पास यह जानकारी नहीं है परन्तु मैं माननीय सदस्य को इतना बता दूं कि देश में बहरों के लिये ४७ स्कूल हैं।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद सरकार कोई आर्थिक सहायता भी देगी जिस से कि वे उस उद्योग में कार्य आरम्भ कर सकें जिसका प्रशिक्षण उन्हें मिला है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : इन सब बातों पर विचार किया जायेगा और इस प्रस्ताव का भी परीक्षण किया जायेगा। साधारणतः इन लोगों के लिये कुछ राज-सहायता प्राप्त कर्मशालायें स्थापित की जाती हैं, परन्तु कुछ समय से हमारी यह नीति रही है कि वर्तमान उद्योग ही इन्हें नौकरी दे दें और इसमें हमें सफलता मिली है। इसी प्रकार काम चलता जायेगा और इन लोगों के लिये एक विशेष काम दिलाऊ दफ्तर की स्थापना की जा रही है।

†श्री आचार : देश में कुल कितने बहरे और गूंगे हैं ?

†उपाध्यक्ष महोदय : वह इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं।

रूस से इस्पात का आयात

+

†*१७४. श्री राम कृष्ण :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री जाधव :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार रूस से इस्पात का आयात करना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां की सरकार से कोई प्रबन्ध किया गया है अथवा करने का विचार है ;

(ग) जो व्यवस्था की गई है उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) आयात किये जाने वाले इस्पात का कुल मूल्य क्या है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इसके आयात के लिये रूस सरकार के साथ प्रबन्ध किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). भारत और रूस सरकारों के बीच वर्तमान व्यापार करार के अन्तर्गत १९५८ में २,१६,००० टन इस्पात खरीदा जायेगा। अभी ब्योरे के बारे में निर्णय नहीं हुआ है। बातचीत हो जाने पर मूल्य का पता चलेगा। शायद मूल्य १० करोड़ रुपये के लगभग होगा।

†**श्री राम कृष्ण** : इस इस्पात का प्रयोग किस काम के लिये किया जायेगा ? क्या सरकारी सेवाओं में इसका प्रयोग होगा या कि इसे गैर-सरकारी काम के लिये बांट दिया जायेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इसका वितरण किया जायेगा परन्तु इसमें से कुछ सरकारी सेवाओं के लिये भी प्रयुक्त होगा।

†**श्री राम कृष्ण** : सरकारी और गैर सरकारी कामों में प्रयोग किये जाने वाले इस्पात की मात्रा में क्या अनुपात है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : ऐसा कोई इस्पात निश्चित नहीं किया गया है।

†**श्री विश्वनाथ राय** : रूस से इस्पात का आयात करने से वार्षिक मांग कहां तक पूरी हो जायेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह बताना कठिन है।

†**श्री विश्वनाथ राय** : इस्पात का आयात वास्तव में कब आरम्भ होगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : शर्तें तय हो जाने पर आदेश दे दिया जायेगा। हमारा यह अनुभव है कि आदेश भेजने के कुछ मास बाद संभरण शुरू हो जाता है।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या इस बारे में कोई संकेत मिला है कि इस्पात कितने मूल्य पर मिलेगा और अन्य देशों से कम मूल्य पर मिलने की कोई सम्भावना है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : सामान्यतः संसार में प्रचलित मूल्य ही बताये जाते हैं परन्तु मौके पर कुछ कमी बेशी हो जाती है। बसल्ज़ मार्किट के मूल्य प्रायः माणक माने जाते हैं और उन्हीं के आधार पर मूल्यों में कमी बेशी होती है।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : उल्लिखित करार के इलावा भी कुछ इस्पात का आयात किया गया था। क्या दो लाख टन का यह निर्यात उसके अतिरिक्त होगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मालूम नहीं माननीय सदस्य किस के बारे में सोच रहे हैं। मूल करार में यह उल्लिखित है कि यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं और शर्तें ठीक हुईं तो भारत १० लाख टन इस्पात का आयात करने के लिये तैयार है। यदि उल्लिखित आयात कर लिया गया तो कुल आयात लगभग १० लाख टन हो जायेगा।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या १९५९ में रूस के अतिरिक्त किन्ही अन्य देशों से भी इस्पात का आयात करने का विचार है और यदि हां तो किस देश से ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी हां। जापान और अमरीका से भी इस्पात का आयात करने का विचार है परन्तु मात्रा के बारे में कोई निश्चय नहीं हुआ है।

†**श्री त्यागी** : इस के साथ जो सौदा हुआ है उसमें भुगतान का माध्यम क्या होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : सभा को विदित है कि भुगतान रुपयों में किया जायेगा जो रूसी लोग भारतीय सामान खरीद कर रूस भेजने पर खर्च करेंगे। परन्तु यह भी शर्त है कि यदि राशि इतनी अधिक हो कि उस से भारतीय वस्तुएं नहीं खरीदी जा सकें तो विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के लिये भी कहा जा सकता है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या 'स्ट्रक्चरल' इस्पात का आयात किया जायेगा या किसी अन्य किस्म का ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : बहुत सी किस्में हैं : 'स्ट्रक्चरल', 'नान-स्ट्रक्चरल' और प्लेटें आदि।

†**श्री त्यागी** : मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया गया। माननीय मंत्री ने बताया कि जहां तक रूस भारतीय वस्तुएं खरीदेगा उस हद तक भुगतान रुपयों में किया जायेगा और यदि राशि अधिक हुई तो भुगतान विदेशी मुद्रा में मांगा जा सकता है। अनुपात क्या है ? उन्हों ने किस हद तक भारतीय वस्तुएं खरीदने का वायदा किया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जब तक वित्त मंत्रालय कोई अन्तिम ब्योरा नहीं बताता तब तक कोई अनुपात निश्चित नहीं है। वे रुपये प्रायः भारतीय वस्तुएं खरीदने में खर्च किये जाते हैं और वे वस्तुएं रूस को भेजी जा रही हैं परन्तु शर्त यह है कि जितनी राशि भारतीय वस्तुएं खरीदने में खर्च न की जा सकेगी उसका भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जायेगा। यह आश्वासन हमने दे रखा है। माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं उस पर सहमति व्यक्त की जा चुकी है।

†**श्री जोकीम आल्वा** : सरकार को किन कारणों से इस्पात का आयात करना पड़ा ; क्या उन सरकारी इमारतों के लिये इसकी आवश्यकता थी जो अब बन रही हैं या कि लाइसेंस प्राप्त आयातकर्ताओं की आवश्यकताओं के कारण आयात करना पड़ा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : देश में इस्पात का जितना उत्पादन होता है वह हमारी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त नहीं है। सरकारी कामों, इमारतों, उद्योगों और अन्य कई कामों के लिये इसकी आवश्यकता थी। इसलिये इसकी कमी को पूरा करने के लिये हम कुछ वर्षों से इस्पात का आयात कर रहे हैं।

कोचीन में नौसेना के डौकयार्ड में दुर्घटना

†*१७५. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २ सितम्बर, १९५८ को कोचीन के नौसेना डौकयार्ड में हुई दुर्घटना में दो असैनिक कर्मचारी मर गये ;

(ख) यदि हां, तो क्या दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ; और

(घ) उन पर आश्रित सम्बन्धियों को कितना प्रातकर दिया गया ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). जी हां।

(ग) जांच बोर्ड की उपपत्तियों का सारांश सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७५]

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) उन दो श्रमिकों के उत्तराधिकारियों को ३००० रुपये की मंजूरी दी गई है जो इस दुर्घटना में मारे गये थे।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री रघुरामैया** : जांच बोर्ड इसके कारणों का पता नहीं लगा सका। उन्होंने कुछ बेहतर तरीके अपनाने का सुझाव दिया है जिन पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : पटल पर रखे गये विवरण से पता चलता है कि जब सामान उतारा जाता है उस समय वहां काम करने वाले श्रमिकों को "रैकों" में नहीं जाने दिया जाता और फिर वहां देखभाल भी ठीक प्रकार से हो रही थी। क्या इसका यह अर्थ है कि पूरी निगरानी होते हुये भी ये तीन श्रमिक "रैक" में चले गये जबकि इस्पात की चादरों का लदान हो रहा था ?

†**श्री रघुरामैया** : एक व्यक्ति श्रमिकों का मुकदम (निगरानी करने वाला) था। दुर्भाग्यवश उसी की मृत्यु हो गई इसलिये ब्योरे का पता नहीं चल सका। इसीलिये जांच बोर्ड भी ठीक प्रकार यह पता नहीं लगा सका कि यह सब कैसे हुआ।

†**श्री तंगामणि** : विवरण में कहा गया है कि इस दुर्घटना के लिये किसी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि पूरी एहत्यात से काम हो रहा था यदि यह बात है तो दुर्घटना कैसे हुई ?

†**श्री रघुरामैया** : बोर्ड स्वयं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका।

†**श्री हेम बरूआ** : विवरण से पता चलता है कि काम पूरी निगरानी में हो रहा था और पूरी एहत्यात बरती जा रही थी। क्या मैं जान सकता हूं कि यह धारणा किस आधार पर बनाई गई ?

†**श्री रघूरामैया** : बोर्ड ने देखा कि इस्पात की चादरों को ठीक ढंग से रखा जा रहा था। श्रमिकों ने एक चादर को निकाल कर उसे ठीक 'साइज' का काट कर वापस रखने का प्रयत्न किया। बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि निगरानी ठीक हो रही थी इसमें कोई कमी नहीं थी।

†**श्री जोकीम आल्वा** : ये श्रमिक उन्हीं स्थानों पर मरे जहां उन्हें नियुक्त किया गया था। क्या सरकार ने उन पर आश्रित संबंधियों को उदारता से प्रतिकर देने, विशेषकर उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की है ?

†**श्री रघुरामैया** : श्रमिक प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें जो कुछ दिया जा सकता था वह दे दिया गया है। राशि मैं बता ही चुका हूं।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : विवरण में बताया गया है कि जिस रस्सी से इस्पात की चादरें बांध कर उठाई जाती हैं वह काफी मजबूत होती हैं। क्या चादरों को उठाने का काम आरम्भ करने से पूर्व किसी जिम्मेवार व्यक्ति ने उस रस्सी को देखा था ?

†**श्री रघुरामैया** : एकाएक मैं इस बात का उत्तर नहीं दे सकता परन्तु बोर्ड की यह उपपत्ति है कि पूरी एहत्यात से काम किया गया था और उस में यह सब आ जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या यह सच है कि सामान लादने और उतारने के लिये जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे कम लगाये गये थे, उसी कारण यह दुर्घटना हुई ?

†**श्री रघुरामैया** : मे ी जानकारी के अनुसार यह बात सही नहीं है ।

रूसी दल का भारत आगमन

†*१७६. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी** :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह रूसी दल जो श्री ई० एस० एमलिन के नेतृत्व में केन्द्रीय कर्मशाला, भूमिगत खानों, कोयला धोने के कारखानों आदि की स्थापना करने के स्थान के बारे में अनुसंधान करने और मं णा देने के लिये रांची और अन्य स्थानों पर गया था अपना कार्य समाप्त करके मास्को लौट गया है ?

(ख) क्या उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) रूसी विशेषज्ञ आवश्यक प्रारम्भिक आंकड़े और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये हिदायतों के ज्ञापन लेकर रूस लौट गये हैं ।

(ख) अभी नहीं, प्रारम्भिक आंकड़े प्राप्त होने की तिथि के बाद उन्हें ८ मास लगेंगे ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : रांची के अतिरिक्त वे और किन स्था ों पर गये ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : कुछ अन्य स्थानों पर भी गये जिनके बारे में उन्हें परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये कहा गया था ।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : विशेषकर, कोर्बा ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या सरकार ने इस दल को किसी स्थान के बारे में अपनी प्राथमिकता बताई है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : जी नहीं । चार योजनायें हैं । एक कोर्बा खानों के विकास के बारे में है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या सरकार ने किसी स्थान विशेष के बारे में प्राथमिकता व्यक्त की है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : को ि खानों के बारे में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : माननीय सभा सचिव ने कहा कि इस दल को परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में आठ मास लगेंगे। यदि ऐसा है तो इन खानों में वास्तव में उत्पादन कब शुरू होगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जब तक परियोजना प्रतिवेदन तैयार नहीं होते तब तक उत्पादन शुरू नहीं हो सकता। रूसी विशेषज्ञों का कहना है कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में उन्हें आठ मास लगेंगे।

विशेष इस्पात का उत्पादन

\+

†*१७७. { **श्री वें० प० नायर :**
श्री वि० च० शुक्ल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विशेष किस्म के इस्पात जैसे कि 'ट्रूल स्टील', 'डाई स्टील' और 'ऐवरब्राइट स्टील' के उत्पादन के बारे में अब क्या स्थिति है ; और

(ख) विशेष प्रकार के इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिये भारत सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) विशेष प्रकार के इस्पात, मुख्यतः 'हाई कार्बन स्टील' का देशीय उत्पादन १९५७ में लगभग २००० टन और १९५८ में दिसम्बर तक लगभग ३००० टन था।

(ख) सरकारी क्षेत्र में एक 'एलाय स्टील' का कारखाना लगाया जायेगा जिसकी उत्पादन क्षमता ४५,००० टन पिंड होगी। कई सार्थों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रारम्भिक प्रतिवेदनों के आधार पर इन समवायों से शुल्क की दरें पूछी गई हैं, जो विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार कर और इंजीनियरिंग सेवायें देने के योग्य समझे गये हैं और जो यह काम करने के लिये तैयार हैं।

ख्याल है कि जो युद्ध सामग्री कारखाने विशेष इस्पात बनाते हैं उनकी क्षमता बढ़ा दी जायेंगी। स में से कुछ उत्पादन गैर-सरकारी प्रयोग कें लिये भी उपलब्ध किया जायेगा।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या प्रस्तावित संयंत्र के लिये सर्वोत्तम उपलब्ध स्थल की पड़ताल करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : जी, नहीं। वर्त्तमान स्थिति यह है कि परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिये मूल्योत्कथनों[1] की जांच हो चुकी है।

†**श्री जोकीम आल्वा** : भद्रावती लोहा तथा इस्पात कारखाना मैसूर ने एक विशेष प्रकार के ऐसे इस्पात को बनाने के लिये एक खास दरख्वास्त दी है जो अन्य इस्पात समवाय नहीं बना रहे परन्तु माननीय मंत्री के पूर्वर्त्ती मंत्री द्वारा उस पर सहृदयता से विचार न ीं किया गया। क्या वर्त्तमान मंत्री इस प्रस्ताव पर नये सिरे से विचार करेंगे ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह एक अच्छा प्रस्ताव है और कार्यवाही के लिये सुझाव भी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Quotation.

†**श्री बोडयार** : क्या भद्रावती लोहा और इस्पात कारखाने ने विशेष प्रकार का इस्पात बनाने में प्रगति कर ली है और क्या भद्रावती में मैसूर तैयार होने वाला इस्पात स्तर तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मुख्य प्रश्न विशेष प्रकार के इस्पात से संबंधित है। मैं सोचता हूं वह स्टेनलेस इस्पात है और भद्रावती का वर्त्तमान निर्धारित लक्ष्य निश्चय ही मुख्य प्रश्न से संबंधित हीं है। फिर भी मैं यह बताना चाहता हूं कि भद्रावती कारखाने का विस्तार कार्यक्रम बहुत कुछ आशानुकूल चल रहा है।

†**श्री मोहम्मद इमाम** : क्या यह सच है कि भद्रावती कारखा ने स्टेनलेस इस्पात, लोह मिश्रित धातुओं तथा अन्य प्रकार के इस्पात बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव और योजना भेजी थी ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह सच है कि भद्रावती लोहा और इस्पात कारखाने ने भद्रावती में एक विशेष इस्पात तथा लौह मिश्रित धातु संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। ऐसे अन्य स्थान भी हैं जो यदि उसकी अपेक्षा अधिक उपयुक्त नहीं तो बराबर के हैं और सभी संबंधित बातों पर विचार करके ही अंन्तिम निर्णय किया जा गा।

†**श्री तंगामणि** : क्या इसके लिये भारतीय इंजीनियरों तथा परामर्श दाताओं का उपयोग करने अथवा विदेशों के इंजीनियरों और परामर्शदाताओं को बुलाने का विचार है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यदि उपयुक्त भारतीय इंजीनियर हुये तो उनका उपयोग करने का हर एक प्रकार से प्रयत्न किया जायेगा। इस विशेष प्रकार के विशेष काम के लिये देश में पर्याप्त प्रधिक व्यक्ति हैं अथवा नहीं, इस पर बड़ी सावधानी से विचार करना प गा।

†**श्री स० म० बनर्जी** : यह बताया गया था कि विशेष प्रकार का इस्पात बनाने के लिये आयुध कारखानों की क्षमता का उपयोग किया जायेगा। क्या इस संबंध में प्रतिरक्षा मंत्री से कोई चर्चा हुई है और यदि हुई है तो उसका क्या नतीजा निकला है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : चर्चा किस विषय पर होनी चाहिये, यह मुझे नहीं मालूम। मैंने बताया था कि विशेष प्रकार का इस्पात संयंत्र बनाने के लिये आयुध कारखानों की क्षमता में कुछ गुंजाइश है और यदि वे अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा इस्पात बनाते हैं तो उसका उपयोग असैनिक कार्यों के लिये किया जा सकता है।

†**श्री गोरे** : "भारत १९५८" प्रदर्शनी में स्टेनलेस इस्पात की एक किस्म 'थेकेरन' की चादरें दिखाई जा रही हैं। क्या सरकार ने इस प्रकार का इस्पात बनाने की कोई योजना बनाई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : क्या माननीय सदस्य का मतलब उस स्टेनलेस स्टील से है जो राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला द्वारा बनाई गई है ?

†**श्री गोरे** : जी, हां।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस प्रक्रिया पर भी विचार किया जाएगा और इस बात की पड़ताल की जाएगी कि क्या इस प्रक्रिया का उपयोग करके हम स्टेनलैस इस्पात बना सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गोरे :** स्टेनलैस स्टील पहिले से ही बन रही है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री का आशय इस विशेष प्रकार के इस्पात से है।

†**श्री प्र० चं० बोस :** क्या सरकार को यह मालूम है कि इस देश में बनने वाली स्टेनलैस स्टील सिन्दरी जैसे रसायनिक कारखानों के प्रयोजनों के उपयुक्त नहीं है और वे अभी भी बड़ी मात्रा में इस्पात का आयात कर रहे हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जी हां, यह सच है परन्तु देश में काफी इस्पात नहीं बन रहा अतएव उन्हें स्पष्टतः उस वर्ग के इस्पात का आयात करना पड़ता है जो यहां नहीं बनती।

†**श्री प्र० चं० बोस :** बनने वाली इस्पात की किस्म इतनी खराब है कि वह काम में नहीं लाई जा सकती।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मेरी समझ में कुछ गलत फहमी हो गई है। वास्तव में किस्म की बात तो दूर रही है देश में वैसे भी पर्याप्त इस्पात नहीं बन रहा।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि उत्पादक जो भी इस्पात बनाते हैं चाहे वह कितना कम हो वह कारखानों में उपयोग के लिये ठीक नहीं है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** कारखानों में इसका परीक्षण नहीं किया गया।

†**श्री वि० च० शुक्ल :** क्या किसी अन्य इस्पात परियोजना ने विशेष प्रकार का मिश्रधातु तथा अन्य प्रकार का इस्पात बनाने के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है ; और यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जी, नहीं। किसी विशेष इस्पात संयंत्र में इसकी स्थापना का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ। सरकार समस्त संबंधित बातों पर विचार करके समुचित निर्णय करेगी।

रूरकेला उर्वरक संयंत्र

+

†*१७८. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री नाथ पाई :
श्री संगण्णा :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **इस्पात खान और ईंधन** मंत्री १८ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुरकेला उर्वरक कारखाने के लिये संयंत्र तथा मशीनरी आदि के संभरण के लिए आदेश देने के बारे में तब से क्या कोई निर्णय हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय हुआ है ; और

(ग) कितने मूल्य का ठेका दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) जी, नहीं। पत्र व्यवहार अंतिम स्थिति में है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : सारा पत्र व्यवहार काफी लम्बे अर्से से चल रहा है और तीन महीने पहिले हमें बताया गया था कि उसका अन्तिम निर्णय हो जाएगा। इसका अंतिम निर्णय करने में क्या कठिनाइयां हैं।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : सभा की जानकारी के लिये मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारा इरादा इस संयंत्र को विभाजित करके उसका एक हिस्सा सिंदरी उर्वरक को देने का है। ठेके की ब्यौरेवार शर्तों पर चर्चा हो रही है। इसमें लगभग ८ करोड़ रुपये लगेंगे। अमोनिया संयंत्र तथा सहायक संयंत्र के लिये अभी भी वार्त्ता चल रही है परन्तु अब यह आशा की जाती है कि लगभग पन्द्रह दिनों में अन्तिम निर्णय हो जाएगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : जब सिन्दरी इसकी स्थापना के लिये योग्य है तब उसे ही सारा ठेका क्यों नहीं दिया गया?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : सिन्दरी ने अमोनिया संयंत्र की स्थापना करने में कोई दिलचस्पी नहीं ली। यदि वे कहते कि "हम उसे बना सकते हैं" तो हमें उन्हें यह कार्य देने में काफी प्रसन्नता होगी परन्तु अमोनिया संयंत्र के बारे में सिन्दरी उर्वरक कारखाने ने अपनी वर्तमान अवस्था में इस कार्य को करने के लिये असमर्थता प्रकट की है।

†**श्री नाथ पाई** : इस उर्वरक संयंत्र के लिये कौन कौन परामर्शदाता हैं, उन्हें किन बातों पर विचार करके रखा गया है और उनके विचारों के बदले में उन्हें क्या दिया जाएगा?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह एक अलग प्रश्न है। यदि अलग से प्रश्न पूछा जाए तो मैं ब्यौरवार जवाब दूंगा। सार्थ का नाम बुचाको या इसी तरह का कुछ है।

†**श्री संगण्णा** : उस परियोजना के पूरा होने के लिये निर्धारित रकम क्या है? क्या यह योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरी हो जाएगी?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : माननीय सदस्य को यह निस्संदेह ही मालूम होगा कि इस्पात संयंत्रों के बारे में यह योजना का एक अंग है। जहां तक उर्वरक भाग का प्रश्न है लगभग १६ करोड़ रुपये खर्च होगा।

†**श्री मोहम्मद इलियास** : क्या दुर्गापुर का उर्वरक संयंत्र गैर-सरकारी क्षेत्र में होगा?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : बहुत कुछ ऐसा ही है। मैं सोचता था कि यह तथ्य सबको मालूम ही होगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या संयंत्र की मूल निर्धारित राशि लगभग १८ करोड़ रुपयों में से यह आशा की गई थी कि ८ करोड़ सिन्दरी के लिये होंगे और शेष राशि १० करोड़ रुपये रह जायेगी? क्या अब वह इस राशि से ज्यादा है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं सोचता हूं कि आप ब्योरे में बहुत अधिक जा रहे हैं। जब वार्त्ता चल रही है तब मेरे लिये ठीक ठीक आंकड़े बताना ठीक नहीं है।

†**श्री मुरारका** : सिन्दरी में कब काम शुरू होगा? 'लोक सभा के पिछले सत्र में माननीय मंत्री ने बताया था कि उर्वरक संयंत्र की कुल लागत लगभग ८ करोड़ रुपये होगी। आज यह बताया जा रहा है कि कुल लागत लगभग १६ करोड़ रुपये है। पिछले सत्र और इस सत्र के बीच १०० प्रतिशत लागत की वृद्धि किस प्रकार हो गई है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : १०० प्रतिशत वृद्धि नहीं हुई। मैं माननीय सदस्य के पूर्वोलेख की जांच करना चाहूंगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। उर्वरक समवाय रूरकेला संयंत्र में कब कारखाना शुरू करेगा?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जैसा कि मैं पहिले बता चुका हूं सिन्दरी को संभरण-पत्र पहिले ही भेजा जा चुका है और अगले दो या तीन हफ्तों में ठेके की वार्त्ता समाप्त हो जाएगी और ज्योंही उसका अन्तिम निर्णय हो जाएगा, वे काम शुरू कर देंगे।। वास्तव में वे कब से काम करने लगेंगे इसके बारे में मेरे लिये कुछ कहना उचित नहीं है।

ग्रामीण संस्थायें

+

†*१७९. { **श्री रा० च० माझी** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरिका के प्रविधिक सहयोग मिशन द्वारा ग्रामीण संस्थाओं को सहायता दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो मिशन किस प्रकार की सहायता दे रहा है ; और

(ग) क्या सभी संस्थायें, ग्रामीण उच्चशिक्षा संस्था के अन्तर्गत चल रही हैं?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां।

(ख) किताबें देना, तथा ग्रामीण उच्च शिक्षा से संबंधित गवेषणा तथा विस्तार की कार्यवाही के लिये कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा साज-समान की अमेरिका की ग्रामीण संस्थाओं में व्यवस्था करना।

(ग) जी नहीं।

†**श्री रा० च० माझी** : क्या इन संस्थाओं के डिप्लोमा को यूनिवर्सिटियों द्वारा मान्यता दी जाती है?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चशिक्षा की एक राष्ट्रीय परिषद् है जो डिप्लोमा देती है और सरकार इन डिप्लोमाओं को बी०ए० की उपाधि के बराबर मानती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री० रा० च० माझी : क्या इन संस्थाओं के विद्यार्थियों को कोई छात्रवृत्ति दी जाती है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां,। कुछ छात्रवृत्तियां भी दी जा रही हैं।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या इन संस्थाओं में नये विषय शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : जैसे जैसे नयी संस्थायें बनती जाएगीं नये विषय शुरू किये जाएंगे।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई दूसरी ग्रामीण संस्था स्थापित की जाएगी और यदि हां तो क्या उसके लिये भी प्रविधिक सहायता मिशन से कोई सहायता मिलेगी ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : पंजाब तथा मध्य प्रदेश में दो नई ग्रामीण संस्थायें खोलने का प्रस्ताव है ?

†श्री हेम बरूआ : यदि आवश्यक हुआ तो सरकार इस ग्रामीण संस्था की शिक्षा को विश्वविद्यालय की शिक्षा में किस प्रकार समायोजित करेगी ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : अंतर्विश्वविद्यालय बोर्ड डिप्लोमा को विश्वविद्यालय की उपाधि की बराबरी देने के बारे में विचार कर रहा है।

(अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर)

आसाम में मिट्टी के तेल की कमी

†अल्प सूचना प्रश्न १. श्रीमती मफीदा अहमद : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि आसाम में मिट्टी के तेल की अत्यन्त कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस आवश्यक वस्तु के उचित संभरण की क्या व्यवस्था की है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख), देशी उत्पादन तथा खपत के अन्तर को पूरा करने के लिये बड़ी मात्रा में मिट्टी का तेल बाहर से मंगाया जाता है। विदेशी मुद्रा का बाहर जाना रोकने के लिये, तेल समवायों से परामर्श के बाद उनसे हाल ही में यह प्रार्थना की गई थी कि वे सितम्बर में इस उत्पाद की बिक्री पर कुछ सीमा तक प्रतिबन्ध लगा दें। उसके पश्चात ही, आसाम सरकार ने यह सूचना दी है कि उसके परिणाम स्वरूप आसाम में मिट्टी के तेल की कमी हो गई है। राज्य सरकार द्वारा बताई गई विभिन्न परिस्थितियों की दृष्टि से इस माह के शुरू में यह तय किया गया था कि आसाम में तेल की बिक्री पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती मफीदा अहमद : महोदय, आसाम आइल कम्पनी के परिपत्र से पता चला है कि उन्हें भारत सरकार द्वारा यह सलाह दी गई थी कि वे जुलाई १९५८ से अक्टूबर १९५८ तक के लिये इस राज्य का कोटा २६% कम कर दिया जाए और यदि हां तो क्या आसाम आईल कम्पनी को यह सुझाव भेजने के पूर्व क्या आसाम सरकार से सलाह ली गई थी अथवा उसे सूचित किया गया था ?

†श्री के० दे० मालवीय : आसाम आइल कम्पनी द्वारा किसी ऐसे परिपत्र के जारी करने के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम कि तेल की बिक्री में इतनी बड़ी कमी कर दी जाए। मेरी समझ में यह ठीक नहीं है। उन्होंने न तो इतनी बड़ी कमी करने में हमारी कोई सलाह ली और यदि इस प्रकार का कोई पत्र जारी किया गया है तो न उसके बारे में ही कोई सलाह ली है। हमने तेल समवायों से परामर्श लिया था और उनसे नाम मात्र की कमी करने के लिये कहा था परन्तु ज्योंही आसाम सरकार ने हमें अपनी कठिनाइयां बताईं त्योंही हमने आसाम आइल कम्पनी की कमी दूर करने के लिये सलाह दे दी थी। अब इस बारे में कोई कठिनाई नहीं है और आसाम को नियमित रूप से तेल मिल रहा है।

†श्रीमती मफीदा अहमद : जहां तक आसाम राज्य का संबंध है अब वहां तेल के वितरण की क्या स्थिति है ?

†श्री के० दे० मालवीय : आसाम सरकार ने स्वयं यह सूचना दी है कि कमी पूरी हो गई है अर शायद अब कोई अड़चन नहीं है। जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने बताया है, आसाम सरकार ने इन बातों का उल्लेख करते हुए एक विज्ञप्ति निकाली है।

†श्री हेम बरूआ : वास्तव में आसाम आइल कम्पनी को तेल के संभरण में थोड़ी कमी अथवा बहुत कम कटौती करने के लिये सलाह दी गई थी परन्तु उसने उसका गलत अर्थ लगा लिया और आसाम की जनता को कठिनाई में डाल दिया। उन्हें संभरण में २०% की कमी किस प्रकार करने दी गई जब कि उन्हें जो सलाह दी गई थी वह स्पष्ट नहीं थी ?

†श्री के० दे० मालवीय : मैंने अभी बताया है कि मुझे इस प्रकार की भारी कमी के बारे में नहीं मालूम और मैं सोचता हूं कि इस सीमा तक कटौती नहीं की गई। परन्तु जैसी कि स्थिति है अन्य दूसरे कारणों से तेल की खपत बढ़ रही है और यदि इसमें कुछ अड़चनें होती हैं तो हमें उनका सामना करना पड़ेगा। परन्तु जहां तक सरकार का संबंध है हमने आसाम आइल कम्पनी को उपयुक्त समायोजन करने के लिये नाममात्र की कटौती करने की सलाह दी थी।

†श्री हेम बरूआ : सरकार ने कटौती की ठीक-ठीक मात्रा ठीक-ठीक निश्चित क्यों नहीं कर दी और कम्पनी को इतनी छट क्यों दे दी ?

†श्री के० दे० मालवीय : छोटे छोटे आंकड़े बताना उचित नहीं है, न तो उनसे माननीय सदस्य का ही फायदा होगा और न ही उपभोक्ताओं का। वितरण में कुछ आंकड़ों के अन्तर से कमी या वृद्धि हो सकती है। मैंने केवल यही कहा था कि संभरण में नाममात्र की कटौती की गई थी और ज्योंही आसाम सरकार न उसे दूर करने के लिये कहा त्योंही उन्होंने उसे पूरा कर दिया। अब इस बारे में कोई कठिनाई नहीं है। परन्तु सामान्यतः खपत बढ़ रही है और कुछ अड़चनें होंगी ही।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नारायणन् कुट्टी मेनन** : क्या सरकार को यह मालूम है कि सरकार द्वारा तेल समवायों को नाम मात्र की कटौती करने की सलाह दिये जाने के बावजूद भी वास्तव में भारत में आज तेल की कोई कमी नहीं थी और वितरण अभिकर्त्ताओं द्वारा ही सरकार की सलाह मिलने के बाद कृत्रिम कमी की स्थिति उत्पन्न कर दी गई थी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : कुछ रियायती कमी हो सकती है जिसे मैं अस्वीकार नहीं कर सकता परन्तु भारत सरकार काफी सतर्क है और जहां तक हमारी शक्ति के भीतर की बात है हम उस बात की कोशिश करते हैं कि कृत्रिम उपायों से कठिनाइयां न उत्पन्न की जाएं ।

†**श्री पाणिग्रही** : पिछले वर्ष देश में तेल की कितनी खपत थी और इस वर्ष वह कितनी बढ़ गई है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मुझ खेद है कि मैं तत्काल ही कोई उत्तर नहीं दे सकता ।

†**श्रीहेम बरूआ**: क्या थोक बिक्रेताओं तथा भंडार रखने वालों ने इसका फायदा उठाकर नियमित संभरण बन्द कर दिया था और उसे काले बाजार में ऊंची कीमतों पर बेचा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मुझे यह नहीं मालूम ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सरकारी कर्मचारियों के कुटुम्बों के लिये कल्याण केन्द्र

†*१८०. **श्री दामानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ५०० या इससे कम मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की आमदनी में सहायता देने की दृष्टि से विभिन्न सरकारी कर्मचारी बस्तियों में कल्याण केन्द्र की योजना को अपनाने में क्या कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). यह योजना अभी भी कर्मचारी कल्याण संगठन के विचाराधीन है । फिर भी केन्द्रों के लिये प्रयोग के बतौर पचकुईया रोड, बेयर्ड रोड, मोती बाग और कोटला मुबारकपुर में सिलाई, कढ़ाई और बुनाई सिखाने तथा इसका काम कराने के लिये चार केन्द्र खोले गये हैं ।

धातुकर्मिक कोयले का निर्यात

†*१८१. **श्री विमल घोष** :
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धातुकर्मिक कोयले के निर्यात में वृद्धि की इजाजत दे दी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५८ में कुल कितनी मात्रा में निर्यात की इजाजत दी गई है ;

(ग) यदि धातुकर्मिक कोयले के उत्पादन की वृद्धि करने दी गई है तो वह किस सीमा तक है ; और

(घ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आमदनी होगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां। सरकार ने १९५८ में २ लाख टन धातुकर्मिक कोयले की निर्यात बढ़ाने का और उसके बाद के तीन वर्षों में प्रतिवर्ष ५ लाख टन धातुकर्मिक कोयले का निर्यात बढ़ाने का निश्चय किया है।

(ख) उपयुक्त शर्तों के अनुसार ५६ लाख टन निर्यात के लिए उपलब्ध होगा।

(ग) अभी इस प्रयोजन के लिए धातुकर्मिक कोयले के उत्पादन की अधिकतम निश्चित सीमा का पुनरीक्षण करना आवश्यक नहीं समझा गया।

(घ) लगभग २८० लाख रुपये।

दैवी विपत्ती निधि

†*१८२. **श्री पाणिग्रही :**
श्री पांगरकर :

क्या **वित्त** मंत्री ३ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और उड़ीसा की राज्य सरकारों ने वास्तव में दैवी विपत्ति निधि की स्थापना कर ली है; और

(ख) क्या शेष राज्य सरकारों ने इस बारे में अपना अन्तिम निर्णय केन्द्रीय सरकार को सूचित कर दिया है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बम्बई सरकार ने अपनी वर्तमान दुर्भिक्ष सहायता निधि की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है और उड़ीसा सरकार ने अपनी वर्तमान दुर्भिक्ष सहायता निधि को बढ़ा दिया है।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्य सरकारों ने आवश्यक निधि स्थापित कर ली है। जिन राज्यों ने अभी तक इसे स्थापित नहीं किया वे अभी भी इस मामले पर विचार कर रहे हैं।

इस्पात संयत्रों के लिये विदेशी मुद्रा

†*१८३. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** यह बतलाने वाला एक विवरण पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक तीनों इस्पात संयंत्रों के बारे में कुल कितनी विदेशी मद्रा के बारे में करार हो गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसमें से कितनी मुद्रा चुकाई जा चुकी है;

(ग) शेष राशि कब चुकाई जानी है;

(घ) क्या बकाया रकम पर कोई लिखा-पढ़ी का खर्च देना है; और

(ङ) क्या इन तीनों संयंत्रों को पूरा करने के लिए आगे और भी विदेशी मुद्रा के लिए वचन देने की संभावना है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ङ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७६]**

केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति

†*१८४. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री मोहम्मद इमाम :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मद्य निषेध समिति की स्थापना के बारे में क्या निर्णय हुआ है; और

(ख) उसे किस प्रकार का काम सौंपा जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). यह मामला अभी भी विचाराधीन है ।

भारतीय प्रशासन सेवा (विशेष भर्ती)

†*१८५. **श्री मोहम्मद इमाम :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :
श्री महन्ती :
श्री विमल घोष :

क्या गृह-कार्य मंत्री २१ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ में भारतीय प्रशासन सेवा (विशेष भर्ती) की जो परीक्षा हुई थी उसके परिणामस्वरूप कितने उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : भारतीय प्रशासन सेवा में ६८ उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया है। ७ और उम्मीदवारों को उन ६ उम्मीदवारों के बदले में जिन्होंने कार्य-भार नहीं संभाला और १ उम्मीदवार जो अनुपयुक्त पाया गया था उसके बदले में, नियुक्ति की सूचना भेजी गई है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे शेष उम्मीदवारों को नौकरी पर लें और वे इस बारे में अपना निर्णय केन्द्रीय सरकार को सूचित करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयकर

†*१८६. **श्री बोडयार :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री जीन चन्द्रन् :
श्री सुब्बया अम्बलम :
श्री आसर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका के अभिनेता श्री एड्डी जयमाने भारत से आयकर की बकाया राशि चुकाये बिना ही भाग गये हैं;

(ख) सरकार ने उनसे यह राशि वसूल करने की क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या उन परिस्थितियों की जांच की गई है जिनमें उन्हें भागने में सुविधा हुई है ?

†***राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) से (ग). भारत सरकार को मालूम है कि श्री एड्डी जयमाने २० सितम्बर, १९५८ को भारत से लंका चले गये हैं। जहां तक आय कर की जानकारी का प्रश्न है भारतीय आय कर अधिनियम की धारा ५४ के अधीन यह जानकारी नहीं दी जा सकती।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता

†१८७. **श्री सुबिमन घोष :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ते के राष्ट्रीय पुतस्कालय में पाठकों और सदस्यों की संख्या बेहद बढ़ती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो स्थान कमी को दूर करने और पुस्तकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए मंत्रालय क्या कार्यवाही करने वाला है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) वाचनालय और पुस्तकें देने वाले विभाग की सदस्यता निरन्तर बढ़ती जा रही है। पुस्तकालय में चंदा देने वाले सदस्य नहीं हैं।

(ख) मौजूदा इमारत से संलग्न एक और भवन बनाने और पुस्तकों के लिए और राशि देने की योजना विचाराधीन है।

पंजाब की पी० सी० एस० पदाली

†*१८८. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **गह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने पी० सी० एस० पदाली में भारत के सभी नागरिकों के लिए प्रवेश खोल देने की अधिसूचना निकाली है;

(ख) क्या यह भारत सरकार की सलाह से निकाली गयी है; और

(ग) क्या किसी अन्य राज्य की सरकार यह नीति अपना रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) यह सच है कि पंजाब सरकार ने १९५९ में होने वाली पी० सी० एस० (कार्यपालिका शाखा) प्रतियोगिता परीक्षा भारत के सभी नागरिकों के लिए खोल देने की अधिसूचना निकाली है।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार को कोई जानकारी नहीं है लेकिन लोक सेवायोजन (निवास सम्बन्धी अपेक्षा) अधिनियम, १९५७ के क्रियान्वित होते ही यह नीति देश भर में लागू कर दी जायगी। इस अधिनियम के अधीन बनाये जाने वाले नियमों को अन्तिम रूप प्रदान करने और संसद् द्वारा उनका अनुमोदन होने तक के लिए राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे इस सम्बन्ध में अपनी नौकरी सम्बन्धी शर्तों में उपयुक्त संशोधन कर लें।

क्षेत्रीय पुलिस बल

†*१८९. **श्री वाजपेयी :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १६ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित जोनों ने जोनल पुलिस बल की योजनाओं को अन्तिम रूप प्रदान कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्रियान्वित करने में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) कौन-कौन सी राज्य सरकारें इस योजना में शामिल हुई हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)**: (क) से (ग). १६ सितम्बर, १९५८ के बाद से, जब लोक-सभा में उस प्रश्न का उत्तर दिया गया था जिसका ऊपर जिक्र किया है, केवल एक क्षेत्रीय परिषद् की---अर्थात् दक्षिण क्षेत्र की परिषद् की बैठक हुई है। इस बैठक में परिषद् ने आंध्र प्रदेश, मद्रास और मैसूर के सामान्य पुलिस रक्षित बल का संग्रह गठित करने का निश्चय किया और इसके ब्यौरे की बातें सम्बन्धित राज्यों के पुलिस के इन्स्पेक्टर जनरलों पर छोड़ दीं। भविष्य में जब भी चाहे केरल राज्य भी इसमें शामिल होने के लिए स्वतंत्र है।

अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में स्थिति बिल्कुल वही है जो १६ सितम्बर, १९५८ को लोक-सभा में दिये गये उत्तर में बताई गयी थी।

बेकार पड़े मशीनी औजार

†*१९०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ते में ईशापुर की राइफल फैक्टरी और कासीपुर की गन और शैल फैक्टरी में कितने प्रतिशत मशीनी औजार बेकार पड़े हैं;

(ख) उनका उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन मशीनी औजारों की बेकार पड़ी क्षमता का प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने की कोई योजना क्या सरकार के विचाराधीन है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) विशिष्ट उत्पादन करने वाली इन फैक्ट्रियों के विषय में इस प्रकार की जानकारी देना लोक-हित में नहीं है।

(ख) जहां तक ईशापुर की राइफल फैक्टरी का सम्बन्ध है, वहां की मशीनें प्रारम्भिक रूप से कुछ हथियारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए हैं।

जहां तक कासीपुर की गन और शैल फैक्टरी का सम्बन्ध है, वहां जो मशीनें बेकार पड़ी हैं उनमें से अधिकांश मशीनें विशेष प्रयोजनों के लिए हैं और ये हर समय काम में नहीं लगी रहतीं।

(ग) जी हां, लेकिन यह जानकारी देना लोक-हित में नहीं है।

कुलटी का कारखाना

†*१९१. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :**
श्री हाल्दर :
श्री नागी रेड्डी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड ने अपना कुलटी का कारखाना बन्द कर देने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्यों, और

(ग) तो कुलटी के कारखाने के बन्द हो जाने से उत्पादन की कितनी क्षति होगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) कम्पनी ने ६ अक्टूबर, १९५८ को एक भट्टी[1] बन्द कर दी है।

(ख) क्योंकि वह पुरानी और जीर्ण शीर्ण थी।

(ग) प्रति माह १०,००० टन कच्चे लोहे की लेकिन इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी की अतिरिक्त भट्टियों के उत्पादन से इस से कहीं अधिक उत्पादन हो जायेगा।

विदेशी ऋणों की अदायगी

†*१९२. **कुमारी मो० वेदकुमारी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मौजूदा वायदों के आधारपर भारत को १९५९–६०, १९६०–६१, और १९६१–६२ में अमरीका, ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी को कितना-कितना भुगतान करना होगा; और

(ख) ऋणों की अदायगी के सम्बन्ध में क्या सरकार ने कुछ निश्चित योजना बनायी है ?

†**राजस्व तथा असैनिक-व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Blast Furnace.

(ख) हमारे विदेशी मुद्राओं के भावी संसाधनों में से ऋणों का चुकाना आवश्यक होगा। हमें आशा है कि देश की योजना के विकास के फलस्वरूप इन संसाधनों में वृद्धि हो जायेगी।

तेल की खोज

†*१९३. **श्री प्र० के० देव :**
श्री वि० चं० प्रधान :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जसलमेर, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तेल की खोज में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इन क्षेत्रों में छिद्रण कार्य कब आरम्भ होगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) राजस्थान की २००० वर्ग मील संभावित चट्टानों में से लगभग आधे क्षेत्र की परीक्षा की जा चुकी है। भू-भौतिकीय जांच भी चल रही है। अब तक छिद्रण के लिये किसी उपयुक्त स्थान का पता नहीं चला है। पश्चिम बंगाल में भारत-स्टनवैक परियोजना ने अब तक ४ कुंएं खोदे हैं। अभी तक तेल तो नहीं मिला है। उस संगठन द्वारा जांच जारी है। आयोग के चालू फील्ड-सीजन कार्यक्रम में उड़ीसा की टर्शियरी चट्टानों की जांच का कार्य शामिल कर लिया गया है।

(ख) पश्चिम बंगाल में छिद्रण कार्य जारी है। अन्य दोनों क्षेत्रों के संबंध में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता।

तेल के भाव

†*१९४. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन :
श्री नारायणन कुट्टि मेनन :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून १९५८ में तेल कम्पनियों के साथ तेल के भावों के सम्बन्ध में जो समझौता हुआ था उस के अनुसरण में क्या सरकार के परिव्यय लेखा कर्मियों द्वारा तेल के भावों की जांच में कुछ प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) सरकार को इस प्रतिवेदन के कब तक तैयार हो जाने की आशा है?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७८**]

---

†मूल अंग्रेजी में

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बी० एड० कोर्स

†*१९५. **श्री केशव :**
श्री वाजपेयी :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २८ अक्तूबर, १९५८ को दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया के टीचर्स ट्रेनिंग कालिज की बी० एड० क्लासें अनिश्चित काल के लिये बन्द करने की घोषणा की गयी थी;

(ख) यदि हां, यह घोषणा किन परिस्थितियों के फलस्वरूप की गयी, और उस के बाद से क्या क्या बातें हुई हैं;

(ग) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ के प्रयोजनों के लिये जामिया मिल्लिया इस्लामिया को विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७९]**

औद्योगिक प्रबन्ध पूल

†*१९६. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नव संगठित औद्योगिक प्रबन्ध पूल के लिये इंटरव्यू पूरे हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो परिणामों की घोषणा कब तक हो जाने की आशा है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) जी हां ।

(ख) इस वर्ष का अन्त होने से पहले ही ।

हार्ड-कोक की मांग पुनर्निर्धारित करने के लिये समिति

†*१९७. **श्री नौशीर भरूचा :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हार्ड कोक की मांग पुनर्निर्धारित करने के लिये नियुक्त की गयी समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो समिति का कार्य इस समय किस अवस्था में है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ग). अभी नहीं । समिति को आशा है कि इस माह के अन्त तक वह अपना प्रतिवेदन दे देगी ।

(ख) इस सुझाव पर विचार किया जायेगा ।

जीवन बीमा निगम

†*१९८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ की धारा २७ के अधीन ३१ दिसम्बर, १९५७ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये जीवन बीमा निगम का प्रतिवेदन कब तक पटल पर रख दिया जायेगा;

(ख) विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस में शीघ्रता के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) कानून के मौजूदा उपबन्धों के अनुसार जीवन बीमा निगम से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक उस का प्रतिवेदन अपेक्षित है उस के बाद यथा संभव शीघ्र यह प्रतिवेदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

कम्पटी में कोयले के निक्षेप

*१९९ **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री रघुबीर सिंह :

क्या **इस्पात, खान और इंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई राज्य में कम्पटी, उमरेर और वर्धा घाटी के आस-पास बड़ी मात्रा में कोयले के निक्षेप पाये गये हैं जिन से अच्छी किस्म का लगभग २० करोड़ टन कोयला प्राप्त हो सकता है ;

(ख) क्या कोयले के यह सभी निक्षेप एक ही परत वाली पाट्टियों में हैं और क्या उन की ठीक से जांच कर उन्हें श्रेणी-भाजित कर लिया गया है; और

(ग) क्या गैर-सरकारी उद्योग-पतियों को इन में से ऐसे कुछ निक्षेप निकालने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है जो तत्काल ही सरकारी क्षेत्र द्वारा न निकाले जाने वाले हों ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) यह ज्ञात ही है कि बम्बई राज्य के कम्पटी और वर्धा घाटियों के कोयला खान क्षेत्रों में कोयला मौजूद है । अब तक दो कोयला-खान क्षेत्रों में जो प्राक्लन किये गये हैं उन के अनुसार इन में कुल ४२ करोड़ ८० लाख टन कोयला है । इस बात की काफी संभावना है उमरेर क्षेत्र में भी कोयला वाली भूमि मौजूद है जो कच्छार की भूमि और दकन के "ट्रैप"[1] से ढ़की हुई है ।

(ख) कोयले के यह सारे निक्षेप गोंडवाना प्रणाली के बाराकार स्तर में हैं । अभी तक इन निक्षेपों का ब्यौरेरवार पता नहीं लगाया गया है और न इन्हें श्रेणी भाजित किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]"Traps"

(ग) चालू योजना अवधि में बम्बई राज्य में कोई भी कोयला-खान क्षेत्र कोयला निकालने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र को देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उमरेर तहसील की खनिज सम्पत्ति

†*२००. **श्री वि० च० शुक्ल :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री २१ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने उमरेर तहसील की खनिज सम्पत्ति के विदोहन के लिये वहां जो ब्यौरेवार जांच आरम्भ की थी, क्या वह पूरी हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो मोटे तौर पर उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उपयुक्त क्षेत्र में खनन-कार्य आरम्भ करने के सम्बन्ध में बम्बई राज्य सरकार के परामर्श से कोई निश्चय किया गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) उमरेर तहसील की ब्यौरेवार भूतत्वीय जांच अभी पूरी नहीं हुई है ।

(ख) जांच के परिणाम जांच पूरी होने के बाद ही ज्ञात हो सकेंगे ।

(ग) इस क्षेत्र में बम्बई राज्य सरकार के परामर्श से खनन-कार्य आरम्भ करने के प्रश्न पर जांच पूरी होने के बाद उस के परिणामों के आधार पर विचार किया जायेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष

†*२०१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैज्ञानिक, गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वैज्ञानिकों के जिस शिष्टमंडल ने मास्को में अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष के पांचवें सम्मेलन में भाग लिया था क्या उस ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस में क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी के डारेक्टर और अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष के लिये भारतीय राष्ट्रीय समिति के सदस्य डा० के० आर० रामनाथन ने, जो इस शिष्टमंडल के एकमात्र सदस्य थे, अपना प्रतिवेदन दे दिया है ।

(ख) प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८०]**

(ग) बताया जाता है कि यह मसला अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष की भारतीय राष्ट्रीय समिति के विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रद्दी अभ्रक का उपयोग

†*२०२. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वैज्ञानिक गवेषण और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ते के सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सिरैमिक रिसर्च इंस्टीट्यट ने रद्दी अभ्रक के उपयोग के लिये जो तरीका निकाला है क्या वह गीली पिसी हुई अभ्रक का वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन करने के लिये पट्टे पर किसी फर्म को दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है और उस प्रणाली को पट्टे पर देने से कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

धुंएं रहित इंधन का उत्पादन

†*२०३. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में धुंआ रहित घरेलू कोक का उत्पादन करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या इस विषय में कुछ गवेषणा की गई है ;

(ग) यदि हां, तो कब और किस स्थान पर, और उस के क्या परिणाम हुए ; और

(घ) क्या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये कम तापमान वाले कार्बोनाइजेशन-प्लांट[1] स्थापित किये गये हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन** मंत्री (**सरदार स्वर्ण सिंह**) : (क) संश्लिष्ट तेलों और अन्य तरल ईंधनों के उत्पादन के संदर्भ में गवेषणा कार्य के अलावा कुछ परियोजना अध्ययन मेसर्स लुर्गी और मेसर्स कापर्स (दोनों पश्चिमी जर्मनी के) और अमरीका के मेसर्स कैलग्स के सुपुर्द कर दिये ये थे। डा० जे० सी० घोष की अध्यक्षता में नियुक्त की गई विशेषज्ञों की एक समिति ने मार्च ९५७ में :

(१) कुल ६०० करोड़ रुपयों की पूंजी लागत पर मोटर स्पिरिट, डीजल तेलों, फेनोल और तारकोल आदि उप उत्पादों के साथ कम तापमान पर कार्बोनाइजेशन द्वारा ५ करोड़ टन घरेलू साफ्ट कोक के उत्पादन के लिये एक दीर्घ कालिक योजना ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Carbonisation Plants.

(२) इसी तरीके से लगभग ८ लाख घरेलू सौफ्ट कोक के उत्पादन की २० करोड़ रुपये की लागत की एक अल्पकालिक योजना की सिफारिश की है ।

लेकिन, संसाधनों सम्बन्धी कठिन स्थिति के कारण कोई योजना मंजूर करना या उस के लिये वित्त का उपबन्ध करना सरकार के लिये संभव नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग). जी हां । हैदराबाद की सेन्ट्रल रिसर्च लैबोरेटरी में १९५४ में और हाल ही में धनबाद के फ्यूएल रिसर्च इंस्टीट्यूट में छोटे पैमाने पर गवेषणा कार्य किया गया था ।

(घ) जी नहीं ।

खेल-कूद संबंधी शिक्षण शिविर [1]

†*२०४. **श्री रा० चं० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेलकूद संबंधी शिक्षण शिविर संगठित करने का कार्यक्रम जारी रखा जायगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक जारी रखा जायगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). खेल-कूद सम्बन्धी तदर्थ जांच समिति इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार कर रही है । समिति का प्रतिवेदन मिलने पर ही भावी कार्य नीति पर विचार किया जायेगा ।

जापान को लौह अयस्क का संभरण

†*२०५. **श्री पाणिग्रही :**
कुमारी मो० वेदकुमारी :
श्री गोरे :
श्री वि० चं० शुक्ल :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के किड़ीबुडू क्षेत्र से जापान को वर्ष में २० लाख टन लौह अयस्क का संभरण करने के ठेके के सिलसिले में खनन के बारे में सलाह देने के उद्देश्य से प्रविधिक परामर्शदाता की नियुक्ति के लिये विश्व भर के देशों से टेंडर मांगे गये हैं ;

(ख) विश्व भर के देशों से टेंडर मांगने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस समय यह मामला किस अवस्था में है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) बढ़िया परामर्शदातृ सेवा प्रदान करने के लिये प्रख्यात फर्मों से टेंडर मांगे गये थे । इस के अलावा, ऐसी फर्मों को टेण्डर भेजने की अनुमति दे दी गई थी जिन्हें इस सम्बन्ध में दिलचस्पी हो । विश्व भर के देशों से टेंडर नहीं मांगे गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Sports Coaching Camps.

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) सभी टेंडरों की जांच पूरी हो गई है और जापान कंसल्टिंग इंस्टीट्यूट का टेंडर ही सब से उपयुक्त पाया गया है ।

दिल्ली नगर निगम के लिये भवन

†*२०६. **श्री वाजपेयी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के प्रधान कार्यालय के भवन के निर्माण के लिये भूमि का आवंटन किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो यह किस जगह स्थित है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मद्रास-आं सीमा विवाद

†*२०७. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री १९ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास और आंध्र की सीमा के सीमांकन के लिये बनाये जाने वाले विधेयक में शामिल करने के लिये राज्य सरकारों की सभी प्रस्थापनायें तब से सरकार को प्राप्त हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पर विचार कर लिया गया है ;

(ग) क्या राज्य विधान सभाओं द्वारा विचार के लिये प्रस्तावित विधेयक राज्यों को भेज दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के कब तक भेज दिये जाने की संभावना है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) से (घ). मद्रास और आन्ध्र प्रदेश की सरकारों से प्राप्त प्रस्थापनाओं पर विचार किया गया था । दोनों राज्यों के बीच की सीमा निर्धारित करने वाले विधेयक का प्रारम्भिक प्रारूप हाल ही में राज्य सरकारों को उन की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिये भेजा गया है । ये टिप्पणियां प्राप्त होने पर इस विधेयक को अन्तिम रूप प्रदान किया जायगा और उस के बाद उसे औपचारिक रूप से दोनों विधान सभाओं के सुपुर्द कर दिया जायेगा ताकि वे उस पर अपने विचार प्रगट कर सकें ।

विदेश जाने वाले वैज्ञानिकों को वित्तीय सहायता

†*२१०. **श्री रा० चं० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेश जाने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को आंशिक आर्थिक सहायता देने की योजना अब भी चला रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या १९५८-५९ के लिये कुछ राशि मंजूर की गई थी ;

(ग) उन के व्यय का कितने प्रतिशत अंश सरकार देती है ; और

(घ) क्या विदेश से लौटने पर उन्हें अपने खर्च का हिसाब देना पड़ता है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**: (क) जी हां ।

(ख) १५,००० रुपये ।

(ग) किसी प्रतिशत अंश का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि ये अनुदान तदर्थ आधार पर दिये जाते हैं और सामान्यतया अनुदान की राशि किसी भी मामले में २,५०० रुपये से अधिक नहीं होती ।

(घ) जी नहीं ।

दिल्ली प्रशासन का पुनर्गठन

†*२११. **श्री वाजपेयी :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ११ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के पुनर्गठन के फलस्वरूप दिल्ली के चीफ कमिश्नर के कर्मचारियों में से कितनों के फालतू हो जाने की संभावना है ; और

(ख) उन को खपाने की क्या योजना है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) दिल्ली प्रशासन के पुनर्गठन की योजना से, जो शीघ्र ही लागू होने वाली है, सचिवालय के आकार में काफी कमी हो जायेगी और इस के अलावा, जहां तक व्यवहार्य होगा, विभागाध्यक्षों के लिये यह संभव हो जायेगा कि वे सचिव के बीच में आये बिना सीधे चीफ कमिश्नर के अधीन कार्य कर सकें । इस के फलस्वरूप सचिवालय में ४ अफसरों के और ४२ अनुसचिवीय पद फालतू हो गये हैं ।

(ख) समस्या अनुसचिवीय कर्मचारीवृन्द तक ही सीमित है । प्रशासन में जहां भी आवश्यकता होगी इन फालतू कर्मचारियों को अन्य कार्यालयों में भेज दिया जायगा । इन में से किसी की भी छंटनी नहीं की जा रही है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लौह अयस्क का उत्पादन

†*२१२. **श्री पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में लौह-अयस्क के उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो १९५७-५८ तक इस लक्ष्य की किस हद तक प्राप्ति हुई है ; और

(ग) क्या लौह अयस्क की खानों का यंत्रीकरण करने के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लौह अयस्क के उत्पादन के लिये १२५ लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(ख) १९५६ में ४,८९८ हज़ार टन का उत्पादन हुआ।

१९५७ में ५,०७४ हज़ार टन का उत्पादन हुआ।

(ग) मेसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड ने अपनी लौह अयस्क की खानों का यंत्रीकरण करने की योजनायें बनायी हैं।

इस्पात कारखानों के लिये विशेषज्ञ

†२८२. **श्री वि० चं० शुक्ल :**
श्री नाथ पाई :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों की विदेशी विशेषज्ञों सम्बन्धी आवश्यकताओं का तब से अनुमान लगाकर उसे अन्तिम रूप प्रदान कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(ग) उन्हें प्राप्त करने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड ने ऊंचे पर्यवेक्षी पदों के लिये अभारतीय कर्मचारियों की इस समय की आवश्यकता का जो हिसाब लगाया है, वह इस प्रकार है :

रूरकेला—६३, दुर्गापुर—५९।

(ग) दुर्गापुर और रूरकेला के उपयुक्त व्यक्ति प्राप्त करने के लिये पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन और अमरीका में कोशिश की जा रही है।

सैनिकों के लिये मकान निर्माण

†२८३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ८ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सैनिकों के लिये मकान निर्माण के उस कार्य में क्या प्रगति हुई है जिसके लिये सैनिक स्वयं श्रमदान करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : पूरे १४५० क्वार्टरों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है और वह संतोषजनक प्रगति कर रहा है ।

हिमाचल प्रदेश में दृश्य-श्रव्य शिक्षा

२८४. श्री पद्म देव : क्या **शिक्षा** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी हुई हो ;

(क) हिमाचल प्रदेश के लिये दृश्य-श्रव्य शिक्षा का क्या कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक किये गये कार्य का विवरण क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८१]**

हिमाचल प्रदेश में स्कूलों के भवन

२८५. श्री पद्म देव : क्या **शिक्षा** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी हुई हो :

(क) चालू वर्ष में अब तक हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक तहसील में सरकार द्वारा तथा गैर-सरकारी लोगों द्वारा पृथक्-पृथक् कितने स्कूलों के भवन बनाये गये ; और

(ख) कितनी शिक्षा संस्थायें बिना भवनों के काम कर रही हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हरिजन कल्याण

†२८६. **श्री नागी रेड्डी :**
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिजन कल्याण के केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड की २७ सितम्बर, १९५८ को आयोजित मीटिंग में—पड़ती जमीन को देने, वन प्रान्त में पौधे लगाने के लिये हरिजनों की सेवाएं प्राप्त करने, अनुसूचित जातियों के लिये श्रम सहकारी समितियां, आय के आधार पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने और मकान बनाने के लिये स्थान एवं मकान सम्बन्धी सुविधाओं पर चर्चा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत क्या-क्या निर्णय किये गये थे ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) २७ सितम्बर, १९५८ को आयोजित हरिजन कल्याण के केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड की मीटिंग के वह उद्धरण लोक-सभा के पटल पर रखे जाते हैं जिनमें उपरोक्त विषयों के बारे में सिफारिशें की गई हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८४]**

उड़ीसा में माध्यमिक शिक्षा

†२८७. **श्री पाणिग्रही :**
श्री प्र० के० देव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के बारे में उड़ीसा सरकार द्वारा अभी तक कितनी योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं :

(ख) क्या इनमें से कोई योजनाएं स्वीकार की गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के लिये उड़ीसा को कितनी रकम दी गई है अथवा देने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) चौदह।

(ख) जी हां। चौदह में से बारह योजनाएं केन्द्रीय सहायता की पात्र हैं तथा वह मंजूर कर दी गई है।

(ग) इन बारह योजनाओं के लिये ९·८१३ लाख रुपये देने का प्रस्ताव है।

धन-कर

†२८८. **श्री राम कृष्ण :**
श्री जाधव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धन-कर के आरम्भ होने से अभी तक यह प्रत्येक राज्य में कितना लगाया गया है ;

(ख) १९५८-५९ में अभी तक धन-कर के रूप में कुल कितनी राशि प्रत्येक राज्य से एकत्र की गई है ; और

(ग) अभी तक प्रत्येक राज्य में धन-कर के अधीन कितनी बकाया राशि है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) से (ग). विभिन्न राज्यों के आयुक्तों के प्रभार के अनुसार (क), (ख) और (ग) के बारे में जानकारी नीचे दी जाती है। चूंकि कुछ आयुक्तों का

---

†मूल अंग्रेजी में

क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है अतः कुछ राज्यों के बारे में पृथक् आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं :—

आयुक्तों का प्रभार	(क) धन-कर लागू होने में ३० सितम्बर, १९५८ तक एकत्र हुआ	(ख) १९५८–५९ में ३० सितम्बर, १९५८ तक एकत्र धन-कर	(ग) १९५७–५८ में निर्धारित और ३० अगस्त, १९५८ तक बकाया धन-कर
		(आंकड़े सहस्र रुपयों में हैं)	
१. आंध्र प्रदेश	३०,२५	९,८२	१,१७
२. आसाम .	३,२५	३५	७
३. बिहार और उड़ीसा	२१,६८	२,२८	१,१५
४. बम्बई .	३,१९,९८	६१,०६	१०,२६
५. दिल्ली और राजस्थान	१४,९६	५,९३	२,१८
६. केरल .	२३,१२	४,०५	२९
७. मद्रास	३९,७६	५,२७	१,०७
८. मैसूर .	९,२२	१,४३	४
९. मध्य प्रदेश	४,८५	२,९०	१५
१०. पंजाब और जम्मू तथा काश्मीर	२,२२	४७	८
११. उत्तर प्रदेश	१६,९७	२,६५	१,३१
१२. पश्चिम बंगाल	२,७९,४३	३४,७२	१७,७९
कुल .	७,६५,६९	१,३०,९३	३५,५६

सम्पदा शुल्क

†२८९. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ और १९५८–५९ में अभी तक प्रत्येक राज्य में सम्पदा-शुल्क के रूप में कितनी रकम निर्धारित की गई है ;

(ख) उपरोक्त अवधि में निर्धारित इस रकम में से १९५८–५९ में अभी तक सम्पदा-शुल्क की कितनी रकम यथार्थ रूप में संग्रह की गई है ; और

(ग) १९५७–५८ में सम्पदा-शुल्क की कितनी राशि राज्यवार बकाया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८३]**

भारतीय ओलम्पिक ऐसोसिएशन

†२९०. **श्री राम कृष्ण**: क्या **शिक्षा** मंत्री भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन और उसकी शाखाओं को १९५७–५८ में दी गई सहायता का स्वरूप और परिमाण बताने की कृपा करेंगे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : भारतीय ओलिम्पिक एसोसिएशन और उसकी शाखाओं को १९५७–५८ में कोई सहायता नहीं दी गई थी।

बेसिक शिक्षा सम्बन्धी अनुदान

†२९१. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में अभी तक संघ राज्य-क्षेत्रों और राज्यों को बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में दी गई कुल सहायता, राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र के अनुसार, बताने की कृपा करेंगे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८४]**

इस्पात संयन्त्र

†२९२. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न जानकारी दी गई हो :—

(क) प्रत्येक इस्पात संयंत्र द्वारा नियोजित मंत्रणादाताओं अथवा टैक्नीकल परामर्शदताओं का ब्यौरा एवं प्रत्येक मंत्रणादाता के कार्य क्या क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक को कितनी कितनी फीस दी जायेगी ;

(ग) प्रत्येक को कितनी फीस दी जा चुकी है ;

(घ) भारत अथवा अन्यत्र इनके कर्मचारियों को यदि कुछ खर्च दिया गया है तो वह कितना है; और

(ङ) उपरोक्त भाग (घ) के अन्तर्गत कुल कितनी रकम वितरित की गई है ?

†**इस्पात खान, और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (ङ). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८५]**

दल्ली स्थित अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति केन्द्र

†२९३. **श्री वाजपेयी :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राम कृष्ण :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क). क्या सरकार ने एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति केन्द्र दिल्ली में स्थापित करने का **निर्णय** किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस योजना का क्या ब्यौरा है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है और अखबारों में छपे समाचारों के अतिरिक्त उनके पास कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

विदेशी पूंजी विनियोक्ता

†२९४. **श्री नागी रेड्डी :**
श्री घोषाल :
श्री राम कृष्ण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में उद्योगों में नवीन योजनाओं के प्रतिष्ठापन अथवा वर्तमान योजनाओं के विकास के लिये विदेशी गैर-सरकारी पूंजी विनियोग, प्रत्येक देश का, १९५५ से १९५७ तक । प्रत्येक उद्योग में अलग अलग कितना है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : भारत में उद्योगवार और देशवार बैंकों के अतिरिक्त १९५४, १९५५ और १९५६ में विदेशी पूंजी विनियोग बताने वाले दो विवरण लोक-सभा के पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८६]**

अल्प बचत योजना

†२९५. **श्री प्र० कें० देव** : क्या **वित्त** मंत्री उड़ीसा राज्य में १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९ में अभी तक अल्प बचत योजना के अन्तर्गत एकत्र की गई रकम बताने की कृपा करेंगे ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : १९५८–५९ के पहले आप बचत योजना के अधीन एकत्रित रकम के आंकड़े जिले वार न होकर पोस्टल सर्कल के अनुसार रखे जाते थे । उड़ीसा में १९५६–५७ और १९५७–५८ में एकत्रित कुल रकम क्रमश : १ . २२ करोड़ रुपये और १ करोड़ रुपये थी । अप्रैल से सितम्बर, १९५८ की अवधि के बीच एकत्रित कुल रकम के प्रत्येक जिले के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	जिला	एकत्र की गई कुल रकम (हजार रुपयों में)	
१.	कटक और ढेंकानाल *	१९,३२	
२.	पुरी . .	६,१५	
३.	गंजम और फुलबनी*	५,९३	
४.	कोरापट	४,५९	
५.	कालाहांडी	१०	
६.	बालासोर और क्योंझर*	६,१३	
७.	मयूर भंज	५,२७	
८.	सम्बलपुर	८,६८	
९.	बोलनगिर	१,७६	(वापस ली गई
१०.	सुन्दरगढ़	५,२७	कुल रकम)

†मूल अंग्रेजी में

*पृथक आंकड़े उपलब्ध नही हैं ।

उड़ीसा में भारत सेवक समाज शिविर

†२९६. **श्री कुम्भार :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में अभी तक भारत सेवक समाज ने उड़ीसा राज्य में किन किन स्थानों में कितने शिविर संगठित किये हैं ।

(ख) सरकार ने इन पर कितना खर्च किया है ;

(ग) इस अवधि में कितने व्यक्ति प्रशिक्षित किये गये हैं ;

(घ) इनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बद्ध हैं ; और

(ङ) यदि इनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का एक भी व्यक्ति नहीं है तो इसका क्या कारण है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क), (ख) और (ग). उड़ीसा राज्य-में चालू वित्तीय वर्ष में १० नवम्बर १९५८ तक भारत सेवक समाज द्वारा आयोजित शिविर बताने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है ? **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८७]**

(घ) और (ङ). अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बद्ध शिविर-वासियों के बारे में पृथक संख्या नहीं रखी जाती है। इन जातियों के युवक भी शिविरों में उपस्थित रहते और शिविरों के संगठनकर्त्ताओं को उस प्रकार के विशेष अनुदेश रहते हैं कि वह उन्हें भरती करने के लिये विशेष प्रयत्न करें।

उड़ीसा में समाज कल्याण संगठन

†२९७. **श्री पाणिग्रही :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में उन स्वैच्छिक समाज कल्याण संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने १५ अगस्त १९५८ तक अनुदान दिया है ; और

(ख) इस प्रकार के संगठनों को अनुदान स्वरूप कितनी रकम दी गई है।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). लोक-सभा में २४ अप्रैल १९५८ को श्री पाणिग्रही के अतारांकित प्रश्न संख्या २७४५ के उत्तर के सम्बन्ध में बताई गई जानकारी के अतिरिक्त अन्य सूचना बताने वाला विवरण, जिसमें केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अगस्त, १९५८ की मीटिंग में स्वैच्छिक संगठनों को स्वीकृत राशि दी गई है, संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८८]**

चिलका झील

†२९८. **श्री उ० चं० पटनायक :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री चिलका झील के बारे में २४ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय नौसेना डाकयार्ड के निर्माण की उपयुक्तता के बारे में "झील पर ब्यौरेवार विचार" कब और किसने किया था ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या जांच पार्टी अथवा पार्टियों की रिपोर्ट की प्रतियां लोक-सभा के पटल पर रखी जायेंगी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) विजागापत्तम के तत्कालीन नौसेना प्रभारी कमांडर एस० जी० करमरकर, विजागापत्तम के गैरीजन इंजीनियर, कैप्टन एस० बी० राव; सर्जन-लेफ्टीनेंट जे० आर० पैभ्युअल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आई० एन० एस० मिटगर्स, विजागापत्तम में सर्व प्रथम १९४८ में चिलका झील का प्राथमिक सर्वेक्षण किया था ।

इस के पश्चात्, कैप्टन जी० गोवाल लैण्ड रायल नेवी, विजागपत्तम के तत्कालीन नौसेना प्रभारी और लैफ्टीनेंट कमाण्डर एन० कृष्णन्, डी० एस० सी० आर० आई० एन० नौसेना मुख्यालय में नौसेना योजनाओं के तत्कालीन निर्देशक ने उसके पश्चात्, १९४९ में चिलका झील का एक और सर्वेक्षण किया था ।

उस झील का अप्रैल १९५० में वाइस एडमिरल डबल्यू० ई० पैरी, के० सी० बी० भारतीय नौसेना के तत्कालीन कमाण्डर-इन-चीफ ने भी वैयक्तिक निरीक्षण किया था ।

(ख) दो सर्वेक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियां और वाइस-एडमिरल के द्वारा अभिलिखित टिप्पण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८९]**

विदेशी

†**२९९. श्री उ० चं० पटनायक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १ अप्रैल, १९५४ और १ अप्रैल १९५८ के बीच भारत में आने वाले विदेशियों और गैर-भारतीयों की संख्या (प्रत्येक देश और प्रत्येक वर्ष के अनुसार) निम्न श्रेणियों में कितनी कितनी है :—

(१) पर्यटक,

(२) विशेषज्ञ और परामर्शदाता,

(३) दूसरी हैसियत में ; और

(४) इनमें से आजकल जो यहां रह रहे हैं उनमें से कितने विदेशी अधिनियम के अधीन पंजीकृत हैं और कितने पंजीकृत नहीं हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पण्डित गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). भारत में रहने वाले पंजीकृत विदेशियों के बारे में ही जानकारी उपलब्ध है ; यह जानकारी प्रत्येक वर्ष में ३१ दिसम्बर तक है । १९५४, १९५५ और १९५६ के लिये दो वक्तव्य एक में संख्या और राष्ट्रीयता और दूसरे में अपेक्षित श्रेणियां दी गई हैं—वे लोक-सभा के पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्य ९०]** । १९५७ और १९५८ के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोकीन

†३००. **श्री वाजपेयी :**
श्री उ० ल० पाटिल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५ नवम्बर, १९५८ को दिल्ली में एक घर से १५,००० रुपये के मूल्य की प्रतिसिद्ध कोकीन जब्त की गई थी ;

(ख) इस घटना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) खतरनाक औषधियों में गैर-कानूनी व्यवसाय को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) गैर-कानूनी विपणन में लगभग ८००० रुपये के मूल्य की कोकीन हाइड्रोक्लोराइड की ७८ फायल २९ अक्टूबर, १९५८ को दिल्ली में एक घर से जब्त की गई थी ।

(ख) जानकारी मिलने पर २९ अक्तूबर, १९५८ को आबकारी विभाग के अधिकारियों ने मोहम्मद ईसा पुत्र अब्दुल मजीद शेख, मकान नम्बर १४४२, गली कासिम जान, निकट बल्लीमारान पुलिस स्टेशन हौजकाजी, दिल्ली के घर छापा मारा था । मकान की तलाशी लेने पर एक कार्ड बोर्ड बाक्स में कोकीन हाइड्रोक्लोराइड (प्रत्येक में एक-एक ड्राप) की ७८ फायल बरामद की गई । पुलिस स्टेशन हौज काजी में एक मामला दर्ज कर लिया गया है ।

(ग) (१) पड़ौसी राज्य अर्थात पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के नारकोटिक्स कमिश्नर तथा आबकारी कमिश्नर के सहयोग से तस्कर व्यापार के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों को गहन रूप दे दिया गया है ।

(२) इन राज्यों के नारकोटिक्स सूचना ब्यूरो और आबकारी प्राधिकारियों के साथ कुख्यात तस्कर व्यापारियों के सम्बन्ध में जानकारी का आदान-प्रदान किया जाता है ।

(३) दिल्ली के आबकारी कमिश्नर के कार्यालय में एक आबकारी सूचना ब्यूरो इसलिए स्थापित किया गया है कि वह इन तस्कर व्यापारियों का पीछा करते रहें ।

(४) रेलवे स्टेशन तथा अन्य महत्वपूर्ण मार्गों पर जांच कार्य बढ़ा दिया गया है ।

(५) आबकारी सम्बन्धी वस्तुओं के गैर-कानूनी काम को मालूम करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने एक दस्ते की स्थापना की है ।

दसूया में भूकम्पिक सर्वेक्षण

†३०१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **इस्पात खान और इंधन** मंत्री ३० अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसुया क्षेत्र के भूकम्पिक सर्वेक्षण में वहां तेल प्राप्त होने की कोई सम्भावना दिखाई दी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार इस क्षेत्र की गहन खोज करने का प्रस्ताव रखती है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) दसुया क्षेत्र के भूकम्पिक सर्वेक्षण के परिणाम ड्रिलिंग के लिए उत्साहवर्धक सिद्ध नहीं हुए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पंजाब में सम्बद्ध कालेजों को अनुदान

†**३०२. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में सम्बद्ध कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अभी तक यथार्थतः कितनी रकम आवंटित एवं वितरित की गई है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पहले से ही आवंटित रकम को प्रयुक्त करने में इन कालेजों के समक्ष उपस्थित टेक्नीकल तथा अन्य कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) क्या सम्बन्धित कालेजों द्वारा आयोग की ओर से स्वीकृत की गई वह राशि जो उक्त कठिनाइयों के कारण वित्तीय वर्ष में प्रयुक्त नहीं की गई थीं पुनः आयोग के पक्ष में व्यपगत हो जायेंगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९१]**

पंजाब विश्वविद्यालय के अध्यापक

†**२०३. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पंजाब विश्वविद्यालय के पास इस आशय का पत्र भेजा है कि वह प्राध्यापकों के वेतन-क्रम में वृद्धि करें तथा प्राध्यापकों के बढ़े हुए वेतन का पचास प्रतिशत देने के लिए प्रस्तुत रहें; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब क्रियान्वित की जायेगी और आयोग द्वारा इस दिशा में कितनी रकम दी जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९२]**

अखिल भारतीय स्मारक

†**३०४. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह कार्य** मंत्री २१ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वातंत्र्य संग्राम में १८५७ और १९४७ के बीच की अवधि में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में अखिल भारतीय स्मारक की स्थापना के बारे में और क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त):** लाल किले के सामने जहां चांदनी चौक समाप्त होता है स्मारक की स्थापना के लिए एक स्थान का चुनाव कर लिया गया है। इस काम की शर्तों और अवस्थाओं पर इसके लिए चुने गये वास्तुकी (आर्किटेक्ट) के साथ चर्चा कर ली गई है : आशा है कि इस विषय पर शीघ्र ही अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा।

पंजाब में सोने के निक्षेप

†३०५. **श्री राम कृष्ण:** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नारनौल तहसील, पंजाब में सोने के कण पाये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र में सोने के कण की विद्यमानता की पुष्टि के लिए कोई जांच की गई है; और

(ग) इस जांच का क्या परिणाम हुआ है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद्

†३०६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना के पश्चात् उसकी कोई बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो कब और कहां;

(ग) बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(घ) क्या परिषद् ने कोई सिफारिश सरकार को भेजी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां, दो बैठकें हुईं।

(ख) पहली बैठक १० तथा ११ मार्च, १९५८ को तथा दूसरी बैठक १० तथा ११ अक्तूबर, १९५८ को नई दिल्ली में हुई।

(ग) तथा (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९३]**

उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

†३०७. **श्री संगण्णा :** क्या **वित्त** मंत्री २१ अगस्त, १९५८ को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों के क्वार्टरों के सम्बन्ध में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक में कर्मचारियों के क्वार्टर बनने आरम्भ हो गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसमें कितनी प्रगति हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी नहीं ।

(ख) भूमि अर्जन के आदेश दिये जा चुके हैं और भूमि का अर्जन किया जा रहा है । इस बीच क्वार्टरों के निर्माण की योजनायें तथा प्राक्कलन बनाये जा रहे हैं ।

हिन्दी का विश्वकोष

†३०८. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी के विश्वकोष के कितने अंक अब तक प्रकाशित हो गये हैं;

(ख) क्या सब अंक बाजार में बिक्री के लिए प्रस्तुत कर दिये गये हैं;

(ग) क्या उन्हें सम्पूर्ण प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) २ अंक ।

(ख) अभी तक प्रकाशित किये जाने वाले अंक बाजार में बिक्री के लिए प्रस्तुत कर दिये गये हैं ।

(ग) इस आशय का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय छात्र सेना दल

३०९. **श्री पद्म देव:** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अब तक हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय छात्र सेना दल के कितने जूनियर डिवीज़न खोले गये;

(ख) ये कहां-कहां खोले गये हैं;

(ग) इस समय राज्य में कुल कितने सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न हैं; और

(घ) क्या सरकार का हिमाचल प्रदेश की सभी शिक्षा संस्थाओं में राष्ट्रीय छात्र सेना दल तथा सहायक छात्र सेना दल स्थापित करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९४]**

हिमाचल प्रदेश में राइफल शूटिंग क्लबें

३१०. **श्री पद्म देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में किन-किन स्थानों पर बन्दूक चलाना सिखाने वाली क्लबें काम कर रही हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार प्रशिक्षित नागरिकों को शस्त्र खरीदने और उनके लाइसेंस लेने के लिए प्रोत्साहन दे रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) रामपुर, सोलन, थ्योग, सूनी और मंडी शहर ।

(ख) राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे राइफल क्लबों को प्रोत्साहन तथा सुविधाएं दें और राइफल क्लबों के मेम्बरों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए निशाने बाजी के हथियार तथा आवश्यक कारतूस आदि का लाइसेंस मंजूर करने में उदारता से काम लें ।

तस्कर व्यापार

†३११. **श्री वें० प० नायर :** क्या वित्त मंत्री ८ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६७९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस० एस० "डुमरा" में प्रतिसिद्ध सोना रखने में अपराध का न्याय-निर्णयन अब पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख): अभी इस विषय का न्याय-निर्णयन नहीं किया गया है ।

धन-कर

†३१२. **श्री राम कृष्ण :**
श्री जाधव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धन-कर से सरकार को अन्य करों की चोरी के मामले पकड़ने में बड़ी मदद मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में १९५८ में अब तक कुल कितने मामले पकड़े गये हैं; और

(ग) इसी अवधि में प्रत्येक राज्य में इन मामलों से कुल कितनी राशि जमा हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) धन-कर अधिनियम, १९५७ को राष्ट्रपति की सम्मति १२-९-५७ को प्राप्त हुई और निर्धारण कार्य वास्तव में कहीं जाकर दिसम्बर, १९५७ में आरम्भ हो पाया । इस प्रकार १९५७–५८ के वित्तीय वर्ष में केवल चार महीने ही वास्तविक निर्धारण कार्य किया जा सका और अब भी १९५८–५९ के वित्तीय वर्ष का आधा ही भाग व्यतीत हुआ है । इस प्रकार अभी से अन्य करों की चोरी के मामलों को पकड़ने में इस अधिनियम के प्रभाव के बारे कुछ नहीं कहा जा सकता । फिर भी यह तो कहा ही जा सकता है कि इस अधिनियम का महत्व ही इस बात में है कि इससे आमदनी के जरियों को छिपाना संभव नहीं रहेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न के भाग (ख) और (ग) में अपेक्षित जानकारी विभिन्न राज्यों के आयुक्तों के प्रभारों के आधार पर नीचे दी जाती है। क्यों के कुछ आयु तों का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर फैला हुआ है इसलिये कुछ राज्यों के संबंध में पृथक आंकड़े तत्काल ही उपलब्ध नहीं हैं।

आयुक्तों के प्रभार	१९५८ में पकड़े गये मामलों की संख्या (३१-१०-५८ तक)	इन मामलों से १९५८ में वसूल हुई कुल राशि (३१-१०-५८ तक)
१. आन्ध्र प्रदेश . . .	१	४,०९३
२. आसाम	—	—
३. बिहार और उड़ीसा . . .	३	१,१९,०००
४. बम्बई	१०	४,४७,६६८
५. दिल्ली और राजस्थान . .	—	—
६. केरल	—	—
७. मद्रास	—	—
८. मैसूर	१	—
९. मध्य प्रदेश . . .	१	—
१०. पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर .	—	—
११. उत्तर प्रदेश . . .	—	—
१२. पश्चिम बंगाल . . .	२८	९१,७५५
जोड़ . .	४४	६,६२,५१६

अमरीकी राकेट, 'पायनियर'

†३१३. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नौशीर भरूचा :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ११ अक्तूबर, १९५८ को अमरीकी वायु सेना ने चन्द्रमा की ओर "पायनियर" नाम का एक राकेट छोड़ा था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने "पायनियर" की गतिविधि पर नजर रखी थी;

(ग) यदि हां, तो क्या आंकड़े संकलित हुए हैं;

(घ) क्या भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा संकलित आंकड़ों का अन्य देशों से विनिमय किया गया है;

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) आंकड़ों का यह विनिमय किन-किन देशों के साथ किया गया है; और

(च) इस मामले में सरकार ने भारतीय वैज्ञानिकों को क्या सहायता दी है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबीर)** : (क) जी हां।

(ख) जहां तक ज्ञात हुआ है, भारत में इस राकेट का पर्यवेक्षण नहीं किया गया था।

(ग) से (च). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

वैज्ञानिक और प्रविधिक जानकारी का प्रसार

†३१४. **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक और प्रविधिक जानकारी के प्रसार पर १९५७–५८ और १९५८–५९ में अब तक कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ख) सरकार ने यह राशि किस रूप में दी थी ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). यह जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

इंडोनेशियाई नौ-सेना के पोतों का भ्रमण

†३१५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि इंडोनेशियाई नौसेना के मालवाही पोत 'इमाम बंद्जोल' और 'सुरपति' ९ अक्तूबर, १९५८ को कोचीन पत्तन पर आये थे ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरमैया)** : जी हां।

बुनियादी शिक्षा

†३१६. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने १९५७–५८ में बुनियादी शिक्षा की प्रत्येक योजना पर कुल कितना आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक व्यय किया और १९५८–५९ के लिये वार्षिक व्यय का अनुमान क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९५]**

---

†मूल अंग्रेजी में

शान्ति स्थापना के लिये विदेशों में भारतीय सेना

३१७. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्नलिखित जानकारी दी हुई हो :

(क) भारतीय प्रतिरक्षा सेनाओं की विभिन्न टुकड़ियों ने जो संसार के विभिन्न भागों में शांति स्थापना के हेतु समय-समय पर गयीं, क्या कार्य किया;

(ख) भारत सरकार ने अब तक इस कार्य पर कितना व्यय किया है और इस व्यय में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितनी सहायता दी है;

(ग) क्या इन टुकड़ियों ने अपने काम के बारे में सरकार को रिपोर्ट दी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन रिपोर्टों की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जायेंगी ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९६]**

उड़ीसा की खानें

†३१८. **श्री दामानी :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में बिहार और उड़ीसा राज्यों की उन लौह-अयस्क खानों का नाम जिन के लदाई केन्द्र दक्षिण पूर्व रेलवे के बाराजमेडा क्षेत्र में स्थित हैं, और उन का १९५३–५४, १९५४–५५, १९५५–५६, १९५६–५७ और १९५७–५८ का उत्पादन भी दिया गया हो ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : १९५५-५६, १९५६-५७, और १९५७–५८ के लिये इस जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९७]** । खनिज एकीकरण तथा विकास नियम जुलाई, १९५५ में लागू हुए थे इसलिये १९५५ से पहले के उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

तस्कर-व्यापार

†३१९. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री सरजू पाण्डे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर पाकिस्तान सीमा पर १९५८ में अब तक कुल कितने तस्कर व्यापारी मारे गये और कितने गिरफ्तार किये गये ;

(ख) इन में से कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन थे;

(ग) इन तस्कर व्यापारियों से कितने मूल्य का माल बरामद किया गया है; और

(घ) गिरफ्तार किये गये लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १९५८ में (३१ अक्तूबर तक) अमृतसर पाकिस्तान सीमा पर १५ तस्कर व्यापारी मारे गये और १३५ गिरफ्तार किये गये।

(ख) मारे गये और पकड़े गये लोगों में से क्रमशः ११ और १४ पाकिस्तानी राष्ट्र-जन थे।

(ग) उन के पास से १०,९४,५३३ रुपयों का माल बरामद किया गया।

(घ) २७ व्यक्तियों पर अदालत में मुकदमे चलाये गये थे। इन में से १९ व्यक्तियों पर दोष सिद्ध हो गया और उन्हें दो सप्ताह से ले कर २ वर्ष तक के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। शेष लोगों के विरुद्ध दर्ज मामलों की अब भी जांच हो रही है।

उड़ीसा खनन निगम

†३२०. **श्री पाणिग्रही** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने उड़ीसा के खनन निगम को ऋण के रूप में अथवा अंश खरीद कर कुछ धन पेशगी दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि दी गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). जी हां। अंश खरीदने के लिये ५ लाख रुपये पेशगी दिये गये हैं।

ग्राम्य संस्थायें

†३२१. **श्री राम कृष्ण** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय योजना काल में ग्राम्य संस्थाओं का विस्तार करने की योजना को अन्तिम रूप प्रदान कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

महाकवि कालिदास का स्मारक

†३२२. **श्री राम कृष्ण** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री १९ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उज्जैन में महाकवि कालिदास का उपयुक्त स्मारक बनाने की योजना का ब्यौरा तैयार हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) और (ख). भोपाल की कालिदास समारोह समिति का एक कालिदास भवन निर्मित करने का प्रस्ताव था। प्रस्तावित भवन के विषय में सरकार को कालिदास समारोह समिति से अब तक कुछ भी ब्यौरे-वार सूचना नहीं मिली है।

उड़ीसा में शिक्षित बेरोजगार

†३२३. श्री पाणिग्रही : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में शिक्षितों की बेरोजगारी कम करने के लिये उड़ीसा सरकार को १९५७-५८ और १९५८-५९ में कुछ अनुदान दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) उपर्युक्त योजना के अधीन १९५७-५८ में उड़ीसा में कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख), लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९८]

(ग) किसी को नहीं।

उड़ीसा में प्राचीन स्मारकों का सर्वेक्षण

†३२४. श्री पाणिग्रही : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ पुरातत्व विभाग ने हाल ही में उड़ीसा में प्राचीन वस्तुओं, प्राचीन मंदिरों और स्मारकों और पुरातत्व सम्बन्धी तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो जुलाई, १९५८ तक उड़ीसा के कितने गांवों का सर्वेक्षण हो चुका था ;

(ग) उस तिथि तक उड़ीसा में कुल कितनी राशि व्यय हो चुकी थी ; और

(घ) क्या उड़ीसा के राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारकों की सूची को अन्तिम रूप प्रदान कर दिया गया है ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी हां।

(ख) २५४८।

(ग) प्रत्येक राज्य में हुए व्यय का विवरण उपलब्ध नहीं है। फिर भी सम्पूर्ण पूर्वी सर्किल का, जिस में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आसाम शामिल हैं, सितम्बर, १९५८ तक का व्यय लगभग ३१,००० रुपये हैं।

(घ) अभी नहीं।

प्राइमरी शिक्षा

†३२५. श्री सूपकार : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राइमरी शिक्षा का आधार और भी व्यापक बनाने की योजनाओं के लिये राज्यों को मूलत: मंजूर की गई राशि में कितनी कटौती की गई है ; और

(ख) इस कटौती का राज्यों के साक्षरता सम्बन्धी लक्ष्य पर कितना प्रभाव पड़ेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पुनर्मूल्यन के पश्चात् अभी अन्तिम रूप से इस बात का निश्चय नहीं हुआ है कि शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग की राशि का वितरण किस प्रकार किया जाय ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विदेश यात्रायें

†३२६. **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री पुन्नूस :
श्री मोहम्मद इमाम :
श्री पांगरकर :
श्री ले० अचौ सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में अब तक कितने कितने व्यक्ति (सरकारी और गैर-सरकारी) सरकारी और निजी खर्च से (पृथक् पृथक्) विदेश गये ; और

(ख) इन के दौरों में कितनी विदेशी मुद्रायें व्यय हुई हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) खेद है कि निजी खर्च से विदेश जाने वाले लोगों के सम्बन्ध में कुछ भी जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस के आंकड़े नहीं रखे जाते । जहां तक ऐसे सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों का सम्बन्ध है जो सरकारी खर्च से १ अप्रैल से ३१ अक्तूबर, १९५८ तक की अवधि में विदेश गये हैं उन की संख्या क्रमशः लगभग १०७६ और १७५ है ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में जिन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है उन पर ३३ लाख रुपये की विदेशी मुद्रायें व्यय हुई हैं । निजी खर्च से जाने वाले लोगों के विषय में यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

पॉलिटेक्निक्स[1]

†३२७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक जिले में पालिटेक्निक रखने की योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबीर)**: (क) और (ख). देश के प्रत्येक जिले में पालिटेक्निकों की स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई है । फिर भी, प्रविधिक शिक्षा के और आगे विस्तार में सरकार का लक्ष्य यही है कि प्रत्येक जिले

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Polytechnics.

में कम से कम एक पालिटेक्निक अवश्य हो । भावी पंचवर्षीय योजनायें तैयार करते समय इस लक्ष्य का ध्यान रखा जायगा ।

हिन्दुतान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड में पूंजी लगाना

†३२८. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड में सरकार ने कुल कितनी पूंजी लगाई है;

(ख) इस में से कितनी ऋण के रूप में है और कितनी साम्याधिकार पूंजी[1] के रूप में ; और

(ग) यह ऋण किन शर्तों और निबन्धनों पर दिया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) २६६.३१ करोड़ रुपये ।

(ख) ऋण: २०.५० करोड़ रुपये ; अंश : २४५.८१ करोड़ रुपये ।

(ग) सरकार द्वारा मंजूर किय गये ऋण के शेष भाग पर जिस दर से सूद लगेगा वह बैंक दर से एक प्रतिशत से अधिक न होगी । सरकार किसी भी अवस्था में उपयुक्त समय पर इस प्रश्न पर विचार करने के लिये स्वतंत्र है कि ऋण की कितनी प्रतिशत राशि को अशों में परिवर्तित किया जा सकता है, और वह उस पर लगे सूद के बारे में कुछ भी निर्णय कर सकती है ।

विदेशी मुद्राओं में वेतनों का भुगतान

†३२९. **श्री नाथ पाई** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात कारखानों के कितने पदाधिकारियों को भारतीय मुद्राओं को छोड़ कर अन्य मुद्राओं में उन के वेतन या पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है ;

(ख) यह राशि कितनी है;

(ग) विदेशी मुद्राओं में भुगतान करने का क्या कारण है ; और

(घ) क्या इस प्रकार के भुगतान में से कोई कर काटा जाता है, और यदि हां, तो किस आधार पर ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) दो । हालांकि इस्पात कारखानों में काम करने वाले विदेशी विशेषज्ञों के वेतनों का भुगतान भारतीय रुपयों के रूप में किया जाता है फिर भी भारत में काम करने वाले विदेशी राष्ट्रजनों को धन भेजने की जो सामान्य सुविधायें मिलती हैं, वह उन्हें भी उपलब्ध हैं ।

(ख) जापानी मुद्राओं में प्रतिमास क्रमश: ४०० डालर और १६५ डालर का भुगतान किया जाता है ।

(ग) इन दोनों टेक्नीशियनों की सेवायें जापान से प्राप्त की गई हैं और उन के साथ जो ठेका हुआ है उस की शर्तों के अनुसार उन का आधा वेतन भारत में पयों के रूप में और आधा जापान में जापानी मुद्राओं में दिया जाने को है ।

(घ) उनके वेतन भारतीय आयकर अधिनियम के उपबन्धों के अधीन हैं लेकिन वे उसी अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन भारतवर्ष में अपने निवास के प्रथम तीन वर्षों में आय-कर से छुटकारे की मांग कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Equity Capital

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्

३३०. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् प्रवासी भारतीयों के लिये एक पत्रिका निकालने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह पत्रिका किस भाषा में निकाली जायेगी ; और

(ग) इस का प्रकाशन कब से प्रारम्भ होगा ।

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

लौहे का कबाड़

†३३१. **श्री पु० र० पटेल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खराद और छेद करने के कामों में निकलने वाले लोहे के कबाड़ का नियंत्रित मूल्य क्या है ;

(ख) देश में खराद और छेद करने के काम से निकलने वाले लोहे के कबाड़ की जापान, अमरीका, ब्रिटेन आदि विदेशों में क्या कीमत आंकी या वसूली जाती है ; और

(ग) निकलने वाले कबाड़ का अधिक से अधिक मात्रा में निर्यात करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) छेद करने और खराद से निकले नये लोहे के कबाड़ का चालू संविहित मूल्य निकलने के स्थान पर २५ रुपये प्रति टन है ।

(ख) हालांकि अधिकृत रूप से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिर भी निर्यात करने वालों से जहां तक पता लग सका है, विदेशी खरीदारों से वसूला जाने वाला भाड़ा सहित मूल्य ९ पौंड से १० पौंड प्रति टन है ।

(ग) चादरों की कुछ श्रेणी की कतरनों के निर्यात लाइसेंस निर्बाध रूप से दिये जाते हैं । इसके अलावा भट्ठी मालिकों द्वारा न स्वीकार की जाने वाली कबाड़ के निर्यात के लिये भी लाइसेंस दे दिये जाते हैं ।

केन्द्रीय असैनिक सेवायें (आचरण) नियम

†३३२. **श्री तंगामणि** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक विभाग में केन्द्रीय सरकार के कुल कितने कर्मचारियों को केन्द्रीय असैनिक सेवायें (आचरण) नियम, १९५५ की धारा ४(क) के अधीन चार्जशीट दी गयी हैं ; और

(ख) उनमें से कितनों को वास्तव में दण्डित किया गया, और यह दण्ड किस प्रकार का था ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लोक-सहायक सेना के प्रशिक्षार्थियों को प्रतिकर

†३३३. **श्री कोडियान** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोक-सहायक सेना शिविर के उन पांच प्रशिक्षार्थियों के, जिनकी भोजन विषाक्त होने के कारण मृत्यु हो गयी थी, अभिभावकों की इस आशय की याचिकाओं पर विचार कर लिया है कि उन्हें ५,००० रुपये प्रतिकर या पर्याप्त मासिक पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाय; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). शिविर में विषाक्त भोजन के कारण जिन प्रशिक्षार्थियों की मृत्यु हो गयी थी उनमें से प्रत्येक के परिवार को अधिकतम २०० रुपये का भुगतान करने की मंजूरी दी गयी थी। अब सरकार ने इस प्रश्न पर पुनर्विचार कर इस राशि को बढ़ा कर ५०० रुपये प्रति परिवार कर दिया है।

भारत में विदेशी विनियोजन पर चर्चा के संबंध में प्रोफेसर हैरी जे० रॉबिन्सन का मसविदा

†३३४. **श्री परुलेकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रोफेसर हैरी जे० रॉबिन्सन ने भारत में विदेशी विनियोजन की नीति और विधियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये एक मसविदा दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने उनसे इस विषय पर कोई प्रतिवेदन मांगा था ;

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गयी हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने उन पर विचार किया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) से (घ). अमरीका के स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट के सीनियर इन्टर्नेशनल इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर हैरी जे० रॉबिन्सन भारत में पूंजी लगाने से सम्बन्धित अवसरों का अध्ययन करने के लिये फोर्ट फाउन्डेशन की वृत्ति पर १९५६ में भारत आये थे। अपने अध्ययन के फलस्वरूप उन्होंने एक प्रारूप-प्रतिवेदन तैयार किया जिसमें भारत में लगने वाली पूंजी सम्बन्धी नीति और विधियों की स्थिति का स्पष्टीकरण किया गया। श्री रॉबिन्सन ने अपने कार्य के एक अंग के रूप में ही अपने प्रतिवेदन का मसविदा तैयार किया और उसे सरकार को उपलब्ध कर दिया। सरकार ने यह प्रतिवेदन नहीं मांगा था। इस मसविदे में भारत में गैर-सरकारी विदेशी विनियोजन को शासित करने वाली सभी नीतियों और विधियों का तथ्यपूर्ण विवरण दिया हुआ है और किसी प्रकार की सिफारिश नहीं की गयी है।

पश्चिम जर्मनी में व्यवहारिक प्रशिक्षण

†३३५. **श्री रामकृष्ण** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १३ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-जर्मन औद्योगिक सहकारिता योजना के अधीन पश्चिम जर्मनी के उद्योगों में इंजीनियरिंग और टैक्नोलाजी की विभिन्न शाखाओं में व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिये जिन छात्रवृत्तियों का उपयोग नहीं किया जा सका क्या उन्हें प्रदान करने के उद्देश्य से उम्मीदवारों का चुनाव कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सूची की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक गवषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) स्थिति में कोई अन्तर नहीं हुआ है। अस्थायी रूप से चुनाव कर लिया गया है और पश्चिम जर्मनी के उद्यो ों स्थानों के सम्बन्ध में निश्चित जानकारी मिलते ही इस सूची को अन्तिम रूप प्रदान कर दिया जायेगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ताशकन्द का लेखक सम्मेलन

†३३६. **श्री जाधव** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ताशकन्द के एशियाई और अफ्रीकी लेखक सम्मेलन को वित्तीय या किसी अन्य प्रकार की सहायता प्रदान की है ;

(ख) इस सम्मेलन में भारत के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ; और

(ग) इस सम्मेलन के संयोजक कौन थे ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). इसके आलवा और कोई जानकारी नहीं मिली है जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है या इस कथित सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ व्यक्तियों ने दी है।

ज्वाला मुखी में भूमि अर्जन

†३३७. **श्री हेम राज** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ज्वालामुखी क्षेत्र में डीप ड्रिलिंग और स्ट्रक्चरल ड्रिलिंग के लिये प्राप्त की गयी अथवा प्राप्त की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल कितना है ;

(ख) यह भूमि किन-किन स्थानों में प्राप्त की गयी अथवा प्राप्त की जाने वाली है और ऐसे प्रत्येक स्थान पर उसका क्षेत्रफल क्या होगा ; और

(ग) इन प्रस्तावित स्थानों पर प्रति एकड़ कितना प्रतिकर दिया गया या दिया जाने वाला है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९९]**

जनरल तिम्मय्या का दौरा

†३३८. { **श्री रा० चं० व्यास :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक कार्यालयाध्यक्ष ने हाल ही में कुछ विदेशों का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया और इस दौरे में कौन-कौन उनके साथ गये ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वहं कनाडा, अमरीका, ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी गये थे। पश्चिम जर्मनी को छोड़ कर अन्य स्थानों में उनके साथ क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल दौलतसिंह और पुनर्गठन और विकास के मुख्य नियंत्रक ब्रिगेडियर बी० डी० कपूर गये थे।

अफगानिस्तान को विद्वानों का शिष्टमण्डल

†३३९. **श्री प्र० के० देव :**
श्री बि० चं० प्रधान :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद में केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड ने जो निश्चय किया था क्या उसके अनुसार प्राचीन सिक्कों का अध्ययन करने के लिये विद्वानों का एक शिष्टमण्डल अफगानिस्तान भेजा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इन विद्वानों का चुनाव किस आधार पर किया जायगा ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) सरकार ने अभी यह सिफारिश मानी नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अन्दमान म आदिवासी

+

†३४०. **श्री प्र० के० देव :**
श्री बी० च० प्रधान :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान में आदिवासियों की कितनी संख्या है;

(ख) उनके उत्थान के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिये कितनी राशि का उपबन्ध किया गया है ; और

(घ) वास्तव में अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में विभिन्न वर्गों के निम्न संख्या में आदिवासी हैं :—

अन्दमान वासी	२३
जरवा	३०० से ४००
ओंग	६००
शोम्पेन	१००
निकोबार वासी	११७–९२

(ख) एक विवरण सम्बद्ध है [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १००]

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के आदिवासियों के उत्थान के लिये निम्न प्रकार से राशि का उपबन्ध दिया गया है :—

	लाख रुपये
(१) आदिम जातीय कल्याण योजना . . .	१.०
(२) नीकोबार में एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड .	०.७५
(३) नीकोबार में नारियल बागानों का विकास . . .	१.००
(४) यौन रोग उपचार केन्द्र, नीकोबार . . .	०.७६
(५) नीकोबार में सड़कों का निर्माण . . .	१०.००
(६) नीकोबार में शिक्षा	२.००
(७) कार-नीकोबार में ५० पलंग वाला अस्पताल . .	२.५०
(८) कार-नीकोबार में मातृ तथा शिशु कल्याण केन्द्र . .	.०.६६
(९) आदिवासियों के रहने वाले क्षेत्रों में जल संभरण . .	१.००

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है जो यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राजस्थान में छूआछूत

३४१. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के अन्तर्गत १ जनवरी, से ३१ अक्तूबर, १९५८ तक राजस्थान में कितने लोगों के विरुद्ध अभियोग चलाये गये ;

(ख) उनमें कितने लोगों को दण्ड दिया गया ; और

(ग) कितने लोगों को बरी कर दिया गया ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क), से (ग) : यह सूचना राजस्थान सरकार से मंगाई है। प्राप्त होने पर वह सभा-पटल पर रखदी जायेगी।

त्रिपुरा परिषद् नियम

†३४२. **श्री दशरथ देब :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिषद् का कार्य-संचालन करने के लिये त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् द्वारा बनाये गये नियमों पर त्रिपुरा के प्रशासक द्वारा सहमति मिल गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार की सहमति देने में विलम्ब होने से परिषद् के काम में बाधा पहुंचेगी ; और

(ग) बनाये गये नियमों पर शीघ्र सहमति देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) त्रिपुरा प्रादेशिक-परिषद् (कार्य-संचालन) नियम, १९५८ का पुनरीक्षित प्रारूप त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् के सभापति के पास भेज दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) परिषद् अस्थायी रूप से अपने बनाये गये नियमों का पालन कर रही है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

एम० बी० बी० कालेज, अगरतला

†३४३. श्री दशरथ देब : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० बी० बी० कालेज अगरतला, त्रिपुरा में बंगला और कामर्स के वरिष्ठ प्राध्यापकों के स्थान काफी समय से खाली पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों को भरने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). (१) बंगला में वरिष्ठ प्राध्यापक का स्थान १-२-१९५८ से खाली है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उपयुक्त, उम्मीदवार का चुनाव लम्बित रहने के कारण उस पद पर पहले जो व्यक्ति काम करता था उसी का चुनाव करने का विचार किया गया था किन्तु उसने इस स्थान को स्वीकार करने में अपनी अनिच्छा दिखाई है। स्थान की पूर्ति यथा शीघ्र करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(२) कामर्स में वरिष्ठ प्राध्यापक का स्थान खाली नहीं है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन संगीत संस्था

†३४४. { श्री वाजपेयी :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन एक संगीत संस्था की स्थापना करने की योजना पर अन्तिम रूप से निश्चय हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०१]

पंजाब में आपातकालीन सहायता संगठन

†३४५. श्री दलजीत सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पंजाब में कोई आपातकालीन सहायता संगठन स्थापित किया गया है ?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : जी हां।

अस्पृश्यता

†३४६. श्री दलजीत सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री २४ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५७७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन के लेखाओं की जिनको अस्पृश्यता दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रत्यक्ष अनुदान मिलता है, पिछली बार कब परीक्षा की गई थी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या ऐसे संगठनों के पिछले लेखा परीक्षा की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) जानकारी निम्न प्रकार है :

संगठन का नाम	संगठन के लेखाओं की लेखा परीक्षा का दिनांक
(१) भारतीय दलित वर्ग संघ . . .	४ अप्रैल, १९५८
(२) अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ . .	२४ अप्रैल, १९५८
(३) ईश्वर शरण आश्रम	३० अप्रैल, १९५८
(४) भारत दलित सेवक संघ (भारतीय दलित वर्ग समाज के सेवक)	१० नवम्बर, १९५८

(ख) प्रत्येक संगठन के १९५७–५८ के लेखाओं की लेखा-परीक्षा की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०२]

अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये संरक्षण

†३४७. श्री दलजीत सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री १६ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१६७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय में इस समय असिस्टेंटों और क्लर्कों के कितने स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित है ;

(ख) रक्षित स्थानों के न भरे जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) रक्षित कोटा कब तक भरा जायेगा ।

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय में असिस्टेंटों और क्लर्कों के स्थान क्रमशः केन्द्रीय सचिवालय सेवा तथा केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा की पदाली में सम्मिलित कर लिये गये हैं, जिन पर प्रत्यक्ष भर्ती के लिये अखिल सचिवालय सेवा के आधार पर गृह-कार्य मंत्रालय की ओर से लोक सेवा आयोग द्वारा एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा के द्वारा किया जाता है। इस भर्ती में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये संरक्षण, जो अखिल सचिवालय के आधार पर होता है, निम्न प्रकार है, नामतः—

अनुसूचित जातियां	१२½ प्रतिशत
अनुसूचित आदिमजातियां . . .	५ प्रतिशत

(ख) और (ग). असिस्टेंटों के वेतन क्रम में अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित कोटा पूरा भर गया है। इस वेतन क्रम में अनुसूचित आदिमजाति के लोगों की कमी का वहां तक संबंध है। तथा अन्य क्रमों में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिमजातियों की कमी का प्रमुख कारण इन जातियों से उपयुक्त उम्मीदवारों का न मिलना है। अतः इन जातियों के लिये रक्षित कोटा कब तक पूरा किया जा सकेगा इसके लिये कोई समय निर्धारित कर सकना सम्भव नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के अधीन काम करने वाली समितियां

†३४८. **श्री दलजीत सिंह :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री इन समितियों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के अधीन १९५७-५८ में काम किया था ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** १९५७–५८ में निम्न समितियों ने काम किया था :—

१. कोयला मूल्य पुनरीक्षण समिति ।

२. कोयला खानों में थाक लगाने के प्रयोजनार्थ दामोदर घाटी निगम परियोजना की नदियों के डेल्टाओं से रेत के परिवहन तथा वितरण के तरीकों का अध्ययन करने के लिये विस्तृत सर्वेक्षण तथा जांच-पड़ताल करने वाली विशेषज्ञ टीम ।

३. ग्रांड ट्रंक रोड तथा पश्चिम बंगाल के आसनसोल उप-डिविजन में बारकर नगर के अधीन कोयला खान के काम के स्थायीकरण के लिये संसाधन संबंधी तदर्थ समिति ।

४. संसाधन निर्धारण संबंधी समिति ।

५. आवश्यकता तथा उपयोग संबंधी समिति ।

६. उत्पादन तथा निर्माण संबंधी समिति ।

७. परिवहन संबंधी समिति ।

(अन्तिम चार समितियां भारत के कोयला परिषद् की हैं)

८. ईंधन क्षमता समिति ।

९. कोयला मंत्रणा समिति ।

१०. कोयला परिवहन मंत्रणा समिति ।

११. तेल निकालने और उत्पादन, अपरिष्कृत तेल को साफ करने तथा प्राकृतिक और साफ की हुई गैसों के उपयोग से संबंधित मामलों पर मंत्रणा देने वाली समिति ।

१२. निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड के लिये टेक्निकल विशेषज्ञ की स्थायी तालिका ।

१३. निम्न कोटि के अयस्कों के लाभ पर रिपोर्ट देने वाली समिति ।

१४. खनिज मंत्रणा बोर्ड ।

१५. चार क्षेत्रीय परिषदें (खनिज) ।

१६. भारतीय खान ब्यूरो तथा राज्य सरकारों की आवश्यकता में समायोजन करके एक सन्तोषजनक तरीका आंकड़े संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिये काम करने वाला ग्रुप ।

१७. खान मंत्रणा बोर्ड की अभ्रक उप-समिति ।

१८. अभ्रक मंत्रणा समिति ।

---

†मूल अंग्रजी में

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये भूमि

†३४६. **श्री कुम्भार :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों को मिलने वाली कृषि योग्य भूमि और वित्तीय सहायता गैर अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों को आवंटित कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है ; और

(ग) अवैध आवंटकों से इस प्रकार की भूमि प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) जहां तक दिल्ली के संघ क्षेत्र का संबंध है, ऐसा नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(१) अन्दमान और नीकोबार द्वीप समूह तथा (२) लकादिव, मिनीकाय और अमीन-दीवी द्वीप के संघ क्षेत्र के बारे में यह प्रश्न इसलिये नहीं उठता क्योंकि वहां अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिमजातियों के लोग नहीं हैं और दूसरे में सारी जनसंख्या अनुसूचित आदिमजातियों की ही है ।

मनीपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश जो संघ राज्य के शेष क्षेत्र हैं, इनके बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है जो यथासमय सभा-पटल पर रखदी जायेगी ।

कलकत्ता विश्वविद्यालय

†३५०. **श्री साधन गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ योजनाओं के लिये कलकत्ता विश्वविद्यालय को कुछ अनुदान अथवा ऋण देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो यह अनुदान और ऋण किस रूप में होगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[देखि` परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०३]**

भारत इलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†३५१. **श्री उ० च० पटनायक :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत इलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड में जनवरी, १६५६ से ३१ मार्च, १६५८ में कितने मूल्य का उत्पादन हुआ ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : भारत इलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड में १ जनवरी, १६५६ से ३१ मार्च, १६५८ तक ३३.६५ लाख रुपये के मूल्य का इलेक्ट्रानिक सामान तैयार किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत इलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट्स (प्राइवट) लिमिटेड में विदेशी

†३५२. **श्री उ० च० पटनायक** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत इलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट (प्राइवेट) लिमिटेड में ३१ मार्च, १९५८ तक कितने "विदेशी" तथा अन्य भारतीय राष्ट्रजन काम करते थे ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : सैंतीस ।

आय-कर अपीलें

†३५३. **श्री राजेश्वर पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपीलीय असिस्टेंट कमिश्नर के पास तीन वर्ष पूर्व दी गई कितनी अपीलें लम्बित हैं ; और

(ख) इन अपीलों के निबटारे में शीघ्रता करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १-१०-१९५८ को लम्बित अपीलों की संख्या २५९८ थी ।

(ख) अपीलों को निबटाने के लिये और विशेषकर पुरानी अपीलों के लिये अनेक उपाय किये गये हैं । पुरानी अपीलों की निकासी पर उचित जोर देने के लिये प्रत्येक अपीलीय असिस्टेंट कमिश्नर के क्षेत्र में एक सुनियोजत कार्यक्रम पहले से ही तैयार किया जा चुका है । केन्द्रीय राजस्व बोर्ड प्रत्येक अपीलीय क्षेत्र की निबटाई गई अपीलों की जांच प्रति मास करता है तथा उन के शीघ्र ही निबटाने के बारे में जहां कहीं आवश्यकता होती है, यथोचित निदेश जारी करता है । हाल ही में अपीलीय असिस्टेंट कमिश्नरों की संख्या भी काफी बढ़ा दी गई है ।

तीन वर्ष से अधिक समय पुरानी अपीलों की संख्या तथा उन की निकासी १-४-१९५८ को ३५२२ थी जबकि इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप १-१०-१९५८ को यह संख्या २५९८ रह गई है ।

आय-कर की वापसी

†३५४. **श्री राजेश्वर पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर दाता को वापस लौटाई जाने वाली राशि का औचित्य सिद्ध होने पर उसे लौटाने के आय-कर विभाग को सामान्यत: अधिक से अधिक कितना समय लगता है ; और

(ख) क्या इस बात का सुनिश्चय करने के लिये कोई व्यवस्था है कि ऐसे भुगतान कर दाताओं को समय के भीतर लौटा दिये जायें ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) कानून के अन्तर्गत आय-कर की वापसी के लिये जबकि वह औचित्य ठहराया जा चुका हो, आय-कर प्राधिकारियों द्वारा उस की वापसी के लिये कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है । निदेश यह है कि ऐसी राशि यथाशीघ्र वापस लौटा दी जानी चाहिये ।

(ख) आय-कर अधिनियम की धारा ४८ के अधीन प्रत्येक आय-कर सर्किल में कर दाताओं द्वारा वापसी के लिये किये गये दावे निबटारे को बताने वाला एक अलग रजिस्टर

†मूल अंग्रेजी में

रखा जाता है। इस रजिस्टर की जांच नियमित रूप से आय-कर पदाधिकारी द्वारा इसलिये की जाती है कि वापसी के ऐसे आवेदनों को निबटाने में निरर्थक विलम्ब न हो। इसी प्रकार उन मामलों का रजिस्टर भी रखा जाता है जिन में अपीलें की जाती हैं। इस से आय-कर पदाधिकारियों को इस का सुनिश्चय करने में सहायता मिलती है कि अपीलों पर निर्धारित समय के अन्दर हो जाता है।

इम्फाल में गवर्नमेंट डी० एम० कालेज

†३५५. **श्री ले० अचौ सिंह** :क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल के गवर्नमेंट डी० एम० कालेज में पढ़ने वाले आदिम-जाति के छात्रों के लिये छात्रावास की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तथा उन्हें केन्द्रीय सरकार की छात्र-वृत्तियों की पूरी राशि नहीं दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो उन के लिये आवास की पर्याप्त व्यवस्था करने तथा छात्रवृत्ति की पूरी राशि दिलाने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). डी० एम० कालेज, इम्फाल में भर्ती १०० आदिमजाति के छात्रों में से ७८ छात्रों के लिये छात्रावास की व्यवस्था है। ५० और छात्रों के लिये छात्रावास की व्यवस्था करने के प्रश्न पर इस वर्ष विचार किया गया और आगामी वर्ष के आयव्ययक में छात्रावास के विस्तार का उपबन्ध किया जा रहा है।

छात्रावास में रहने वालों तथा उन के अतिरिक्त छात्रों की छात्रवृत्ति की दर प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये अलग-अलग है। प्रत्येक वर्ग के छात्र को जितनी छात्रवृत्ति मिलनी चाहिये उतनी पूरी छात्रवृत्ति हमेशा मिलती रहती है।

पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†३५६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त से अक्तूबर, १९५८ के बीच प्रतिमास पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों ओर भारतीय सीमा का अवैध रूप से उल्लंघन कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने किया ;

(ख) कितने लोगों पर अभियोग चलाया गया ;

(ग) उन में से कितने मामले अभी लम्बित हैं ; और

(घ) कितने लोगों ने पाकिस्तान वापस जाने से इन्कार कर दिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पण्डित गो० ब० पन्त)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है जो उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय वायु सेना में सरकारी निधियों की व्यवस्था

†३५७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सेना में सरकारी निधियों की व्यवस्था की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) इस समिति के सदस्य कौन-कौन से लोग हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस समिति का मुख्य प्रयोजन तथा कार्य क्या हैं ; और

(घ) इस समिति द्वारा अब तक क्या कार्य किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के संबंध में दिये गये निदेश पदों के अनुसार एक समिति नियुक्त की गई थी ।

(ख) **सभापति**—श्री आर० एस० हजारनवीस, विधि उपमंत्री

सदस्य

(१) श्री वी० जी० राव, संयुक्त सचिव, प्रतिरक्षा मंत्रालय

(२) एयर वाइस मार्शल, अर्जुन सिंह, ए० ओ० सी०—इन-सी ; आपरेशनल कमान

(३) श्री एस० के० मुकर्जी, प्रतिरक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिण कमान

(४) ब्रिगेडियर, के० टी० मैथ्यू, जज एडवोकेट जनरल, सेना मुख्यालय

सचिव

श्री एम० सुब्रमण्यम्, उप-सचिव, प्रतिरक्षा मंत्रालय

(ग) (१) पूना स्थित वायु सेना, विंग संख्या २ के लोक लेखा के निर्वहन, निरीक्षण एवं नियंत्रण की पद्धति और प्रक्रिया की जांच करने को यह निर्धारित करने के लिये कि वायु सेना के उपर्युक्त स्टेशन में लगभग ३।। लाख पये जैसी बड़ी रकम का गबन किस प्रकार संभव हो सका ;

(२) उन व्यक्तियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित करना जो अपने कर्तव्य करने के बारे में लापरवाही करने के लिये अपराधी रहे जिस से गबन में सहायता मिली हो ।

(३) वायु सेना की सरकारी निधियों के निरीक्षण और नियंत्रण के लिये जो विद्यमान अधिकृत प्रणाली तथा प्रक्रिया अपनाई गई है वह गबन से बचने के लिये पर्याप्त है और जहां तक आवश्यकता हो उस में सुधार करने के उपाय बताना ।

(घ) समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है जो विचाराधीन है ।

प्रतिरक्षा गवेषणा तथा विकास संगठन समिति

†३५८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक प्रतिरक्षा गवेषणा तथा विकास संगठन समिति नियुक्त की है;

(ख) इस समिति का मुख्य प्रयोजन तथा कार्य क्या है;

(ग) इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) इस समिति द्वारा अब तक कितना कार्य किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) जी हां ।

(ख) प्रतिरक्षा गवेषणा और विकास पर परामर्श करना, प्रतिरक्षा गवेषणा सम्बन्धी नीतियों को बनाने में सहायत देना तथा सरकार को प्रतिरक्षा गवेषणा सम्बन्धी कार्यों में विश्वविद्यालयों तथा अन्य गवेषणा संस्थाओं के लिए आवंटन के बारे में सिफारिश करना ।

(ग) **सभापति**—प्रतिरक्षा मंत्री के वैज्ञानिक परामर्शदाता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य--सरकार द्वारा नामांकित छः प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं इंजीनियर।

चीफ आफ दि जनरल स्टाफ

डिप्टी-चीफ आफ नेवल स्टाफ

डिप्टी-चीफ आफ एयर स्टाफ

वित्त मंत्रालय (प्रतिरक्षा) के अतिरिक्त वित्तीय परामर्शदाता

प्रतिरक्षा उत्पादन के महानियंत्रक

मुख्य नियंत्रक (गवेषणा और विकास)

मुख्य वैज्ञानिक

टेक्निकल विकास तथा उत्पादन (वायु) निदेशक

(घ) अभी तक नहीं मिली है।

लोहा और इस्पात के आयात में कमी

†३५९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में लोहा और इस्पात के आयात में कितनी कमी का अनुमान लगाया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: १९५७ की तुलना में १९५८ में लोहा और इस्पात के आयात में ५ लाख टन की कमी का अनुमान लगाया गया है।

माध्यमिक शिक्षा

†३६०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री १३ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा १९५७-५८ में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए जितनी राशि दी गई थी उसमें से प्रत्येक राज्य ने वास्तव में कितनी राशि का उपयोग किया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मांगी गई जानकारी एकत्र की जा रही है जो यथासमय दी जायेगी।

पुस्तकालयों के लिये मंत्रणा समिति

†३६१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री १८ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुस्तकालयों की मंत्रणा समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां। १५-११-५८ को।

(ख) और (ग). प्रतिवेदन विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी मिलों पर बकाया राशि

†३६२. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश की विभिन्न चीनी मिलों से सरकार को कितनी राशि अब मिलती है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** सरकार को चीनी मिलों से आय-कर, अतिरिक्त लाभ कर, व्यापार लाभ कर, सम्पदा कर तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मिलना है । (१) आय-कर, अतिरिक्त लाभ-कर, व्यापार लाभ कर और सम्पदा कर तथा (२) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के बारे में अलग-अलग स्थिति बताने वाले दो विवरण अनुबन्ध 'क' और 'ख' में दिये गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०४]**

अफीम का निर्यात

†३६३. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्ष में (वर्षवार) भारत से प्रत्येक देश को अफीम का कितना निर्यात किया गया और उसका मूल्य क्या था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) :** एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०५]**

विदेशी व्यक्तियों सम्बन्धी अधिनियम

†३६४. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में विदेशी व्यक्तियों सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत दिल्ली में कुल कितने नोटिस दिये गये;

(ख) उन नोटिसों के अनुसार कुल कितने व्यक्ति दिल्ली से बाहर गये;

(ग) इन नोटिसों का पालन न करने पर कुल कितने व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे किये गये; और

(घ) इन नोटिसों का अतिक्रमण करने पर कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त):** (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

इस्पात का आयात

†३६५. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री पांगरकर :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में प्रत्येक देश से, अलग-अलग कितने इस्पात का आयात किया गया और उसका कितना मूल्य था ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०६]**

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब की शिक्षा संस्थाएं

†३६६. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री १६ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ में (अब तक) पंजाब में शिक्षा संस्थाओं को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) यह राशि किस प्रयोजन के लिए दी गई थी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क)

१९५७-५८	२,५८,०८६ रुपये
१९५८-५९ (अब तक) . .	३१,४८,८१० रुपये २२ न० प०

(ख) यह राशि कई कामों के लिए दी गई थी जो नीचे उल्लिखित हैं :—

(१) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों के छात्रावासों के निर्माण के लिए ।

(२) पंजाब विश्वविद्यालय को पुनर्वास तथा अन्य अनुदानों के लिए ।

(३) कुछ संस्थाओं को उस गवेषणा कार्य के लिए, जो उन्हें इस मंत्रालय ने सौंपा है, अनुदान देने के हेतु ।

(४) समाज शिक्षा कार्य, छात्रों की यात्राओं, समाज सेवा कैम्प और क्षेत्र कार्य (कैम्पस वर्क) के लिए अनुदान ।

(५) नर्सरी और बेसिक स्कूलों की इमारतें बनाने और उनके लिए सामान तथा पुस्तकों की व्यवस्था करने के लिए ।

पंजाब की खेल संस्थायें

†३६७. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में (अब तक) पंजाब राज्य में खेल संस्थाओं को कुल कितना अनुदान दिया गया; और

(ख) किन-किन खेल संस्थाओं को ये अनुदान दिये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). १९५८-५९ में अब तक पंजाब राज्य में खेल संस्थाओं को कोई अनुदान नहीं दिये गये हैं । राष्ट्रीय खेल संघों को, जिन के मुख्यालय पंजाब राज्य में हैं निम्नलिखित अनुदान दिये गये हैं :—

	रुपये
१. बास्केटबाल फैडरेशन आफ इंडिया, पटियाला (सचिव को वेतन चुकाने के लिए)	४,४४६.६६
२. इंडियन हाकी फैडरेशन, पटियाला (सचिव का वेतन चुकाने के लिए)	२,४५०.००
३. बास्केटबाल फैडरेशन आफ इंडिया, पटियाला (फैडरेशन के सचिव को मद्रास में फिजियोथेरेपी के पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए भेजने के कारण)	३७०.८८

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में छात्राओं के लिए छात्रावास

†३६८. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी अथवा गैर-सरकारी प्रबन्ध के अधीन छात्राओं के लिए कोई छात्रावास है;

(ख) यदि हां, तो वहां कितनी छात्रायें रह रही हैं; और

(ग) १९५६-५७ और १९५७-५८ में प्रत्येक छात्रावास को कितनी आर्थिक सहायता दी गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब में अफीम का उत्पादन

†३६९. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्ष में वर्षवार पंजाब के प्रत्येक जिला में अफीम का कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) इन वर्षों में (वर्षवार) प्रत्येक जिला में कितने क्षेत्रफल में पोस्त की काश्त की गई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख). अफीम के उत्पादन के लिये पंजाब में पोस्त को काश्त नहीं होती है। पंजाब में पोस्त के डोडे और बीज का उत्पादन ३१ मार्च, १९५८ से प्रतिषिद्ध कर दिया गया है ।

एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०७] जिस में बताया गया है कि गत पांच वर्ष में कितने क्षेत्रफल में पोस्त की काश्त की गई और पोस्त के डोडे का कितना उत्पादन हुआ था ।

विदेशी

†३७०. **सरदार इकबाल सिंह:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ में कितने विदेशी दिल्ली आये ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** केवल उन्हीं विदेशियों की संख्या मालूम है जो ३१ दिसम्बर, १९५७ को दिल्ली में रह रहे थे और जिन का पंजीयन किया गया था । संख्या २३४२ थी ।

जिला फिरोजपुर में श्रम तथा समाज सेवा कैम्प

†३७१. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में जिला फीरोजपुर और पंजाब में केन्द्रीय सरकार की सहायता से छात्रों तथा अन्य युवकों के कुल कितने श्रम तथा समाज सेवा कैम्प लगाये गये और उन के नाम क्या थे;

(ख) उपरोक्त क्षेत्रों में १९५८–५९ में ऐसे कुल कितने कैम्प लगाये जायेंगे;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) किस प्रकार का कार्य किया गया; और

(घ) स्थानों का चुनाव किस प्रकार किया गया और जनता का सहयोग कैसे प्राप्त किया गया ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और एक अलग विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा।

पंजाब में बहुप्रयोजनीय स्कूल

†३७२. सरदार इकबाल सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में पंजाब में (जिलावार) कुल कितने बहुप्रयोजनीय स्कूल खोले जायेंगे ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :

पटियाला	७
कपूरथला	१
भटिंडा	५
संगरूर	३
महेन्द्रगढ़	२
अम्बाला	१२
हिसार	४
रोहतक	३
गुड़गांव	३
करनाल	५
अमृतसर	९
जालंधर	१०
गुरुदासपुर	५
कांगड़ा	२
फीरोजपुर	५
लुधियाना	८
होशियारपुर	११
कुल	९५

पंजाब में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

†३७३. सरदार इकबाल सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक पंजाब के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रहने के लिये मकान बनाने के हेतु आवंटित की गई राशियां प्रस्तावित योजनाओं पर खर्च कर दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन राशियों से कितने मकान बनाये गये हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०८]

नासिक में भूमि का अर्जन

†३७४. श्री जाधव : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य के नासिक जिला में सेना के लिये विभिन्न गांवों की कितनी भूमि पट्टे पर ली गई है;

(ख) पट्टे की अवधि क्या है; और

(ग) गांवों को कुल कितना किराया देना बाकी है और इस में प्रत्येक गांव का कितना है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

जीवन बीमा निगम

†३७५. श्री जाधव : : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम में प्रथम श्रेणी के कुल कितने पदाधिकारी हैं; और

(ख) इन में से कितने ५ सितम्बर, १९५६ के बाद रखे गये हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) १२६५।

(ख) ९१।

पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†३७६. श्री पांगरकर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में (३१ अक्तूबर तक) बम्बई राज्य के विभिन्न स्थानों पर कुल कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन आये ;

(ख) इस अवधि में कितने व्यक्ति 'वीसा' की अवधि समाप्त हो जाने पर भी यहां रहे; और

(ग) कितने लोगों के 'वीसा' की अवधि बढ़ाई गई ?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त): (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राज्यों में भूतत्वीय तथा खनन सम्बन्धी सर्वेक्षण

†३७७. { श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्य सरकारों ने राज्यों के खनिज संसाधनों का अनुसन्धान करने के लिये भूतत्वीय तथा खनन सर्वेक्षण विभागों की स्थापना की है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राज्य सरकारों के इन खनिज तथा भूतत्वीय विभागों और भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण और भारतीय खनिज विभाग में कैसे सम्पर्क रखा जाता है; और

(ग) क्या कोई ऐसी स्थायी निकाय है जिनमें जानकारी के आदान प्रदान के लिये और परामर्श करने के लिये राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी रहें ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बम्बई, मध्य प्रदेश, आंध्र, मैसूर और उड़ीसा की राज्य सरकारों ने खनिज संसाधनों की खोज के लिये खनन तथा भूतत्वीय विभागों की स्थापना की है।

(ख) और (ग). भारत सरकार द्वारा स्थापित किये गये चार, पूर्वी, उत्तरी, मध्य तथा दक्षिणी प्रदेशों के परिषद् इन में सम्पर्क बनाये रखते हैं। इन परिषदों में राज्य सरकारों, भारतीय खान विभाग और प्रत्येक प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के प्रतिनिधि होते हैं। ये परिषद् थोड़े-थोड़े समय के बाद उस क्षेत्र में खनिज पदार्थों की खोज के कार्यक्रम का पुनरावलोकन करती है और खनिज की खोज के कार्यक्रम तैयार करने में मंत्रणा देती है और उस क्षेत्र के खनन उद्योग की आवश्यकताओं, कठिनाइयों और सम्भावनाओं का पुनरावलोकन करती है और उस क्षेत्र में खनिज पदार्थों तथा प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन तथा प्रयोग के प्रयोग में मंत्रणा देती है।

भारतीय खनिज विभाग भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण, राज्य सरकारों, उद्योगों और केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि भी खनन मंत्रणा बोर्ड की बैठक में भाग लेते हैं। राज्य सरकारों द्वारा बनाई जाने वाली विभिन्न समितियों में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण और भारतीय खान विभाग के प्रतिनिधि होते हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

दरगाहा ख्वाजा साहिब उपविधियां

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : मैं दिनांक २५ अक्तूबर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९८४ में प्रकाशित दरगाह ख्वाजा साहिब उपविधियों की एक, प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये** संख्या १०३१/५१]

दिल्ली सरकार के विनियोग लेखे और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : मैं संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अन्तर्गत दिल्ली सरकार के विनियोग लेखे, १९५६–५७ और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये** संख्या एल० टी० १०३२/५८]

लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश का संशोधन

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, १९५८ में,

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १३ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २३६९ अत्या० पण्य/लोहा और इस्पात/ए० एम० (३) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० १०३३/५८]

संघ लोक सेवा आयोग का आठवां प्रतिवेदन

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : मैं संविधान के अनुच्छेद ३२३ (१) के अन्तर्गत १ अप्रैल, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक की अवधि के लिये संघ लोक सेवा आयोग के आठवें प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० १०३४/५८]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†श्री दातार : अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(१) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक ८ नवम्बर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या १०५५।

(२) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १५ नवम्बर, १९५८ काजी० एस० आर० संख्या १०७८।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० १०३५/५८]

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार आदेश का संशोधन

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर): मैं प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत प्रतिलिप्यधिकार आदेश, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २१ अक्तूबर, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २२६९ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० १०३६/५८]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†डा० बे० गोपाल रेड्डी : समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३–ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) जी० एस० आर० संख्या ९५७, दिनांक १८ अक्तूबर, १९५८।

(२) दिनांक १८ अक्तूबर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ९५८ जिस में सीमा-शुल्क प्रत्याहृत (सिगार रेपर टोबैको) नियम, १९५८ दिये गये हैं।

(३) जी० एस० आर० संख्या ९९९, दिनांक २५ अक्तूबर, १९५८।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० १०३७/५८]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†डा० बे० गोपाल रेड्डी: मैं समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३–ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत

†मूल अंग्रेजी में

निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रत्याहृत (आर्ट सिल्क) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक, १८ अक्तूबर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ९५९।

(२) दिनांक २५ अक्तूबर, १९५८ का जी०एस० आर० संख्या ९८६, जिस में सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रत्याहृत (स्टील प्रोडक्ट्स) नियम, १९५८ दिये हुए हैं।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० १०३८/५८]

प्राक्कलन समिति

इकत्तीसवां प्रतिवेदन

†**श्री ब० गो० मेहता** (गोहिलवाड़) : मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय—आकाशवाणी के बारे में प्राक्कलन समिति (पहली लोक-सभा) के बारहवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) का इकत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

१९५५-५६ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की माँगें (रेलवे)

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं* वर्ष १९५५–५६ के लिये आय-व्ययक (रेलवे) के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें बताने वाला विवरण उपस्थापित करता हूं।

१९५६-५७ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की माँगें (रेलवे)

†**श्री जगजीवन राम** : मैं* वर्ष १९५६–५७ के लिये आय-व्ययक (रेलवे) के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें बताने वाला विवरण उपस्थापित करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

ब्रिटिश तेलवाहक जहाज "स्टेनवाक जापान" में विस्फोट

†**श्री राम कृष्ण** (महेन्द्रगढ़) : नियम, १९७ के अधीन मैं परिवहन तथा संचार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"अरब सागर में ब्रिटिश तेलवाही जहाज़ 'स्टेनवाक जापान' में विस्फोट और जहाज के हताहत भारतीय कर्मचारी।"

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से उपस्थापित।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : विवरण तीन पृष्ठ का है अतः मैं इसे सभा पटल पर रखता हूं।

सभा पटल पर रखा गया विवरण

मैं बहुत दुख के साथ १९ अक्टूबर, १९५८ को ब्रिटिश तेल वाहक स्टीम शिप 'स्टेनवाक जापान' में हुए विस्फोटक के सम्बन्ध में विवरण रखता हूं जिसमें १० भारतीय नाविकों (जिनमें एक पुर्तगाली भारतीय भी था) और १० अंग्रेज अधिकारियों की मृत्यु हुई।

सरकार को उपलब्ध जानकारी के अनुसार स्टीम शिप 'स्टेनवाक जापान' मैसर्स स्टैण्डर्ड वेकूम ट्रान्सपोर्टेशन कम्पनी लिमिटेड का था जो १९५३ में जापान में बनाया गया था। उसका कुल भार १७,४०० टन था। जहाज में दो भारी दबाव वाले टरबाइन मशीनों से युक्त तेल संचालित बायलर थे। उसमें उस व्यापार व श्रेणी के अनुसार प्राण रक्षक तथा आग बुझाने वाले यन्त्र मौजूद थे।

जहाज १७ अक्तूबर को बम्बई से रवाना हुआ। उसमें १७ अंग्रेज अधिकारी तथा ५४ भारतीय नागरिक थे जिनमें १० पुर्तगाली भारतीय थे। उस समय वह जहाज ९,००० टन बजरी ले जा रहा था।

यह दुर्घटना १९ तारीख इतवार को दो बजे दिन को हुई जबकि जहाज बम्बई से रास्ता नौरा जा रहा था। जहां से उसे और माल चढ़ाना था।

नियमानुसार मालवाहक टंकियों को धोया गया और साफ बजरी भरी गई।। अपेक्षित नियमानुसार विभिन्न टंकियों की सफाई की जा रही थी। विस्फोटक से केन्द्रीय भाग जिसमें डेक-अधिकारी रहते थे बिल्कुल उड़ गया जिससे १० अंग्रेज अधिकारियों और १० भारतीय नाविकों को प्राणों से हाथ धोना पड़ा। विस्फोटक में दो जीवन-रक्षक नौकायें भी उड़ गईं, फलस्वरूप केवल दो जीवन नौकायें बच गईं जिन पर नाविक और इंजीनियर अधिकारी ले जाये गये। किन्तु वे जहाज के निकट ही रहे, जहाज भयावह रूप से जल रहा था।

बाहरी संसार से कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सका क्योंकि केन्द्रीय अंश में रखी गई जीवन नौकायें तथा हलका रेडियो भी विस्फोटक से उड़ गया।

इस दुर्घटना का सबसे पहिला समाचार वाणिज्यिक जहाज विभाग बम्बई के मुख्य अधिकारी को २० अक्टूबर को तीन बजे प्राप्त हुआ। यह समाचार स्टीम शिप 'पैट्रिका' एक पनामा देश के तेल वाहक जहाज से प्राप्त हुआ उक्त जहाज ने स्टेनवाक जापान के ५१ बचे हुए नाविकों को दो जीवन नौकाओं से उठाया था। मुख्य अधिकारी ने तुरन्त नौसेना अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया। वे पहिले से ही सहायता पहुंचाने का भरसक प्रयत्न कर रहे थे। नौसेना का एक विध्वंसक जहाज दुर्घटना-स्थल पर चिकित्सा सामान के साथ जाने का प्रयत्न कर रहा था। मुख्य अधिकारी ने विमान सहायता अधिकारी से भी सम्बन्ध स्थापित किया और भारतीय विमान बल का एक विमान उड़ने के लिये तैयार रखा गया। किन्तु तभी पेट्रिका से यह संदेश प्राप्त हुआ कि अग्रेतर सहायता की आवश्यकता नहीं है।

२४ अक्टूबर, १९५८ को स्टेनवाक जापान को कराची ले जाया गया। वहां ब्रिटिश उच्चायुक्त ने जांच प्रारम्भ की। जांच समाप्त होने पर २८ अक्टूबर, १९५८ को एक विशेष विमान द्वारा ४४ भारतीय नागरिक बम्बई लाये गये। स्टेनवाक जापान को ३ नवम्बर, १९५८ को बम्बई लाया गया

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राज बहादुर]

तब से वह बम्बई के बन्दरगाह में पड़ा हुआ है। वाणिज्यिक नौवहन विभाग के मुख्य अधिकारी नौवहन अधिकारी तथा कम्पनी के प्रतिनिधि भारतीय नाविकों को लेने के लिये उपस्थित थे। वे पूरी तरह स्वस्थ थे। तत्पश्चात उन्हें नाविक हास्टल में ले जाकर विश्राम करने को कहा गया।

ब्रिटेन के परिवहन और असैनिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा नियुक्त एक विशेष अधिकारी ने वाणिज्यिक नौवहन विभाग के सहयोग से जांच का कार्य समाप्त किया। जांच समाप्त हो गई है और वह अधिकारी ब्रिटेन लौट गया है।

वहां भी एक औपचारिक सरकारी जांच होगी। वाणिज्यिक नौवहन विभाग बम्बई द्वारा भी विस्फोटक की प्रारम्भिक जांच की गई है। जांच के परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।

जहाज के मालिक मृतक नाविकों के आश्रितों को निम्नलिखित सहायता देने को तैयार हो गये हैं।

(१) १ महीने का वेतन जो कि नियुक्ति के समय पहिले ही ले लिया गया था।

(२) पन्द्रह दिनों की मजूरी।

(३) स्टैण्डर्ड वैकूम ट्रान्सपोर्टेशन कम्पनी या सिकोनी मोबिल कम्पनी में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिये १ माह का वेतन।

(४) तीन महीने की मजूरी अनुग्रहीत दी जायेगी।

(५) श्रमिक प्रतिकर अधिनियम १९२३ के अधीन प्रतिकर।

शिपिंग मास्टर जिला अधिकारियों की सहायता से मृतक नाविको के वैध उत्तराधिकारियों इत्यादि का पता लगाने का प्रयत्न कर रहेहैं। औपचारिक कार्यवाही समाप्त होते ही रकम दे दी जायेगी। श्रमिक प्रतिकर अधिनियम के अधीन दी जाने वाली राशि वितरण के लिये श्रमिक प्रतिकर आयुक्त के पास जमा कर दी जायेगी।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५८

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"लोक प्रतिनिधान अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण, विधेयक, १९५८*

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश और विलासपुर (नया राज्य) अधिनियम, १९५४ के अधीन निर्मित नये राज्य हिमाचल प्रदेश की विधान-सभा के गठन तथा कार्यवाही को मान्यता देने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि हिमाचल प्रदेश और विलासपुर (नया राज्य) अधिनियम, १९५४ के अधीन निर्मित नये राज्य हिमाचल प्रदेश की विधान-सभा के गठन तथा कार्यवाही को मान्यता देने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

‡**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण अध्यादेश सम्बन्धी वक्तव्य

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ७१(१) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण अध्यादेश, १९५८ द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाली परिस्थितियों के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०—१०४१/५८]

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी :

"कि संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५७ पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये।"

†**श्री रघुबीर सहाय** (बदायूं) : संयुक्त समिति ने मूल विधेयक पर कोई सुधार नहीं किया और सभा में दिये गये सुझावों की अवहेलना की है। समिति ने केवल यही परिवर्तन किया है कि अनुसूची में दो सूचियां दे दी हैं। वे सूचियां भी पूर्ण नहीं है। इस सम्बन्ध में समिति ने एक स्थायी संसद् समिति बनाने का प्रस्ताव किया था, जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उक्त सिफारिश स्वीकार न करने का कारण यह बताया गया है कि ब्रिटेन और भारत की विधि में अन्तर है पहिला अन्तर यह बताया गया है कि लाभ पदों की व्याख्या करने का अधिकार

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत सरकार के २४-११-५८ के असाधारण गजट, भाग २ अनुभाग २ में प्रकाशित।

‡राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरस्थापित।

[श्री रघुबीर सहाय]

हमारे विधान मंडलों को नहीं दिया गया है। दूसरा अन्तर यह है कि हमें उन लाभपदों की सूची बनानी होगी जिनको छूट प्रदान की जाये। तीसरा अन्तर यह है कि हमें केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा बनायी गई समितियों का ही ध्यान नहीं रखना है। अपितु राज्य सरकारों द्वारा गठित समितियों को भी ध्यान में रखना होता है। तब भी मेरे विचार से यदि संसदीय समिति बनायी जाती तो वह सरकार से उक्त समितियों के सम्बन्ध में सिफारिश करती जिसके परिणामस्वरूप सरकार उपयुक्त संशोधन करने में समर्थ होती।

वस्तुत: लाभपदों से सम्बन्धित सिद्धान्त ही हमने हाउस आफ कामन्स से लिया है। जब हमने ब्रिटेन के अधिनियम को आदर्श माना है तो हमें चाहिये कि उसका अनुकरण करें और यथासंभव अपने अधिनियम को पूर्ण संगत और उपयुक्त बनायें। लेकिन इस विधेयक में ऐसा नहीं किया गया है। अपितु लाभपद के सम्बन्ध में केवल जिक्र कर दिया गया है जो अपर्याप्त है। इस विधेयक में यह भी नहीं बताया गया है कि ऐसी अनर्हता के क्या परिणाम होंगे और वह किस प्रकार दूर की जा सकती है। अनर्हता घोषित करने सम्बन्धी प्रक्रिया का भी कोई उल्लेख इस विधेयक में नहीं किया गया है।

इस विधेयक में उपकुलपतियों को छूट दी गई है। जो अनुचित है। उपकुलपति विश्वविद्यालय में पूरे समय काम करना होता है, इसके अलावा विश्वविद्यालयों को राजनीति के गंदे वातावरण से दूर रखना भी अनुचित है। तीसरे इससे बहुत से अति महत्वकांक्षी उप-कुलपति अपने कर्तव्य की अवहेलना कर इससे लाभ उठायेंगे अत: मेरा सुझाव यह है कि उपकुलपतियों को अनर्हता से छूट न दी जाये।

शेरिफ के पद को भी छूट प्रदान की गई है। १९५२ के शेरिफ अधिनियम के अनुसार भारत में एक शेरिफ को पुलिस अधिकारी, जेलर और सम्पत्ति के अभिरक्षक का कार्य करना होता है वस्तुत: भार्गव समिति के प्रतिवेदन में न्यायाधीशों व मंत्रियों के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा गया है वह सब शेरिफों के सम्बन्ध में भी लागू होता है अत: उन्हें छूट प्रदान करना उचित नहीं है।

समिति ने निवृत्ति वेतन पाने वाले व्यक्तियों के मामले पर विचार नहीं किया है। वे वर्तमान विधि के अनुसार संसद् के सदस्य बन सकते हैं और पेंशन तथा संसद् सदस्य के वेतन तथा भत्ते के भी अधिकारी हैं यह अनुचित है। पहिले तो उन्हें छूट प्रदान न की जाय यदि की भी जाय तो उन्हें पेंशन और वेतन व भत्ते में से एक को प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिये।

इस प्रकार मेरे विचार से विधेयक में कई त्रुटियां हैं। आशा है मंत्री महोदय इस पर निष्पक्षता से विचार कर अपेक्षित सुधार करेंगे।

†**श्री वासुदेवन् नायर** (तिरुवल्ला) : यह विधेयक पूरे देश के लिये बड़े महत्व का है, क्योंकि इसके द्वारा जनता के प्रतिनिधियों, संसद्-सदस्यों के कई निगमों के सदस्य होने और कई अन्य संस्थाओं की स्थायी समिति या कार्यपालक समिति के अध्यक्ष, सचिव या सदस्य होने से रोका जा रहा है।

मैं मानता हूं कि संयुक्त समिति ने इस पर काफी विचार किया है, लेकिन फिर भी मैं उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशों और प्रस्तावों से सहमत नहीं हूं। मेरा ख्याल तो यह है कि इस विधेयक में से खण्ड ३ के उपखण्ड (१) की व्यवस्था को हटा दिया जाये और संसद्-सदस्यों को ऐसे निकायों के सदस्य होने की स्वतंत्रता प्रदान की जाये। यदि इस विधेयक को इसी रूप में पारित किया जायेगा

---

†मूल अंग्रेजी में

तो हमारे देश के उत्तरोत्तर विकास के साथ बढ़ने वाले नये-नये स्वायत्त निगमों पर संसद् का कोई भी नियंत्रण नहीं रह जायेगा। उद्योगपति लोग तो यही चाहते हैं कि इन निगमों में जनता के प्रतिनिधि न पहुंच पायें। वे अब इस ढंग से इन संस्थाओं और संगठनों पर छा जाना चाहते हैं। इस पर विचार करने के लिये, हमें यह देखना चाहिये कि अभी इन निकायों का संचालन कौन कर रहा है। संयुक्त समिति ने इस समस्या के इस पहलू पर विचार नहीं किया।

देश में ऐसे भी निहित स्वार्थ हैं, जो चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र बिल्कुल भी प्रसार न कर सके। इसी दृष्टि से उद्योग-व्यापार मंडल ने राष्ट्रीय विकास परिषद् के इस निर्णय की निन्दा की है कि खाद्यान्नों का थोक व्यापार राज्य को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। इस क्षेत्र में हमें कुछ अनुभव हो ही चुका है और साथ ही हमें इंगलैन्ड के अनुभव से भी कुछ सीखना चाहिये। इंगलैण्ड में लेबर दल के शासन काल में कई उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, लेकिन राष्ट्रीयकृत उद्योगों के संचालन का कार्य उद्योगपतियों पर ही छोड़ देने से वह सब असफल बन गया था।

हमें वह ग़लती दोहरानी नहीं चाहिये और इन निगमों तथा संस्थाओं में जनता के प्रतिनिधि ही भेजने चाहियें।

संसद्-सदस्यों को इस बात से भी संतोष हो सकता था कि इन निगमों तथा संस्थाओं में यदि जनता के प्रतिनिधि नहीं तो कम से कम विशेषज्ञ तो नामज़द किये जाते। तब हमें कोई शिकायत न रहती। लेकिन हो तो यह रहा है कि सरकार उद्योगपतियों को ही नामज़द कर रही है—जैसे कि एयर इंडिया इन्टरनेशनल में टाटा और सिंदरी खाद फैक्टरी में जे० जे० गांधी को। इसी प्रकार औद्योगिक वित्त निगम में लाला श्रीराम को नामजद किया गया है। इस प्रकार, हमारे यहां भी सार्वजनिक क्षेत्र निजी उद्योगपतियों के हाथ में ही सौंपा जा रहा है।

इसलिये इन निगमों में संसद्-सदस्यों का रहना बहुत जरूरी है। वे जनता की भावनाओं का प्रतिधित्व तो कर सकेंगे। हमें संसद् और संसद्-सदस्यों पर कुछ तो विश्वास करना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय**: संसद्-सदस्य भी तो इन निगमों में कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं और तब यदि उनकी यहां इस सभा में आलोचना की जायेगी, तो संसद्-सदस्य गण दल गत भावना से ही उसका समर्थन या विरोध करेंगे। इसलिये यह सभा भी उसके संबन्ध में कोई निष्पक्ष निर्णय नहीं कर पायेगी।

†**श्री वासुदेवन् नायर**: इन निगमों और समितियों से संसद्-सदस्य को अलग रखने के पक्ष में तीन मुख्य तर्क दिये गये हैं। सब से बड़ा तर्क तो यह दिया गया है कि इनके सदस्य बन जाने पर संसद्-सदस्यों की स्वतंत्रता खत्म हो जायेगी।

यह तर्क मेरी समझ में नहीं आता। इस सभा में भी तो ऐसे सदस्य हैं जिनके कई प्रकार के अपने निजी हित हैं। इस सभा में उद्योगपति भी हैं, और उनके प्रतिनिधि भी। इसलिये इस सभा की चर्चा में भी तो सभी सदस्य अपने-अपने हितों को देखकर ही अपना दृष्टिकोण रखते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि इस सभा में सदस्यगण निष्पक्षता से विचार करते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय**: उनसे आशा यही की जाती है।

†**श्री वासुदेवन् नायर**: आशा तो की जाती है, लेकिन वास्तव में सदस्यगण पक्ष-विपक्ष में बंट ही जाते हैं। इसी तरह इन निगमों और संस्थाओं में भी होगा। इसीलिये, मैं कहता हूं

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वासुदेवन् नायर]

कि उनके सदस्य बनने पर संसद् सदस्यों की स्वतंत्रता सीमित नहीं होगी। हां, कुछ मामलों में ऐसा हो भी सकता है, लेकिन इन निगमों और संस्थाओं के सदस्य बनने पर यह आवश्यक नहीं है कि उनकी स्वतंत्रता सीमित हो ही जाये। असल में यह प्रत्येक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत बात होगी। जो व्यक्ति जैसा होगा, उस पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा।

दूसरा तर्क यह दिया गया था कि इनकी सदस्यता ग्रहण करने से संसद्-सदस्यों में भ्रष्टाचार बढ़ जायेगा। इस में कुछ थोड़ी सचाई तो है, लेकिन फिर यह प्रश्न भी तो उठता है कि यदि नारियल जटा बोर्ड या रबर बोर्ड की सदस्यता किसी संसद्-सदस्य को भ्रष्ट कर सकती है, तो मंत्रिपद क्यों नहीं कर सकता। फिर भी, हम जानते हैं कुछ ऐसे भी मंत्री हैं, जो भ्रष्ट नहीं हुए हैं। इसलिए यह भी मुख्यतः व्यक्ति और उसके दल पर ही निर्भर करता है कि वह भ्रष्ट होगा या नहीं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : (हिसार) : मंत्री भ्रष्ट नहीं हो सकता। यह विधेयक इसीलिए रखा गया है कि उसका प्रभाव कहीं संसद्-सदस्यों को भ्रष्ट न कर दे। संविधान ने स्वयं ही मंत्रियों को इसके परे रखा है।

†**श्रीमती सुचेता कृपलानी** (नई दिल्ली) : और, मंत्री सब से ऊंचा कार्यपालक प्राधिकारी होता है। इसलिए, यह कोई दलील ही नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : संविधान में व्यवस्था है कि मंत्री को अनर्हित नहीं किया जाता।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि मंत्री को भी अनर्हित किया जाये, तो हमारे यहां संसदीय लोकतंत्र नहीं रहेगा, अमरीका की भांति प्रेसीडेण्ट वाला लोकतंत्र ही होगा।

†**श्री वासुदेवन नायर** : तीसरा तर्क यह दिया गया था कि संसद् सदस्य के रूप में ही हमारे पास इतना काम होता है कि अन्य अतिरिक्त कार्य के लिए समय ही नहीं रहेगा। यह तर्क मैं मानता हूं। लेकिन मैं तो समझता हूं कि इन प्रबन्ध बोर्डों का काम अधिकतर नीति निर्धारित करना ही होता है। इसलिए बोर्ड के सदस्य या सभापति के रूप में उन्हें निगम या संस्था के प्रशासन पर अधिक समय नहीं खपाना पड़ेगा। इन निगमों या ऐसी समितियों का काम संसद्-सदस्य के अपने काम का भाग ही माना जाना चाहिए। और, इनमें ऐसे संसद्-सदस्य चुने जाने चाहिये जो इनके लिए कुछ समय भी निकाल सकें।

यहां मैं यह भी स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि इन निगमों या ऐसी समितियों में संसद्-सदस्यों को रख देने भर से सारी समस्या का हल नहीं हो जायेगा। इन में ऐसे व्यक्ति भी नियक्त किये जा सकते हैं, जिनका चुनाव मंत्रिगण दलगत सुविधा या भावना से करें। यह कठिनाइयां भी सामने आयेंगी।

लेकिन हमारे सामने केवल दो ही रास्ते हैं—या तो इन निगमों और ऐसी समितियों को निजी उद्योगपतियों और उनके प्रतिनिधियों के हाथ में छोड़ दिया जाये, या फिर उनमें संसद्-सदस्यों और विधान मंडलों के सदस्यों को भी रखा जाये। इन दोनों में से मुझे दूसरा रास्ता ही ठीक जंचता है।

मैं श्री अ० चं० गुह के इस संशोधन का पूरा समर्थन करता हूं कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये, लेकिन उसे नियमानुकूल नहीं माना गया है। इसलिए, अब सरकार के सामने केवल

---

†मूल अंग्रेजी में

एक ही रास्ता है कि इस विधेयक को वापिस ले लिया जाये । यही मेरा सुझाव है । सरकार को आय-व्ययक सत्र में इस विधेयक को एक नये रूप में पुनः रखना चाहिए ।

†**श्री हेम बरूआ** (गौहाटी): मेरा अपना ख्याल तो यह है कि इस विधेयक की व्यवस्थायें देश की उन लोकतांत्रिक संस्थाओं के ही प्रतिकूल पड़ेगी जिन्हें हम देश में बनाने का प्रयास कर रहे हैं ।

संविधान के अनुच्छेद १०२ की व्यवस्था को तो संविधान में होना ही नहीं चाहिए था । इस विधेयक की व्यवस्थायें संविधान के इस पहलू की बड़ी ही लचर व्याख्या करती हैं ।

संयुक्त समिति ने इस विधेयक की व्यवस्थायें तैयार करने में अपने सामने कोई भी एक निदेशक तत्व नहीं रखा है ।

हम इस देश में संसदीय सरकार का निर्माण करने के लिए वचन-बद्ध हैं । उसकी सफलता पर ही लोकतंत्र का भविष्य निर्भर है । इसलिए हमारी संसद् पर एक बड़ा दायित्व आ जाता है । एशिया भर में लोकतांत्रिक प्रणाली की प्रतिष्ठा बनाये रखने का भार हमारे ही कंधों पर है ।

इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि अब हमारी संसद् का दायित्व और इसीलिये उसका काम भी कई गुना बढ़ गया है । और साथ ही, हमारे निर्वाचन क्षेत्रों की जनता की राजनीतिक चेतना भी बढ़ती जा रही है । जनता चाहती है कि संसद्-सदस्य उनके हितों को ही अपने हित बनायें । इसलिए संसद्-सदस्यों को अपना अधिक से अधिक समय संसद् कार्य को ही देना चाहिए; गैर-संसदीय कार्य को समय देने की गुंजाइश अब नहीं रही है । यदि वे कई अन्य क्षेत्रों में अपना ध्यान बंटायेंगे, तो उससे संसद्-कार्य के विकास को हानि पहुंचेगी ।

इन सब को देखते हुए, मैं तो यहां तक कहता हूं कि संसद्-सदस्यों को कोई अन्य सहायक धन्धा भी नहीं करना चाहिए । मैं नहीं चाहता कि संसद्-सदस्यता को लोग अपनी और आगे की महत्वाकांक्षा में पूरी करने का साधन बनायें । देश ने संसद्-सदस्यों को जो विशेषाधिकार दिये हैं, उनके बल पर यदि वे गैर-संसदीय कार्य में हाथ बंटाने लगेंगे तो संसद् के हितों को हानि पहुंचेगी ।

अब इस विधेयक की व्यवस्थाओं को लीजिये । इस विधान में अनर्हतायें निश्चित करने में किसी भी मूलभूत सिद्धान्त को आधार नहीं बनाया गया है । इसके बारे में तो अनुच्छेद १०२ में भी कुछ नहीं कहा गया है । उसमें यह निश्चित करने का भार संसद् को ही सौंप दिया गया है । इंगलैण्ड में स्पैन्स समिति अर्हतायें या अनर्हतायें निश्चित करने के बुनियादी सिद्धान्त बनाये थे । उसने दो महत्वपूर्ण सिद्धान्त रखे थे : पहला तो यह कि एक साथ कई संस्थाओं की सदस्यता नहीं रहनी चाहिये, दूसरा यह कि संसद्-सदस्य एक ही साथ कई संस्थाओं में उपस्थित भी नहीं रह सकता । इसी के आधार पर, इंगलैण्ड में अर्हताओं और अनर्हताओं का निर्णय किया गया था ।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट): कामन्स सभा अनर्हता अधिनियम, १९५७ में भी कोई सिद्धान्त निश्चित नहीं किये गये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय**: श्री बरुआ का कथन यह है कि स्पैन्स समिति ने अपने सामने दो सिद्धान्त रखे थे, लेकिन हमारे यहां की उपसमितियों ने ऐसे कोई भी सिद्धान्त नहीं बनाये हैं । क्या उप समिति के या संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में ऐसे सिद्धान्त बताये गये हैं ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : उन पर विचार किया गया था ।

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : वास्तव में तो उप-समिति ने कहा है कि देश की परिस्थितियों को देखते हुए वह कोई एक सिद्धान्त सख्ती से लागू नहीं करना चाहती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : इसलिए कोई भी सिद्धान्त सामने नहीं रखा गया है । पंडित ठाकुरदास भार्गव ने इस समिति की बैठक में एक बड़ा गम्भीर आरोप यह लगाया था कि कुछ केन्द्रीय सरकारी विभाग और यहां तक कि कुछ राज्य सरकारें भी संयुक्त समिति के साथ सहयोग नहीं करती, आवश्यक सामग्री नहीं जुटातीं ।

संसद् सदस्यों को कुछ निगमों और समितियों की सदस्यता ग्रहण करने की अनुमति देने से पहले हमें यह तय कर लेना चाहिए कि वह संसद्-सदस्यता के साथ मेल भी खायेगी, या नहीं ।

कुछ निगमों और समितियों के काम में संसद्-सदस्यों के हाथ बंटाने के सम्बन्ध में कुछ व्यवस्थायें की गई हैं, और उसकी एक अनुसूची भी तैयार की गई है । मैं मानता हूं कि अनुसूची में उल्लिखित निगमों और समितियों में हाथ बंटाना मुनाफा कमाने वाले संगठनों में हाथ बंटाने से भिन्न है । लेकिन हमें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि उससे कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी होते हैं । उदाहरण के लिए चलचित्र विवाचकों के केन्द्रीय बोर्ड की सदस्यता को ही लिया जा सकता है । इसलिए, संसद्-सदस्यों को गैर-संसदीय समितियों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

हमें मानवीय प्रकृति को भी नहीं भूलना चाहिए । मैं यह भी नहीं कहता कि संसद्-सदस्यों को सब से बच कर, अलग कतराते हुए रहना चाहिए । लेकिन हमें यथार्थ की ओर से आंखें भी नहीं मूंद लेनी चाहिए ।

दूसरी चीज़ यह है कि यदि संसद्-सदस्य इन विभागों में भाग लेते हैं तो उससे कभी-कभी यह भी हो सकता है कि उन पर आक्षेप लगाये जायें । उस हालत में वह सारी संसद् पर आक्षेप होगा । उदाहरण के लिए जीवन बीमा निगम के बारे में पैदा हुई परिस्थिति को ही देख लीजिये । इसलिये, इस सभा की प्रतिष्ठा और गरिमा बनाये रखने के लिए जरूरी है कि संसद्-सदस्यों को ऐसी अनुमति ही न दी जाये । यह हम सब का सामूहिक दायित्व है ।

अब सलाहकार निकायों का प्रश्न है । सलाहकार निकायों का काम यदि केवल सलाह देना और सिफारिशें करना ही है, तो उसका कोई बड़ा लाभ नहीं । दूसरी ओर यदि सरकार ऐसे निकायों की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य हो, तो उससे उन निकायों की सदस्यता ग्रहण करने वाले संसद्-सदस्यों पर बाहर के स्वार्थ अपना प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे ही और उससे उनके भ्रष्ट होने की संभावना भी बढ़ जायेगी ।

जहां तक अलग-अलग मदों का प्रश्न है, श्री रघुबीर सहाय ने शेरिफ के पद के बारे में कहा ही है । इसके अलावा, विश्वविद्यालय के उपकुलपति और विश्वविद्यालय कार्यपालक परिषद् की सदस्यता, इत्यादि के पद भी हैं । इन पदों से सम्बन्धित अनर्हतायें हम अब इसीलिए हटा रहे हैं कि हमारे सामने इस सम्बन्ध में कोई निदेशक तत्व नहीं हैं ।

यदि स्पैन्स समिति द्वारा रखे गये दोनों मूलभूत सिद्धान्तों की कसौटी पर इसे कसा जाये, तो उपकुलपति के पद के लिए अनर्हतायें नहीं हटाई जानी चाहिए । उपकुलपति के पद के लिए संसद्-सदस्य को पूरा समय देना पड़ेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उपकुलपति के पद को विमुक्त क्यों किया गया था ?

†**विधि मंत्री** (श्री हजारनवीस) : उन्हें १९५४ के अधिनियम के अन्तर्गत पहले ही विमुक्त रखा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब यदि इसे हटाना है, तो उसे रद्द करने के लिये प्रस्ताव किया जाना चाहिये।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं कहता हूं कि उपकुलपति के पद के लिये किसी भी व्यक्ति को अपना पूरा समय देना पड़ेगा। उस का दायित्व क्षिन-दिन बढ़ता जा रहा है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के मामलों की चर्चा से यह स्पष्ट हो चुका है। इसलिये यदि हम संसद्-सदस्य को उपकुलपति के पद पर बने रहने की अनुमति देंगे, तो विश्वविद्यालय के प्रशासन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

उपकुलपति के पद को केवल शोभा की दर्शनीय चीज़ नहीं बनाना चाहिये। उस के दायित्व को देखते हुए ही उपयुक्त लोगों को उस पर नियुक्त करना चाहिये।

इसी तरह इस विधेयक की इस व्यवस्था को भी हटा देना चाहिये कि संसद्-सदस्य को विश्व-विद्यालय की कार्यपालक परिषद का सदस्य रहने की अनुमति दी जा सकती है। इस का परिणाम यही होगा कि वह संसद्-सदस्य अपने एक भी दायित्व को ठीक से नहीं निभा सकेगा। वह दोनों जगह बैठकों में उपस्थित भी नहीं रह पायेगा।

जहां तक होम गार्ड्स का सम्बन्ध है, मैं तो समझता हूं कि संसद-सदस्य को उस में हाथ बंटाने से संसद् की प्रतिष्ठा पर आंच आती है। होम गार्ड्स का काम पुलिस का है। पुलिस के इन्सपैक्टरों के साथ, उन की देखरेख में, संसद्-सदस्य का कार्य करना उस की प्रतिष्ठा में बट्टा लगा देगा।

हां, राष्ट्रीय आपातकाल से सम्बन्ध रखने वाले संगठनों—जैसे राष्ट्रीय छात्र-सेना और प्रादेशिक सेना—में भाग लेना संसद-सदस्य के लिये ठीक है।

राजस्व अधिकारियों का काम भी गुप्तचर पुलिस जैसा है, इसलिये संसद्-सदस्यों को उस में भाग लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिये। उस से उन की प्रतिष्ठा पर आंच आयेगी।

मैं तो समझता हूं कि देश की संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के हित में यही है कि संसद्-सदस्यों को गैर-संसदीय कार्यों में भाग लेने की अनुमति न दी जाये।

†**श्री बी० दासगुप्त** (पुरूलिया) : मैं संयुक्त समिति द्वारा संशोधित विधेयक का विरोध करता हूं और यह हमारे संविधान के उपबन्धों के विपरीत है। लाभ पद समिति की किसी भी महत्वपूर्ण सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया और मूल रूप में समिति ने विधेयक का कुछ भी सुधार नहीं किया। मूल विधेयक में अनुसूचियां भी नहीं लगाई गई थीं, जिन में बताया जाता कि अमुक पदों को ग्रहण करने से सदस्यों का अनहीकरण हो जायेगा। संयुक्त समिति ने आखिर यह कार्य किया, परन्तु बड़े ही अपूर्ण ढंग से।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

इस से गड़बड़ हो गई है, और एक उलझन सी पैदा हो गई है। विधेयक संविधान के अनुच्छेद १०२ के अनुसार बड़ा व्यापक होना चाहिये था। आखिर सिद्धान्त तो यही है कि लोकतंत्र का समुचित विकास हो, और हमारे देश में लोकतंत्रीय सरकार प्रगति करे। हमारे विधान मंडलों पर कार्यपालिका का प्रभाव नहीं होना चाहिये। परन्तु इस विधेयक द्वारा यह गुंजाइश बनी रहेगी।

सब से प्रथम बात तो यह है कि इस विधेयक को ब्रिटेन की लोकसभा के अनर्हता अधिनियम के नमूने का बनाने का प्रयत्न किया गया है। मेरे विचार में यह मत ठीक नहीं है, यदि हम ने हर

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री बी० दास गुप्त]

बात में ब्रिटेन और अमरीका की नकल की, तो हमारे राष्ट्रीय जीवन का स्वस्थपूर्ण विकास नहीं हो पायेगा। दूसरे ब्रिटेन की अपनी शताब्दियों की संसदीय परम्परा है। परन्तु हमारी अवस्था वहां से भिन्न है। यदि हम ने अपने संविधान अथवा विधानों का इंग्लैण्ड की भांति ही विवेचन किया तो मामला उलझ जायेगा। हमें अप यहां की व्यवहारिक कठिनाइयों का हमेशा ध्यान रखना चाहिये।

विधेयक के साथ जो अनर्हताओं की अनुसूची सम्बद्ध है, उसे गत चार वर्षों में भी पूरा नहीं किया गया। वास्तव में संयुक्त समिति अपने प्रयत्नों के बावजूद कुछ केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों का सहयोग प्राप्त नहीं कर सकी। यही कारण है कि सम्बन्धित अनुसूची अभी तक पूर्ण नहीं हो सकी। हर मामले में अंग्रेजों की नकल से काम नहीं चल सकेगा। इंग्लैण्ड की शासन प्रणाली एकीय प्रकार की है और हमारे यहां संघीय शासन प्रणाली है। वह देश एक विकसित देश है और हम अभी अविकसित अवस्था में ही है। लोकतंत्रीय सरकार का शासन तो अधिकतर समितियों द्वारा ही प्रशासित होता है। विकास की ओर चलते हुए अभी हमारे यहां सैकड़ों समितियों का निर्माण होगा और स्थायी समिति के लिये उन सब की सूची रखना भी कठिन होगा।

कई पदों को अनर्हता से छूट दे दी गई है। विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों तथा राजस्थान के लम्बरदारों को विधेयक में छोड़ दिया गया है, हालांकि लाभ-पद समिति ने अनर्हता के लिये इन की सिफारिश की थी, और यह समिति की एक महत्वपूर्ण सिफारिश थी। होम गार्डों को भी छोड़ दिया गया है, हालांकि उन के काम पुलिस से मिलते जुलते हैं। ये उपबन्ध और खंड ३(एच), के उपबन्ध, जिस के अन्तर्गत परामर्श समिति से छूट दी गई है, संविधान के विरुद्ध है। मेरा तो यही कहना है कि वर्तमान विधेयक को वापिस ले कर नया विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिये। जहां तक सम्भव हो 'लाभ पद' की व्यापक परिभाषा की जानी चाहिये और ऐसा करते हुए भूत और वर्तमान के अनुभवों को अपने समक्ष रख लेना चाहिये। भविष्य में होने वाले विकास की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। मुझे खेद है कि वर्तमान विधेयक ऐसा करने में असफल रहा है।

अन्त में, मैं यही कहता हूं कि यह बड़े महत्व का विधान है। हमें भविष्य का निर्माण करना है, हमारे राष्ट्र का हित इसी में है कि इस विधेयक को वापिस ले कर, मेरे द्वारा प्रस्तुत सुधारों के अनुरूप नया विधेयक प्रस्तुत किया जाये।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : हम संयुक्त समिति का आभार मानते हैं कि उन्होंने अनर्हता वाले पदों की व्यापक अनुसूची तैयार करने में काफी परिश्रम किया है। समिति के प्रतिवेदन में जो निदेशक सिद्धान्तों को दिया गया था, और जिन के आधार पर सिफारिशें की गई हैं, वे हमारे समक्ष तो नहीं हैं लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि वे सिद्धान्त क्या होंगे। एक व्यापक सूची न बना सकने में हम उन की कठिनाई को समझ सकते हैं क्योंकि उन के समक्ष पूर्ण आंकड़े नहीं थे। वास्तव में जिस उद्देश्य के लिये यह विधेयक तैयार किया गया है कि संसद् सदस्यों के स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने पर किसी प्रकार दृश्य और अदृश्य प्रभाव नहीं होना चाहिये, उस के बारे में मैं दो राय नहीं हो सकतीं; मेरा विश्वास है कि जिस उपसमिति ने यह अनुसूची तैयार की है उस के सदस्यों को यह बात काफी स्पष्ट थी और मुख्य बात पर कोई मतभेद नहीं था। सदस्यों की स्वतंत्रता के अतिरिक्त एक और बात भी है, जिस का ध्यान रखा जाना चाहिये कि हमें इस देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है। हमारा ध्येय समाजवादी समाज का निर्माण करना है। राज्य की गतिविधियों की वृद्धि बड़ी आवश्यक है, विशेष कर औद्योगिक, वाणिज्यक तथा वैज्ञा-

†मूल अंग्रेजी में

निक क्षेत्रों में, जहां की समाजवादी व्यवस्था के कारण बहुत सी बातों की ओर राज्य को ही ध्यान देना होता है । इसलिये यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस दिशा में जो भी संस्थायें अथवा निकाय बनेंगे, क्या उन सब से हम अपने संसद् सदस्यों को दूर रखेंगे । साम्यवादी पक्ष की ओर से यह बात कही गई । मेरा भी यही विचार है कि कुछ भी हो आधारभूत रूप से हमें संसद् सदस्यों की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है । परन्तु इस के साथ ही यह व्यवस्था भी होनी चाहिये कि समाजवादी व्यवस्था अथवा कल्याणकारी राज्य में जो भी संस्थायें, समितियां, निगम अथवा निकाय बनें, उन में संसद्-सदस्यों को परामर्श के लिये अवश्य लिया जाये । इस से राज्य द्वारा संचालित निगमों इत्यादि के काम के लिये लोगों में विश्वास पैदा होगा । ऐसे कामों के लिये विशेषज्ञों के मत की अपेक्षा होती है, अतः संसद् सदस्य तथा किसी अच्छे सार्वजनिक महत्व के व्यक्ति का इन से सम्बन्ध रहना ही चाहिये ।

मेरा विनम्र निवेदन है, कि यह बड़े महत्व का विधेयक है । इस के द्वारा हमें भविष्य के संसद्-सदस्यों की अनर्हताओं का निश्चय करना है, अतः हमें दोनों पक्षों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर किसी प्रकार का विधान निर्माण करना चाहिये । इसी उद्देश्य को समक्ष रख कर ही संविधान बनाने वालों ने संविधान के अनुच्छेद १०२ का निर्माण किया था । व्यवस्था की गई थी कि लाभ-पद पर आरूढ़ कोई व्यक्ति संसद्-सदस्य नहीं हो सकेगा, परन्तु साथ ही इस मूल उपबन्ध से सम्बन्धित अपवादों के सम्बन्ध में विधान बनाना संसद के प्राधिकार के अन्तर्गत होगा । हमें दोनों पक्षों का पूर्ण रूप से संतुलन कर यह देखना होगा कि क्या इस विधेयक से स्थिति का पूर्णरूप से मुकाबला किया जा सकता है ।

जो सूची हमें संयुक्त समिति से प्राप्त हुई है उस में दोनों सदनों से सम्बन्धित बातें दी गई हैं । क्या इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की जा सकती कि लोक सभा के सदस्यों को केवल उन निकायों इत्यादि का सदस्य बनाया जाये जिन का निर्माण संसद अथवा लोक सभा द्वारा केवल मंत्रणा प्राप्त करने के लिये ही किया गया हो । जहां कहीं कोई लाभ की बात हो वहां उन्हें न रखा जाये । ऐसी व्यवस्था हो कि सदस्य किसी प्रलोभन के पाश में न फंस सकें । हमें दो प्रकार की सूचियां रखनी चाहिये जिन से दोनों पक्षों को संतुलित अवस्था में रखा जा सके । मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे सुझावों को कार्यान्वित किया जाना चाहिये । मैं यह मानता हूं कि वर्तमान विधेयक को इस रूप में प्रस्तुत करने के लिये संयुक्त समिति ने काफी परिश्रम किया है । फिर भी अभी समय है कि हम अपेक्षित परिवर्तन करें । ऐसे पदों पर भी संसद सदस्यों को नहीं नियुक्त किया जाना चाहिये जहां, धन का लाभ तो न हो परन्तु अन्य प्रकार का संरक्षण हो काफी महत्वपूर्ण हो । केवल सलाहकार की हैसियत से ही संसद् सदस्यों को ऐसे पदों पर लिया जाना चाहिये ।

दूसरी चीज़ यह है कि मैं इस बात से सहमत हूं कि होमगार्ड, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के शेरिफ तथा विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों को इन अनर्हताओं से मुक्त रखा जायेगा, ठीक नहीं है । हमारे समक्ष कुछ निदेशक सिद्धान्त होने चाहियें । सिद्धान्त यह है कि कोई प्रलोभन नहीं होना चाहिये । होम गार्ड के मामले में ऐसी बात नहीं है और इसे खंड ३ के उपबन्ध से निकाल देना चाहिये । इस का तो सीधा सम्बन्ध कार्यपालिका से होता है और कई बार ऐसे विशेष अवसर आते हैं कि उन्हें पुलिस अधिकारियों के नीचे काम करना पड़ता है । आशा है विधि मंत्री इस को स्वीकार करेंगे ।

शेरिफ और उपकुलपतियों की अवस्था भी यही है । शेरिफ तो एक प्रकार से सरकारी अधिकारी ही होता है और उपकुलपति की हैसियत भी लगभग ऐसी ही होती है, अतः मेरा निवेदन है कि विधि मंत्री को इन को निकालने सम्बन्धी संशोधनों को स्वीकार कर लेना चाहिये । मुख्य बात यह है कि लोक-सभा के सदस्यों को सभी प्रकार के प्रलोभनों से ऊपर रखा जाना चाहिये और उन की प्रतिष्ठा

[श्री अजित सिंह सरहदी]

और स्वतंत्रता को महत्व देते हुए उन्हें किसी ऐसी समिति का सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिये जहां संरक्षण की गुंजाइश हो ।

†श्री रे० सुब्रह्मण्यम (बल्लारी) : काफी समय के पश्चात यह विधेयक आखिर हमारे समक्ष आ ही गया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि संसद्-सदस्य प्रलोभनों से ऊपर उठ कर देश की सेवा का साधन बनें और उनकी इमानदारी और जिम्मेदारी का स्तर ऊंचा हो। और वे देश के सच्चे प्रतिनिधियों के रूप में काम करें। परन्तु इस लक्ष्य को कार्यान्वित करने के लिए हमें बहुत सस्ती से कार्य नहीं करना चाहिए और न ही स्थिति को ढीला छोड़ना चाहिए। हमें बीच का रास्ता निकाल कर इन लोगों को राष्ट्र सेवा का अवसर देना चाहिए। और ऐसा करते हुए हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो उचित स्थान उन्हें दिये जा सकते हैं, उन से वह वंचित न रह जायें। उदाहरण के लिए आप सहकारी संस्थाओं को लीजिए। कल्याण-कारी राज्य के निर्माण के लिए सहकारिता बहुत आवश्यक है। यहां किसी पद पर होना किसी सदस्य के लिए अनर्हता का कारण नहीं बनाया जाना चाहिए। और भी ऐसे स्थानों से जिनका महत्व सलाह इत्यादि देने में है, उन्हें वंचित नहीं रखा जाना चाहिए।

होम गार्डों को भी सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि यह तो स्वयं-सेवकों की संस्था है और प्रत्येक व्यवसाय और सामप्रदाय के लोग इन में हैं। अतः इनको अनर्हता के अन्तर्गत न लाकर अच्छा ही किया गया है। इस पर भी मैं यह अनुभव करता हूं कि लाभ पदों की जो अनुसूची तैयार की गयी है वह संतोषजनक नहीं है। थोड़ा बहुत मुआवजा और सिर्फ़ खर्चा मिलने पर ही किसी पद को लाभ पद नहीं घोषित किया जाना चाहिए। इस प्रकार का भत्ता तो वैसे भी संसद सदस्यों को वेतन तथा भत्ता अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध होता ही है। आने वाले समय में बहुत से निगमों, संस्थाओं तथा सहकारी समितियों का निर्माण हो रहा है तो हमें बहुत सस्ती से काम नहीं लेना चाहिए। मंत्रणा देने तथा सलाह लेने वाले निकायों पर लेकर उन्हें राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, परन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें उससे अधिक मुआवजा न मिले जो कि उन्हें संसद् सदस्य होने के नाते प्राप्त होता है ।

मैं इस बात पर जोर दूंगा कि इस मामले में अब देर नहीं होनी चाहिए और शीघ्र ही इस विधेयक को पारित कर देना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो वर्ष और दो वर्ष के पश्चात केन्द्रीय सरकार के विभिन्न भागों और राज्य सरकारों की मंत्रणा और परामर्श करके लाभ-पदों की अनुसूची में हालात के अनुसार कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। संसद-सदस्यों को राष्ट्र के प्रतिनिधियों के रूप में काम करने का पूरा अवसर प्राप्त होना चाहिए, परन्तु साथ ही उन्हें अपनी निष्ठा, प्रतिष्ठा और मर्यादा को भी कायम रखना चाहिये ।

†श्री मूल चन्द दुबे (फर्रूखाबाद) : इंग्लैंड में लाभ-पद ग्रहण करने वालों को सदस्यता से अनर्ह करना उस समय से चल रहा है जब कि बादशाह और संसद् में संघर्ष आरम्भ हुआ करता था। बादशाह संसद्-सदस्यों को विशेष लाभ वाले पद अथवा संरक्षण दे कर अपना समर्थक बनाता था और जनता का सामूहिक हित इससे विपरीत था। इसी लिए वहां के हाउस आफ़ कामन्स इस मत की हो गयी कि संसद्-सदस्यों के लिए विशेष प्रकार के लाभ पदों पर आरूढ़ होना उन्हें सदस्यता से अनर्ह कर देगा। अब प्रश्न यह है कि क्या हमारे यहां कोई ऐसी स्थिति है । वहां तो

†मूल अंग्रेजी में

बादशाह को क्रांति के बिना हटाना असम्भव था । हमारे संविधान के अन्तर्गत सरकार को बदलना कठिन कार्य नहीं । अतः हमारे यहां यह अनर्हता का मामला उतनी कड़ी अवस्था में लागू नहीं होना चाहिए । यहां तो राष्ट्रपति को भी मतदान से हटाया जा सकता हैं, इसी कारण यहां सख्ती करने की इतनी आवश्यकता दिखाई नहीं देती। इसके साथ ही कहीं भी लाभ पद की कोई परिभाषा भी नहीं की गई । हमें इसकी परिभाषा करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसके बिना अनुसूचियों में भी कोई एकरूपता नहीं आ सकती। संविधान के अनुसार भी ऐसा किया जा सकता है और इंगलैंड के हाउस आफ़ कामन्स के समक्ष इस दिशा में जो कठिनाइयां थी, वे हमारे यहां नहीं हैं ।

हमें तो केवल इतना कह देना काफ़ी होगा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ अनर्हतायें हैं । इधर उधर की अनुसूचियां इत्यादि बनाने में मामला गड़ बड़ में ही रहेगा। १९५० से लेकर अब तक चौथी बार हमने इस प्रकार का अधिनियम बनाने का प्रयत्न किया है। यदि इस से भी काम न चला तो क्या होगा ? समय के साथ नई नई अनर्हतायें पैदा होती रहेंगी। अतः मेरा निवेदन है कि सबसे अच्छी बात यह है कि 'लाभ-पद' की परिभाषा कर दी जायें इस से अनुसूचियां इत्यादि बनाने का झगड़ा समाप्त हो जायेगा। ऐसा करके सरकार को नया विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये और इस विधेयक को वापिस ले लेना चाहिए। इस के बिना कठिनाइयों का कोई हल नहीं निकल सकेगा।

†**श्री लीलाधर कटकी** (नौगांव) : इस विधेयक की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हम ने अपने समक्ष कोई निदेशक सिद्धान्त नहीं रखा जिसकी वजह से बहुत से ऐसे पदों को अनर्हता से विमुक्ति मिल गई जिन्हें नहीं मिलनी चाहियें थी । माननीय सदस्यों ने इस संबंध में कहा भी है कि विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों को विमुक्त करने के कारण ही हमारे विद्यालयों में अनुशासन की कमी पाई जाती है । मेरा मत तो यह है कि इन अनर्हताओं की सूची में पूर्णकालिक कर्मचारी अध्यापक भी रखे जाने चाहियें। होम गार्डों के लिये भी यही व्यवस्था होनी चाहिये। हमारे राज्य में राजस्व एकत्रित करने वाले 'मौजेदारों' को भी सदस्यता से अनर्ह करना चाहिए। इन्हें भी विधान मंडलों का सदस्य नहीं बनना चाहिये। मेरा मत यह है कि इस दिशा में हमें यह निदेशक सिद्धान्त अपने समक्ष रखना चाहिए कि इन पदों के ग्रहण करने से सदस्यों की प्रतिष्ठा में कोई अन्तर न आये। भत्ता और मुआवजा इत्यादि की बात इतनी महत्व पूर्ण नहीं है।

यह भी ठीक है कि लाभ पदों की जो सूची तैयार की गयी है वह व्यापक नहीं है। विभिन्न राज्यों से हमें पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी और विभिन्न मंत्रालयों से भी कुछ सहयोग नहीं मिला है। संयुक्त समिति ने समय समय पर अनुसूची में परिवर्तन करने के लिए स्थायी समिति का सुझाव दिया है, परन्तु अनुसूची के पूर्ण हो जाने तक तो कठिनाइयां बनी ही रहेंगी । अतः हमें एक निश्चित सिद्धान्त को विधेयक में सम्मिलित कर के विभिन्न लाभपदों की परिभाषा कर देनी चाहिए। स्थायी समिति का जो सुझाव संयुक्त समिति ने दिया है उसे भी मूल विधेयक में सम्मिलित कर लेना चाहिए।

†**श्री ले० अचौ सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : विधेयक अपने लक्ष्य से बहुत दूर चला गया है। पहले इसका उद्देश्य संसद सदस्यों की स्वतंत्रता बनाये रखना था। लेकिन ज्ञात होता है कि अब कुछ लाभपदों को छूट देना ही इसका उद्देश्य रह गया है

छूट देते समय भी संविधान में अन्तर्निहित सिद्धान्त और भावना पर कुठाराघात किया गया है । साथ ही विधेयक न तो स्पष्ट है न पूर्ण। इस में बहुत सी त्रुटियां व जटिलतायें हैं जिन्हें दूर करना आवश्यक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ले० अवधी सिंह]

वस्तुतः लोकतंत्र का आदर्श यह होना चाहिये कि संसद् सदस्य वाध्य आर्थिक प्रभावों से मुक्त रहें। जिस से वे निष्पक्षता से अपना कार्य कर सकें।

हाउस आफ कामन्स की हर्वह समिति ने लाभपदों की जांच करने के लिये तीन सिद्धांत रखे हैं पहिला उस पद के कार्य संसद सदस्य के कार्यों के अनुरूप होने चाहिये, संसद सदस्य पर कार्यपालिका का वित्तीय प्रभाव नहीं होना चाहिये तीसरा कार्य पालिका पर संसद का प्रभाव न हो। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया है कि वे अपने अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रभावित करा सकते हैं या नहीं इस तथ्य पर भी विचार करना चाहिये।

उक्त दृष्टि से देखा जाये तो हम देखेंगे कि विधेयक में बहुत सी त्रुटियां हैं जिन समितियों की सूची दी गई है वह अपूर्ण है और उस से संदेह दूर नहीं होता है। कई सलाहकार समितियों को छूट प्रदान की गई है जब कि उनका कार्य कार्य-पालिका से सम्बन्धित है। खंड ३(१) का संशोधन होना अनिवार्य है। क्योंकि इस से संविहित समितियों के सम्बन्ध में व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। तथापि यह संदेह दूर नहीं होता है कि इस के अन्तर्गत भविष्य में निर्मित होने वाली संविहित समितियां शामिल हैं या नहीं।

समाज, रोजगार या किसी विशेष कार्य करने वालों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को, समिति ने छट प्रदान करने की सिफारिश की है। लेकिन अनुसूची के पहले भाग में कई ऐसी समितियों का नाम दर्ज है जो श्रमिकों इत्यादि का प्रतिनिधित्व करती हैं। इससे वे लोग उनका प्रतिनिधित्व करने से वंचित रह जायेंगे।

ग्रामीण राजस्व अधिकारी कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग होता है उसे संसद् में आने का अधिकार देना उचित नहीं है। उपकुलपतियों को भी छट देना ठीक नहीं है क्योंकि वे वैतनिक तथा पूरे समय कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं तथा उनका बहुत प्रभाव रहता है वे अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर सकते हैं।

होमगार्ड भी पुलिस अधिकारियों के समान शक्ति रखते हैं वे वैतनिक कर्मचारी होते हैं। अतः उन्हें भी छट देना अनुचित है। शेरिफों के सम्बन्ध में भी यही बात है वे अवैतनिक होते हुये भी पुलिस अधिकारियों की शक्ति रखते हैं और बहुत प्रभावशाली होते हैं अतः उन्हें छूट देना गलत है।

संघ राज्यों में बहुत सी ऐसी सलाहकारी समितियां होती हैं जिनका कार्य कार्यपालिका के प्रकार का होता है उन्हें भी छूट नहीं मिलनी चाहिये।

अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह माननीय सदस्यों के सुझावों पर गौर करे और संसद् की स्वतंत्रता और ऊंचा स्तर बनाने में सहयोग दे।

†श्री महन्ती (ढेंकानल) : यह विधेयक अखिल भारतीय महत्व का विधेयक है। इसका सम्बन्ध अस्थायी प्रशासनिक अथवा राजनैतिक मामलों से न हो कर संसदीय जीवन की विशुद्धता एवं पवित्रता से है। मैं इस विधेयक के बारे में निष्पक्ष भाव से ही यहां अपने विचार प्रस्तुत करूंगा तथा सरकार से भी यही आशा करता हूं कि वह भी उसी प्रकार से आचरण करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

संविधान में तो लाभपद की कहीं भी परिभाषा नहीं की गई है। किन्तु कुछ युक्तियुक्त प्रमाण सदैव इस पर लागू किये गये हैं। लाभपद का विचार मात्र ही ब्रिटिश है अतः संविधान का अनुच्छेद १०२ उसी विचार का प्रतिरूप है।

संयुक्त समिति में विचारोपरान्त यही वांछनीय समझा गया कि विधेयक के साथ एक पूर्ण अनुसूची लगा दी जाये किन्तु वह अनुसूची पूर्णतया असन्तोषजनक है।

यदि कोई इस विधेयक के सारे स्वरूप का ध्यान से निरीक्षण करे तो उसे विदित होगा कि सरकार पक्ष ने सामान्य बुद्धि से कोई कार्य नहीं किया और न ही वस्तुगत सिद्धान्त निर्धारित किये हैं। सारी कार्यवाही एक आंशिक ढंग से की गई है।

लाभपद का विचार ही ब्रिटिश है। जेम्स प्रथम के शासन में वहां की संसद् ने इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करना प्रारंभ किया था क्योंकि सम्राट के अधीन कार्य करने वाले लोग सदैव विवाद के समय सम्राट ही का समर्थन करते थे। उस समय से अब तक इसी प्रश्न पर चर्चा चली आ रही है। सतारहवीं शताब्दी में भी उस सम्बन्ध में कतिपय सिद्धान्त निश्चित किये गये थे।

उस समय इंग्लैंड में राजदूत भी संसद् के सदस्य बन सकते थे क्योंकि राजदूत का कार्य बहुत ही कम समय का होता था। किन्तु जब राजनयिक सिद्धान्तों का आधार बदल गया तो राजदूतों का कार्य भी बढ़ गया अतः उन्हें संसद् सदस्यता के योग्य नहीं समझा गया।

अब एक संसद् सदस्य का प्रथम कर्तव्य अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के प्रति होता है। यदि वह अपने मतदाताओं के प्रति भी अपने कर्तव्य का वहन नहीं कर सकते तो उनका क्या लाभ है। यदि अब एक संसद् सदस्य एक साथ ही किसी निगम का भी सदस्य है तो वह दोनों उत्तरदायित्वों को एक साथ कैसे निभायेगा।

श्रीमान्, हमारे देश में अब निगमों का प्रसार होगा। यदि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कल्पना कीजिये, हमारे देश में चार सौ निगम स्थापित हो जाते हैं तो कभी न कभी सारे ही सदस्य किसी न किसी निगम से सम्बद्ध हो जायेंगे। यदि यह कार्यवाही जारी रहे तो संसदीय वाद-विवाद का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। क्योंकि यदि कल इस्पात संयंत्र पर यहां चर्चा हो तो उस निगम से सम्बन्धित सदस्य, संसद् सदस्यों की सहायता मांगेगा और संसदीय जांच का प्रयोजन ही सिद्ध न होगा। अतः यह बात अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि उपखण्ड (ज) तथा (झ) इस विधेयक में समाये गये हैं।

इसके पश्चात् विधेयक का एक दूसरा पहलू है। कुछ लोग यह चाहते हैं कि संसद् सदस्यों को सार्वजनिक निकायों से सम्बद्ध किया जाये। मैं किसी समर्थक के प्रति तो कुछ नहीं कहना चाहता किन्तु इतनी प्रार्थना अवश्य करूंगा कि हमें यह देखना चाहिये कि पूर्व उदाहरण क्या हैं। इंग्लैंड में ऐसे निगम ह। वहां संसद् सदस्यों को अत्यन्त सीमित आधार पर ही निगमों से सम्बन्ध रखने का अधिकार प्राप्त है और वास्तव में वहां प्रत्येक बात के लिये स्पष्ट उपबन्ध हैं।

यदि माननीय मंत्री ऐसे निगमों में सदस्यों का नामांकन करें तो वह तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं तो इसे सभापति तथा अध्यक्ष का अपमान समझता हूं। संसद् के किसी भी सदस्य को किसी भी निगम में नहीं लगाया जाना चाहिये।

[श्री महतो]

अभी राजघाट समाधि (संशोधन) विधेयक पर चर्चा हुई थी। उसके लिये भी जो समिति बनेगी उसमें भी लोक सभा तथा राज्य सभा के सदस्य चुने जायेंगे। अतः यदि निगमों में सदस्यों को नामांकित ही करना है तो सभा द्वारा उनका विधिवत निर्वाचन होना चाहिये।

यह ठीक है कि इस प्रयोजन के लिये एक समिति बनाई जा रही है जो समय समय पर इन बातों का पुनरीक्षण करती रहेगी। किन्तु इससे भी काम न चलेगा। इससे सदस्य को संविधान के अनुच्छेद १०२ का भी तो सामना करना होगा। इन सब आधारों पर मैं तो यही कहूंगा कि यह विधेयक किसी भी सिद्धान्त को सामने रख कर नहीं बनाया गया।

खण्ड ३ (ज) में लिखा है कि लम्बरदार, मालगुजार इत्यादि जो "पुलिस कार्य" न करते हों सदस्यता के लिये अनर्ह नहीं समझे जायेंगे। मैं "पुलिस कार्य" का अर्थ ही नहीं समझा हूं। पुलिस कार्य की परिभाषा 'पुलिस निर्देशन ग्रन्थ' में भी नहीं की गई है। किन्तु यह बात अवश्य है कि जब पुलिस वाले गांव में जाते हैं तो यही लोग उनके ठहरने तथा भोजन इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। इन लोगों के विरुद्ध बहुत से न्यायालयों ने अपने निर्णयों में बातें कही हैं। यदि यह उपबन्ध रखा जाता है तो निर्वाचन कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते।

इसके पश्चात् क्षेत्रीय सेना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा दल सम्बन्धी उपबन्धों से भी मैं चिन्तित हूं। यह ठीक है कि आपात काल में ये लोग बहुत अच्छी सेवा करते हैं किन्तु यदि इन्हें संसद् में लाया जाये तो क्या वह वातावरण रह सकता है जिसे हम रखना चाहते हैं। क्षेत्रीय सेना का भी मैं अत्यधिक प्रशंसक हूं। यदि उन्हें संसद् सदस्यता के लिये अर्ह बनाया गया तो उन्हें चुनाव लड़ने के लिये राजनीति में आना होगा और राजनीति में आने से ही उनमें पारस्परिक विवाद पड़ने आरम्भ हो जायेंगे। अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि सभा इन सारी बातों को ध्यान से सोचे तथा हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिये कि जिससे कोई हानि हो।

इसी प्रकार जहां तक उपकुलपति के पद का प्रश्न है वह भी इसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिये क्योंकि उपकुलपति सभा के प्रति अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सकता। वह बहुत समय तक के लिये यहां से अनुपस्थित रहेगा। दूसरे इस कार्यवाही से विश्वविद्यालय भी राजनीति के अखाड़े बन जायेंगे।

यह मामला भारतीय संसद् की संस्थागत विशुद्धता से सम्बन्ध रखता है अतः हमें इस पर बड़े गाम्भीर्य से विचार करना चाहिये ताकि बाद में दुख सहन न करने पड़ें। हमें खुले दिल रख कर सारी व्यवस्था कर लेनी चाहिये।

श्री कोरटकर (हैदराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं संयुक्त प्रवर समिति को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस बिल को मौजूदा शक्ल देने में क़रीब-क़रीब एक वर्ष का समय लगाया और एक वर्ष तक इस पर ग़ौर करके यह वर्तमान विधेयक हमारे सामने पेश किया है जो कि ज़रूरी था। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं इस बात को भी अनुभव कर रहा हूं कि एक वर्ष का समय इस बिल के बनाने में लगाने की ज्वाएंट कमेटी को कोई खास ज़रूरत नहीं थी। मालम होता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से और साथ ही साथ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से जो कारपोरेशंस, सोसाइटियां और कमेटियां काम कर रही हैं, उनकी लिस्टें वक्त पर मुहैय्या नहीं की गई और उन लिस्टों के इन्तज़ार में ही ज्वाएंट कमेटी का सारा का सारा वक्त निकल गया और इस में उनको बहुत देर लग गई। यह देर ही न लगती यदि लिस्टें ही न बनाई जातीं।

संसद् सदस्यता अयोग्यता निवारक विधेयक पर जो यहां अब तक स्पीचेज़ हुई हैं उन सब में मेरी समझ में एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि बहुत सी डिसक्वालिफ़िकेशंस निवारित की गई हैं उन डिसक्वालिफ़िकेशंस को न निकालने की ही तरफ़ ज्यादा रुझान है और उसकी वजह यह है कि डिसक्वालिफ़िकेशंस निकालने के लिये दफ़ा १०२ में जो लिखा गया है उसका अपवाद तैयार किया जा रहा है। वाक़या तो यह है कि आफ़िस आफ़ प्राफ़िट अगर कहीं हो तो उसको डिसक्वालिफ़ाई करना चाहिये। यह एक उसूल है और अपवाद सिर्फ़ उसी वक्त हो सकता है जब कि कोई बहुत ज़रूरी चीज़ हो लेकिन उसके लिये न तो कोई उसूल तय किये गये और न ही किसी उसूल पर चला गया है। कुछ आफ़िसेज़ ऐसे क़रार दिये गये हैं जिनके कि होल्डर्स एलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं और वहां रहते हुये भी जो पार्लियामेंट के मेम्बर्स बन सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह एक उसूल रखना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि सदन का भी जनरल ट्रेंड कुछ ऐसा है कि इसके लिये एक अपवाद तैयार किया जा सकता है जब कि किसी आफ़िस में रहने के बावजूद भी उस व्यक्ति का पार्लियामेंट में रहना भी उतना ही ज़रूरी हो। मसलन मंत्री और उपमंत्री हैं और वे आफ़िस आफ़ प्राफ़िट होल्ड करते हैं लेकिन आफ़िस आफ़ प्राफ़िट में रहते हुये भी उनका पार्लियामेंट में रहना उतना ही ज़रूरी है जितना कि उनका अपने आफ़िस में रहना ज़रूरी है। मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ़ इसी एक उसूल के ऊपर अपनी लिस्ट को तैयार करें और अगर हम इस उसूल के ऊपर अपनी लिस्ट तैयार करेंगे तो दूसरे जितनी भी डिसक्वालिफ़िकेशंस निवारण योग्य बनाई गई हैं वह सब की सब बेकार हो जाती हैं। चुनांचे अभी तक जितनी भी स्पीचेज़ हुई हैं उनमें यह नज़र आया है कि किसी ने शेरिफ़ का विरोध किया, किसी ने वाइस चांसलर का विरोध किया, किसी ने पटेल और पटवारी का विरोध किया, तो किसी ने होमगार्डस का विरोध किया और इन सब से एक ही नतीजा निकलता है कि केवल ए० और बी० इन दोनों को छोड़ कर जितने भी सब सैक्शंस हैं, उनका विरोध किया जा रहा है। और नतीजा यह है कि एक ही उसूल पर कि पार्लियामेंट में उन आफ़िसर्स का रहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि अपने आफ़िसेज़ में उनका रहना ज़रूरी है, अगर ऐसी सूरत हो तो उस हालत में यह डिसक्वालिफ़िकेशन निकलेगी अन्यथा यह डिसक्वालिफ़िकेशन किसी तरीक़े से भी नहीं निकाली जा सकती है, इस तरह का अपवाद रखा जा सकता है। इसलिये इस उसूल पर चलते हुये मैं सरकार के सामने यह एक विचार रखना चाहता हूं कि सी० से लेकर जेड० तक जितने भी आफ़िस आफ़ प्राफ़िट क़रार दिये हैं, और गये यह कहा गया है कि उनके होल्डर्स पार्लियामेंट के लिये खड़े हो सकते हैं, वे सब के सब निकाल देने चाहियें।

इसके साथ साथ एक चीज़ और रखना चाहता हूं और वह यह है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने इस चीज़ को सामने रखा है कि जिस सोशलिस्टिक पैटर्न की समाज का हम निर्माण करने जा रहे हैं और जिस सोशलिस्टिक पैटर्न में कमेटीज़ और दूसरे बहुत से इंस्टीट्यूशंस का होना ज़रूरी है और उन इंस्टीट्यूशंस में लोकमत का रहना भी उतना ही ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में उनको डिसक्वालिफ़ाई नहीं किया जाना चाहिये। उन सूरतों के लिये मैं अपना यह विचार रखना चाहता हूं कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में लोकसभा अगर यह समझे कि वहां पर लोकमत का रहना बहुत ज़रूरी है तो जितनी ऐसी पब्लिक कारपोरेशंस हैं उनके विधान में एक क्लाज़ रहना चाहिये। और वह यह कि उनकी मेम्बरशिप में एक मेम्बर पार्लियामेंट का भी हो, एक या दो या तीन जैसे भी हों और इस क़ानून में इस तरीक़े का एक क्लाज़ आ सकता है कि जहां जहां उन कारपोरेशंस के कांस्टीट्यूशन के लिहाज़ से कहीं पार्लियामेंट के मेम्बर का रहना ज़रूरी है तो वह डिसक्वालिफ़िकेशन नहीं होगी क्योंकि वह भी उसी उसूल के अन्दर आ जायेगी कि उस मेम्बर का वहां रहना भी इतना ही ज़रूरी है जितना कि पार्लियामेंट में रहना ज़रूरी है। इस चीज़ को अगर कर दिया जाये तो उसका

नतीजा यह होगा कि जितना भी यह सब क्लाजेज़ का विरोध किया जा रहा है वह बाकी नहीं रहता है और जो दो बड़ी भारी लिस्टें तैयार की गई हैं कि कहां कहां डिसक्वालिफ़ाई हो सकता है और जिस लिस्ट के बारे में बार बार ऐतराज़ किया जा रहा है कि वह लिस्ट कम्पलीट नहीं है। क़ायम नहीं रहेगा। वे लिस्टें कम्पलीट हो भी नहीं सकतीं क्योंकि वह हर मिनट और हर वक्त बदलती रहेंगी, हर वक्त नई कमेटियां बनेंगी, नये कारपोरेशंस बनेंगे, हर वक़्त नये मेम्बर्स आयेंगे और इसकी ओर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं लेकिन मेरा तो कहना है कि जब यह आपका आई० क्लाज़ ही निकल जाता है तब उन लिस्टों के बनाने का कोई सवाल ही बाकी नहीं रहता है। जहां कहीं किसी मेम्बर के रहने की ज़रूरत है वहां उनके कांस्टीट्यूशन (संविधान) में जब यह चीज़ आ जाती है और यहां पर भी इस कानून में यह बात आ जाती है कि जिस किसी जगह पर कांस्टीट्यूशन में अपनी अपनी बाडीज़ के कांस्टीट्यूशन में यह बात आ जाती है कि पार्लियामेंट का मेम्बर रहना चाहिये तो लोकसभा और राज्यसभा जहां का भी मेम्बर हो वह अपनी तरफ़ से चुन कर उसको भेज सकते हैं और वह डिसक्वालिफ़ाई क़रार नहीं दिया जायेगा। यह ही दो चीज़ें रख कर मैं अपना भाषण खत्म करता हूं।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खान्देश) : श्रीमान् इस विधेयक का उद्देश्य संसद् सदस्यों की भ्रष्टता को दूर करना है तथा उन्हें स्वतंत्र रख कर अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्क बनाना है। यह तो बड़ा कठिन है कि एक पूर्ण विधि बनाई जाये क्योंकि मानव मानव ही है। किन्तु यदि केवल एक ही उद्देश्य सामने रखा जाये वही पर्याप्त है और वह है कि संसद् के सदस्य स्वतंत्रता से कार्य करें। वैसे तो यह उद्देश्य भी पूरा होना बड़ा कठिन है क्योंकि सरकार ही किसी संसद् सदस्य को उपमंत्री का पद प्रस्तुत करके अपनी ओर कर सकती है। मनुष्य लालच में फंस सकता है।

इस विधेयक से वैसे बहुत से वैद्य प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि "पद" और "लाभ" का क्या अभिप्राय है और "सरकार के अधीन लाभपद" का क्या अभिप्राय है।

मैं तो यहां पर अपना दूसरा दृष्टिकोण रखूंगा। जहां तक मेरा अपना विचार है मैं तो संसद् सदस्यों को बड़े निगमों से सम्बद्ध देखना चाहता हूं। वास्तव में इसका कारण यह है कि देश के निगम वित्तीय दृष्टि से इतने महान् हैं कि सरकार का आयव्यय उनके सामने कुछ भी प्रतीत नहीं होता। आप जीवन बीमा निगम तथा हिन्दुस्तान इस्पात निगम को ही लें। इनकी पूंजी अपार है। यदि ऐसे निकायों से संसद् सदस्यों को सम्बन्ध न रहा तो निस्संदेह यह समुदाय और सारा देश, देश के स्वतंत्र लोगों के अनुभव से वंचित रह जायेगा। जनता के प्रतिनिधियों को जनता के ऐसे निकायों से सम्बद्ध रखना अनुचित नहीं है। हमें यहां थोड़ी जोखिम में भी यदि पड़ना पड़े तो पड़ जाना चाहिये।

जहां तक सार्वजनिक कार्यों के लिये भेजे जाने वाले सदस्यों के भत्ते का सम्बन्ध है उसे दुगुना कर देना चाहिये। यदि एक सदस्य यहां से कलकत्ता भेजा जाता है तो वह अपने घर को थोड़ा बन्द कर जाता है इस कारण उसे भत्ता दुगुना मिलना चाहिये ताकि वह आराम से वहां किसी स्थान पर ठहर कर अपना काम कर सके।

छोटे छोटे सेवा कार्यों को भी लाभपदों की व्याप्ति के अन्तर्गत नहीं लाना चाहिये। उदाहरणार्थ बम्बई में कुछ लोगों ने बहुत ही थोड़े शुल्क पर सेवा भाव से चिकित्सा के लिये अपने आप को पेश किया था किन्तु उन्हें सभा की सदस्यता से अनर्ह कर दिया गया। यह नहीं होना चाहिये। कम से कम

---

†मूल अंग्रेजी में

ऐसे मामलों को तो छोड़ देना चाहिये। हमें कोई ऐसा उपबन्ध रखना चाहिये कि यदि साल भर में वित्तीय लाभ २००० रुपये से अधिक न हो तो सदस्यों को अनर्ह न बनाया जाये। इसी प्रकार से जो लोग अवैतनिक सेवा करते हों उन्हें भी विमुक्ति मिलनी चाहिये। जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति हैं—वे केवल १) रुपया वेतन लेते हैं किन्तु उनका पद अनर्हता देने वाला है अतः ऐसे मामलों में भी हमें थोड़ी बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिये।

ऐसे पदों को भी विमुक्त करना चाहिऐ जहां कोई सदस्य सभा द्वारा निर्वाचित करके भेजा गया हो।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुये]

यदि साधारण पद हों जिनके धारण करने से सामान्य व्यक्ति कोई व्यवहार न बदले तो उन्हें भी इस क्षेत्र की परिधि से बाहर ही रखना चाहिये।

यदि अनर्हता का कोई विषय किसी मुआवजा लेने के ६ मास पश्चात न्यायालय में लाया जाये तो ऐसे पदधारी का भी संरक्षण होना चाहिये।

यदि किसी सदस्य पर कोई कार्यवाही की ही जानी हो तो वह ६ मास की अवधि के भीतर हीं की जानी चाहिये। सदस्यता की कुल अवधि तक उसे डांवाडोल न रखा जाय। एक सीमा निर्धारित की जानी आवश्यक है। जहां तक क्षेत्रीय सेना इत्यादि का संबंध है इस बारे में मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं। वास्तव में क्षेत्रीय सेना के लोगों को ऐसे ही अनुशासन में रहना होता है। वह कभी भी स्वतंत्रता से विचार नहीं कर सकते। यहां उनकी आवश्यकता नहीं है। सेना में राजनीति के प्रभावेश से सारी सेना ही छिन्न विछिन्न हो जायेगी। सेना और राजनीति का कोई भी सम्बन्ध नहीं है।

इसी प्रकार लम्बरदारों इत्यादि को यहां लाने से क्या लाभ होगा। क्या इस प्रकार से संसदीय स्वतंत्रता बनी रह सकेगी। निगमों से तो संसद् सदस्यों का सम्बन्ध बना ही रहना चाहिये बम्बई विद्युत संस्थापन की तो यह परम्परा ही है कि वह वहां नगरपालिका के प्रधान को ही वहां का मुख्य सदस्य बनाते हैं क्योंकि उनको सारी स्थिति का ज्ञान होता है।

अतः यद्यपि यह विधेयक असंतोषजनक है तदपि मैं इस बात का कि सदस्य निगमों के साथ सम्बद्ध न रहें, विरोध करता हूं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : श्रीमान् संयुक्त समिति से वापस आने के बाद विधेयक जिस रूप में है, उसे देख कर मैं खुश नहीं हूं। संयुक्त समिति के परिश्रम से विधेयक को कोई लाभ नहीं हुआ है। इस विधेयक द्वारा हम लोक-सभा या संसद् की स्थिति को बहुत खराब कर रहे हैं उसके सम्मान व गौरव को बहुत धक्का पहुंचा रहे हैं। हम ऐसे लोगों को लोक-सभा का सदस्य बनने की अनुमति दे रहे हैं जो अन्य किन्हीं कार्यों में व्यस्त रहते हैं और यहां की सदस्यता उनके लिए एक गौड़ काम होगा। यह बात सभा के लिए शोभनीय नहीं है। उदाहरण के लिए एक विश्वविद्यालय का उपकुलपति सभा का सदस्य हो सकेगा। आप विचार करें कि उसके पास शिक्षा तथा विश्वविद्यालय की अन्य गति विधियां इतनी अधिक होती हैं कि उसे सभा में आने का अवसर ही नहीं मिल पायेगा यदा-कदा ही वह सभा में आ सकेगा। वैसे आप जानते हैं कि हमारी सभा में गणपूर्ति की समस्या बड़ी

†मूल अंग्रेजी में

गंभीर है ऐसी अवस्था में तो गणपूर्ति की समस्या और भी गंभीर हो जायेगी। बाद में हमें गणपूर्ति की संख्या भी कम करनी होगी। अतः विधेयक में ऐसे उपबन्धों का रखना लोक-सभा के गौरव को कम करना होगा।

हम प्रायः ब्रिटेन की परम्पराओं का अनुकरण करते हैं। ठीक है, अच्छी बातों की नकल करना बुरा नहीं पर, इस संबंध में हम बुरी बातों की नकल कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं हैं। वहां की और भारत की स्थिति में बहुत अन्तर है। हमारे यहां संघीय सरकार है। केन्द्र में तथा राज्य सरकारों में भी विधान मंडल हैं। इस विधेयक में लम्बरदारों को लोक सभा का सदस्य बनने के लिए उम्मेदवार बनने का अधिकार दिया गया है। मैं यह नहीं कहता कि लम्बरदार लोग बुरे लोग हैं पर बात यह है कि उन्हें राज्य सरकारों की विधान मंडल का उम्मीदवार बनने की अनुमति दे दी जाये पर लोक सभा की सदस्यता की उम्मीदवारी का नहीं। मेरा कहना यह है कि इस विधेयक में बहुत सी बातों को एक साथ रखा गया है। मेरा निवेदन है कि इन बातों को अलग अलग विधेयकों में रखा जाना चाहिये।

जहां तक लाभ पदों का प्रश्न है उसकी परिभाषा ठीक ठीक शब्दों में करना बहुत कठिन है आपने कुछ निगमों तथा निकायों को मुक्त कर दिया है। पर आप ने कोई स्पष्ट अन्तर नहीं रखा है। ऐसा लगता है जो जो निगम आप को याद आये उन्हें आपने मुक्त होने की सूची में रख लिया है जो आप को याद नहीं आये उन्हें आपने छोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि इस संबंध में कुछ ऐसी बात को ध्यान में रख कर यह संशोधन किया जा रहा है कि निर्वाचन याचिकायें कम आयें और इसी दृष्टिकोण से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का भी संशोधन किया गया था। पर ध्यान रहे कि इस संशोधन के बाद निर्वाचन याचिकायें और भी अधिक आयेंगी। इन बातों का निर्णय तो अन्त में न्यायपालिका ही करेगी। अतः लाभप्रद पदों की परिभाषा को इतना अस्पष्ट रख कर आप हम लोगों के लिए बहुत अधिक कठिनाई पैदा कर रहे हैं।

आप ध्यान रखें कि जो लोग बड़े बड़े पदों पर हैं वे अपने पदों के प्रभाव का प्रयोग अवश्य करेंगे। आप इन बातों पर अच्छी तरह से विचार करने के बाद ही ये उपबन्ध रखें। मेरा विचार है कि इस प्रकार लोक-सभा की सदस्यता का मार्ग खोल देना उचित नहीं है। लम्बरदारों, मालगुजारों, देशमुखों तथा पटेलों आदि के संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने उनकी ओर ध्यान दिया। पर चूंकि ये लोग प्रशासकीय व्यवस्था के अंग हैं अतः उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि संसद का सदस्य बनने की सुविधा उन्हीं लोगों को दिया जाये जो पूरे समय संसद् का काम कर सकें। आपने विश्व विद्यालयों के उप-कुलपतियों को छूट दी है। पर वे पूरे समय संसद् का कार्य नहीं कर सकते।

दूसरी बात यह है कि यह विधेयक अपने अन्तिम रूप में नहीं है। इस में लगातार परिवर्तन होते रहेंगे। धीरे धीरे सभी निगम इस में सम्मिलित कर लिये जायेंगे। अतः मेरा निवेदन है कि लाभ-प्रद पदों की परिभाषा ऐसे ढंग से दी जाये किसी के प्रति अन्याय न हो और न ही न्याय पालिका को बहुत अधिक व्याप्ति मिले।

अतः मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इन बातों पर ध्यान अवश्य दें।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इस बिल के पीछे दो खयाल हैं। कुछ दोस्त समझते हैं कि खतरा है कि कोई सरकार मेम्बर्स को खरीद कर के देश के हित में न चलते हुये भी कायम रह सकती है। कुछ दोस्तों का खयाल है कि दरअस्ल दूसर खतरा हो सकता है

कि देश के हालात बदल गये और हमारे देश का जो राज्य चलाने का तरीका है वह विलायत के मुताबिक नहीं। विलायत से हमने बहुत सारी चीजें लीं, ख्यालात लिये, लेकिन उनके साथ १०० फी सदी इत्तफाक नहीं किया। आज मेम्बर्स के लिये जो डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिये उस को अगर हम विलायत या दूसरे देशों के मुताबिक करेंगे तो हो सकता है कि हम देश के हित के खिलाफ़ जायें।

एक जमाना था, जब हिन्दुस्तान के अन्दर जो हुकूमत थी वह एक ला ऐंड आर्डर की हुकूमत थी, हकूमत अमन कायम रखने के लिये थी। आज पांच सात सालों के अन्दर जो तरक्की हुई है, और जितनी तरक्की हमें करनी है, उस के नुक्ते निगाह से मैं समझता हूं कि हमारी सरकार को ऐसे आदमियों की जरूरत है जो सरकार से सहयोग कर सकें। आज सरकार को खरीदने की आवश्यकता नहीं है, सरकार को सहयोग की आवश्यकता है। आज जिस ढंग से जिस तेजी से हम चल रहे हैं, जितनी हमारे सोचने और काम करने की शक्ति है, मैं समझता हूं कि उतनी तेज़ी से हम उड़ान नहीं कर रहे हैं और हो सकता है कि हमारी जो रफ्तार कम हो गई है उस से हमारे लिये खतरा हो जाये। करोड़ों रुपये लगा कर आज हम कारखाने कायम कर रहे हैं और उन कारखानों में जो हमारे देश के नुमाइन्दे हैं हम उनका ऐसोसिएशन इसलिये न रहने दें कि हमें यह डर है कि मेम्बर खरीद लिये जा सकेंगे। मुझे तो इस से उल्टा डर है कि आज जो देश में करोड़ों रुपये लगा कर कारखाने कायम किये गये हैं, कहीं उन का गलत इस्तेमाल न हो जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि हमें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा।

मेरा अन्दाजा है कि हमारे देश में पार्लियामेंट का ही नहीं, जितना भी हमारे देश का राजनैतिक ढांचा बना हुआ है वह ला ऐंड आर्डर को कायम रखने के लिये बना था। आप आडिट डिपार्टमेंट को ले लीजिये, फाइनेन्स या किसी भी महकमे को ले लीजिये। आज सड़कें बनती हैं, मकान बनते हैं, कारखाने बनते हैं, सरकार के खर्च पर बनते हैं, लेकिन जिसे टेकनिकल नालेज कहते हैं वह कहीं नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन में सही तौर पर कमी हो सकती है। इस देश के अन्दर सब से बड़ा काम आप जानते हैं कि हमारी स्टेट के अन्दर हो रहा है जिस का नाम भाखरा डैम है। वह १४० करोड़ से शुरू हुआ और अब १७० करोड़ पर पहुंच गया है। और भी काम हो रहे हैं, उन के जो एस्टिमेट्स हैं वह कई दफा दूने दूने हो गये हैं। लोहे के कारखाने लग रहे हैं। खयाल था कि शायद २५० करोड़ रु० से यह कारखाने बन जायेंगे, लेकिन ५०० करोड़ रु० से ऊपर अन्दाजा जा चुका है। जिस आदमी की मदद से सारे हाउस का फैसला करना है, वह अगर दूर से ही किसी चीज को देखता है तो हो सकता है कि कई दफा गलत अन्दाजा लग जाये और गलत फैसला हो जाय। इसीलिये मैं समझता हूं कि हो सकता है कि कुछ भाइयों को इस में खतरा मालूम पड़ता हो। लेकिन मुझे इस में कोई खतरा नजर नहीं आता। जिस तरह से पार्लियामेंटरी कमेटीज बनती हैं एलेक्शन कमेटीज़ बनती हैं, उस में कोई आदमी एलेक्शन से आ जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं। जिस के पास शक्ति होगी वह चुना जायेगा। लेकिन जो आज बड़े बड़े काम हो रहे हैं उन से सदस्यों को दूर रखना देश के हित की बात नहीं है। कई दोस्त हैं जिनका अन्दाजा है कि अगर एक कमेटी में कोई मेम्बर रख दिया जाय तो वह खरीदा जा सकता है। अगर ऐसी ही बात है, सदस्यों की कीमत कुछ रुपया ही है तो उस का इलाज मुश्किल ही होता है। उस का इलाज तो लोगों के ही पास है। यहां पर लोग आयेंगे और जब उन को वक्त मिलेगा वह इसका इलाज सोचेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं समझता हूं कि दूसरे देशों के अन्दर जहां तक सदस्यों का वास्ता था, उन के जिम्मे वह काम नहीं आया। अमरीका के अन्दर पार्लियामेंटरी डिमाक्रेसी है। इंग्लैंड में भी डिमाक्रेसी है, लेकिन सरकारी कारखानों को चलाने का काम उन्होंने उतनी तेजी से नहीं किया जितनी तेजी से हम कर रहे हैं। हम उन से बहुत साल पीछे रहे हैं। जितना काम उन्होंने इतने दिनों में किया है, हम उस को बहुत थोड़े सालों में आगे बढ़ कर करना चाहते हैं तो उस के लिये जैसा मैं कहता हूं उस की बहुत जरूरत है।

मुझे हंसी आती है कि कई लोगों के खयाल से छोटा सा नम्बरदार जो है वह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मैं जानता हूं कि सन् १९५२ से पहले कुछ नम्बरदार थे और वह इस सभा के काफी पुराने मेम्बर हैं। मैं नहीं जानता कि कभी भी उन के फैसले में इसलिये फर्क आया हो कि वह नम्बरदार हैं। हमारी स्टेट के अन्दर कई ऐसे नम्बरदार रहे हैं जो कि नम्बरदार रहते हुए भी कांग्रेस संगठन के साथ मिलते थे, उस के साथ हमदर्दी रखते थे, उस के टिकट पर इलेक्शन लड़े और नम्बरदार कायम रहे। मैं जानता हूं कि मेरा बाप नम्बरदार था और सन् १९२४ के एलेक्शन में कांग्रेस-टिकट पर चुनाव लड़ा और उस के बाद कई दफा जेल गया। और भी नम्बरदारों को मैं जानता हूं, किसी ने भी हमारा रास्ता नहीं रोका, रास्ते को ब्लाक नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आता कि इस हिन्दुस्तान में कैसे यह सम्भव हो सकता है। आज हमारे देश में बड़े बड़े अफसर हैं, जिन को दो दो हजार रुपये तन्ख्वाह मिलती है, चार चार हजार रुपये तन्ख्वाह मिलती है, उन के बारे में भी यह सोचना कि वह सरकार की पालिसी के साथ हैं, शायद बिल्कुल गलत होगा। अगर कभी देखा जाय तो पता चलेगा कि वह लोग जितना क्रिटिसिज्म सरकार का करते हैं, यह सही, यह गलत, उतना कोई नहीं करता। जब सरकारी नौकरों के बारे में ऐसा नहीं सोचा जाता तो यह मान लेना कि जिन का थोड़ा बहुत भी वास्ता ऐसे स्थानों से है वह गलती करेंगे, यह ठीक नहीं है। कम से कम पंजाब के लिये तो ऐसा हुआ, पंजाब का ही एक ऐसा इतिहास है, कि वहां पर एक नम्बरदार चीफ मिनिस्टर बना, मिनिस्टर भी बना, अगर उस ने इतिहास में कभी किसी अफसर के दबाव से अपने फैसले को नहीं बदला तो मुझे कोई शक नहीं मालूम होता कि आज की आजादी के दिनों में कोई हिन्दुस्तानी इस तरह से अपना फैसला बदलेगा।

इसी तरह से पटेल के वास्ते है, दूसरे के वास्ते है। सही बात यह है कि देहात की लीडरशिप जो है, सही तौर पर या गलत तौर पर जो इस जमात के आदमी हैं उन के हाथ में ही रही, या कम से कम ऐसे आदमियों के हाथ में रही जिन का ऐसे लोगों से वास्ता था। लेकिन मैं नहीं मानता कि देहात की लीडरशिप गलत आदमियों के हाथ में रही है। हिन्दुस्तान के देहातों का इस देश की आजादी में बहुत बड़ा हिस्सा है, और जब भी जरूरत पड़ी हिन्दुस्तान को, तो हिन्दुस्तान के देहात कभी भी पीछे नहीं रहे, और आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कि वह पीछे नहीं रहेंगे। जरूरत किस ढंग की आती है, यह कोई नहीं जानता, लेकिन जब जरूरत आयेगी तो यह जो छोटे छोटे खयालात हैं वह गलत साबित होंगे और देहात के जो आम आदमी हैं, जो स्टेट्स से चुन कर आते हैं, वे उस के रास्ते में रोड़े नहीं बन सकेंगे।

मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा हुआ कि जो पाबन्दी हटाने का फैसला किया गया है, यह बहुत सही फैसला है। जो नम्बरदार वगैरह हैं उन को एग्जेम्शन मिलना ही चाहिये था। पहले यह बहुत गलत बात थी कि उन को एग्जेम्शन नहीं था। कई दफा अजीब बात हुई कि पंजाब के अन्दर नम्बरदार ऐसा खतरनाक आदमी बन गया था कि वह मेम्बर बन सकता था। फर्ज कीजिये कि स्टेट के लिये एक पार्टी का उम्मेदवार नम्बरदार है और लोक-सभा की उम्मीदवारी के लिये भी उसी पार्टी का दूसरा आदमी खड़ा है तो उसे वह मरवा सकता था क्योंकि उसे खड़े होने की इजाजत थी लेकिन मदद करने की इजाजत नहीं थी। वह जो खराबियां थीं मैं समझता हूं कि यह अच्छा हुआ कि वे दूर हट गईं।

इसके अलावा जैसा मैंने पहले कहा मैं यह मानता हूं कि यह जितना उसमें पंजाब का जिक्र आता है कि जिसका मेम्बर होना भी क़ानून के खिलाफ़ आप बना रहे हैं कि वह पार्लियामेंट का

मेम्बर नहीं रह सकेगा अगर वह बोर्ड का मेम्बर हो। यह पाबन्दी मेरी समझ में कुछ मुनासिब नहीं जंचती है। अब पंजाब के अन्दर जिन्होंने कि आजादी की जद्दोजहद में हिस्सा लिया हो और देश-भक्ति में जेल गये हों, उन आदमियों का इन्तजाम करने के लिये और उनको फिर से बसाने के लिये जो बोर्ड बनाया जाय, उस बोर्ड का मेम्बर पार्लियामेंट में न जा सके कुछ मुनसिब नहीं जंचता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसका कि उनसे वास्ता रहा हो, इस तरह की पाबन्दी आयद करनी मेरी समझ में तो नहीं आती है। पता नहीं क्यों हमारे डिप्टी स्पीकर साहब जो कि पंजाब की हालत को जानते थे, मुझे मालूम नहीं क्या वजह थी क्या खास बात थी कि उस बोर्ड के मेम्बर के लिये पार्लियामेंट की मेम्बरी के लिये डिसक्वालिफ़ाई कर दिया गया। मैं तो समझता हूं कि उसका पार्लियामेंट में मेम्बर रहना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यही तो लोग होते हैं जिन्होंने कि उनके लिये सब कुछ काम किया है और वे ही अगर वहां न रह सके तो यह कुछ मुनासिब नहीं जंचता है। मेरे दोस्त और संसद् सदस्य ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर उस बोर्ड के मेम्बर काफी समय से होते चले आये हैं और मैं समझता हूं कि उस बोर्ड की मेम्बरी से उन्होंने आज तक कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया और वह कैसे उससे कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा लेंगे यह बात मेरी समझ में नहीं आती। शायद उन्होंने वहां से अपना इस्तीफा दे दिया या शायद देना होगा लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि हम इस किस्म की पाबन्दी क्यों लगाते हैं जब कि वह दरअसल में देश के हित की बात है अहित की बात नहीं है।

जहां तक सदस्य की इंटेग्रेटी का सवाल है और जो आप यह कहते हैं कि यह तमाम पार्टीज़ का सवाल है यह एक पार्टी का सवाल नहीं है, मैं समझता हूं कि यह बात सही है हिन्दुस्तान का सवाल है लेकिन जिस ढंग से वह सारा चलता है वह सोचने का ढंग और तरीक़ा पुराना है और यह उस देश का तरीक़ा होता था जहां की सरकार कारखाने वगैरह नहीं चलाती थी लेकिन हमारे देश में तो सौभाग्य से वैसी स्थिति नहीं है और आज करोड़ों रुपया हम पबलिक सैक्टर में लगा रहे हैं और अगर इस सदन के सदस्यों का उन कारखानों और प्राजेक्ट्स में सहयोग नहीं होगा तो सही तौर पर उनको उनके काम और प्रगति के बारे में पता और जानकारी नहीं हो सकेगी और पता अगर लगेगा भी तो तब लगेगा जब कि देश को काफ़ी नुक़सान हो चुका होगा। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि कई दफ़ा चूंकि हम सारे हालात से नावाकिफ़ रहेंगे, हम शायद कभी कभी कोई गलत फ़ैसले भी कर लें।

मैं मानता हूं और जैसा मैंने पहले कहा कि मैं तो बीच का रास्ता चाहता हूं। मिनिस्ट्रीज़ वाला नामिनेशन आप बेशक हटा दीजिये, वह सदन की तरफ़ से हो चाहे कमेटी के रूप में हो लेकिन इस बात का खयाल अवश्य रक्खा जाये कि जो भी बड़े अथवा छोटे कारखाने पबलिक सैक्टर में लाये जायें, उनके काम काज और प्रगति के ऊपर सरकार का और इस हाउस का पूरी तौर पर ध्यान रहे और उनके चलाने और उनके काम की हर वक्त देखभाल करते रहने के लिये और जांच पड़ताल करते रहने के लिये एक स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिये और गवर्नमेंट की उसके लिये कोई कमेटी हो तो मुझे उसमें भी कोई ऐतराज़ नहीं है। मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होगी अगर उस स्टैंडिंग कमेटी में किसी अपोज़ीशन पार्टी के मेम्बर को लगा दिया जाये या इधर के किसी मेम्बर को लगा दिया जाये और मुझे ऐसी कोई आशंका नहीं है कि वह खरीद लिया जायेगा। हमें अपने सदन के सदस्यों पर पूर्ण विश्वास है और मैं ऐसा नहीं समझता कि वे देशहित के विरुद्ध कोई भी क़दम उठायेंगे। मैं तो समझता हूं कि अगर इस हाउस का कोई मेम्बर वहां पर लगा होगा तो वह हमें बतला सकेगा कि फलां अंडरटेकिंग गलत रास्ते पर जा रही है या सही रास्ते पर जा रही है। मैं समझता हूं कि यह जो पाबन्दियां लगाई हैं अगर इनको ढीला कर दिया जाये तो इससे देश का नुक्सान नहीं होगा। इस सदन के मेम्बरों की ईमानदारी पर कोई खतरा नहीं होगा बल्कि सही मानों में देशहित के लिये यह

ज़रूरी है कि यह पाबन्दी आप ढीली करें और फ़र्ज़ कीजिये अगर उसमें कुछ आपत्ति हो तो उसके लिये कोई बीच का रास्ता निकाल लें ।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (हापुड़): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । किसी व्यक्ति को संसद् सदस्य बनने से केवल इस आधार पर रोकना कि वह अमुक पद पर है या अमुक पेशे में है, ठीक नहीं है । वातावरण ही व्यक्ति को बनाता है और बिगाड़ता है ।

आधुनिक लोकतंत्र में लोगों में राजनैतिक चेतना बहुत बढ़ती जा रही है । अब तो दल के आधार पर ही लोगों को निर्वाचनों में विजय मिलेगी । अतः हमें भयभीत नहीं होना चाहिये । अधिक स्वतंत्र उम्मीदवार विजयी हो कर नहीं आ पायेंगे । और दल ही व्यक्ति पर सारा नियंत्रण रखेगी । अतः उसके लिये उपयुक्त कार्य ही उससे लिया जायेगा । उस व्यक्ति के सामने अनुशासन सम्बन्धी बन्धन भी होंगे । अतः हमें घबराने की बात नहीं कि भ्रष्टाचार आदि बढ़ेगा और ईमानदारी से काम नहीं होगा ।

विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों के सम्बन्ध में कुछ बातें कही गयीं । मुझे उनके आने पर कोई आपत्ति नहीं है । हमें संसद में उन शिक्षा शास्त्रियों की आवश्यकता है । रूस में भी मास्को विश्व-विद्यालय का रेक्टर वहां की प्रेसीडियम का सदस्य है । अतः हमें भी शिक्षा शास्त्रियों को अवसर देना चाहिये ।

इसी प्रकार अन्य व्यवसाय के जानने वालों को भी उम्मेदवार बनने देने की छूट देना कुछ अनुचित न होगा । यदि उनमें किसी विशेष व्यवसाय या उद्योग का विशेष ज्ञान है तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिये । इस बात का भय करना व्यर्थ है कि ऐसे लोग भ्रष्टाचार करेंगे या ईमानदारी से काम नहीं करेंगे । हम जानते हैं कि दल के अनुशासन के अधीन रहने पर किसी को भी गड़बड़ी करने का अवसर नहीं मिलेगा ।

प्रत्येक देश में कुछ परम्परायें होती हैं । भारत में अपनी परम्परा है । संविधान सभा में तथा उसके बाद भी अनेक ऐसे अवसर आये हैं जब सदस्यों ने दल के निदेश के विरुद्ध अपनी स्वतंत्र राय प्रकट की है । भारत की यह परम्परा ब्रिटेन की परम्परा से भिन्न है । भारत में कांग्रेस का टिकट मिलना चुनाव में विजय पाने का एक मात्र साधन है । इतना होते हुये भी वह विचारों की स्वतंत्रता का लाभ उठाता है । । मुझे आशा है कि इन परिवर्तनों से सभा की मर्यादा तथा उसकी स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

†**श्री ना० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : यद्यपि संयुक्त समिति से वापस आने पर अब विधेयक में काफी सुधार हो गया है पर फिर भी हमें इससे संतोष नहीं है । अभी इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है । इस विधेयक में हम अनर्हताओं के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं । इस विधेयक में हम लाभप्रद पदों की कोई परिभाषा नहीं दे रहे हैं । केवल प्रतिकर भत्ते तथा संविहित व गैर-संविहित संस्थाओं का उल्लेख किया गया है । आवश्यक है कि हम लाभप्रद पदों की स्पष्ट परि-भाषा दें ताकि कम से कम संविधान का उल्लंघन तो न हो । अतः विधि मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह इन बातों पर अच्छी प्रकार से विचार कर लें ।

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं]

विधेयक के अन्त में मुक्त पदों व निकायों की जो सूची दी गई है वह भी बहुत संक्षिप्त है । अतः उन सभी निकायों के नामों की सूची अवश्य दी जानी चाहिये जिनकी सदस्यता लोक-सभा की सदस्यता के लिये अनर्हता होगी ।

लाभ पदों की परिभाषा देना कोई बहुत कठिन काम नहीं है । कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे पद पर है जिसके कारण उसे कोई भत्ता मिलता है या भत्ता नहीं मिलता पर कानूनी दृष्टि से उसके लिये भत्ते का उपबन्ध है उसे लाभपद कहा जाना चाहिये । लाभ मिलने का उपबन्ध होना ही पर्याप्त है चाहे वह लाभ उठाता हो या न उठाता हो । अतः मेरा निवेदन है कि हमें लाभ-पदों की परिभाषा अवश्य देनी चाहिए क्योंकि बिना परिभाषा दिये यह बताने से कोई लाभ नहीं कि अमुक अमुक पदों को अनर्हता से मुक्त कर दिया गया है । हमें यह भी जानना चाहिए कि लाभ-पद क्या होता है ।

मुझे आशा है कि भविष्य में सरकार जब कोई संशोधन प्रस्तुत करेगी तो वह विधेयक में लाभ-पद की परिभाषा भी अवश्य देगी । अन्यथा बाद में हमारे सामने अनेक कठिनाइयां आयेंगी । मैंने अनेक माननीय सदस्यों का भाषण ध्यानपूर्वक सुना है । वे सभी इस विधेयक से अप्रसन्न तथा असन्तुष्ट हैं । अतः मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री विधेयक पर अच्छी तरह विचार करें और उसे त्रुटि विहीन बनायें अन्यथा आगामी पीढ़ी यही कहेगी कि यह विधेयक असावधानी से पारित हुआ है और यह विधेयक अधूरा है ।

संयुक्त समिति ने विधेयक को जितना सुधारा है वह प्रशंसनीय है पर चूंकि उसमें लाभपद की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है अतः यह कार्य पूर्णरूपेण प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता । उपकुल-पतियों के सम्बन्ध में अनेक माननीय सदस्यों ने आपत्ति की है । मैं भी ,आपत्ति करता हूं । वह एक अच्छा वेतन पाता है अतः वह एक प्रकार से सरकारी नौकर या वेतन पान वाला पदाधिकारी हुआ । उसे मुक्त करना ठीक नहीं है । इसी प्रकार लम्बरदार, देशमुख तथा राजस्व पदाधिकारी भी सरकार से वेतन पाते हैं उन्हें भी मुक्त करना अच्छा नहीं होगा । 'अस्थायी' शब्द की भी समुचित परिभाषा नहीं दी गई है । अतः इसकी परिभाषा भी दी जानी चाहिये । स्थायी संसदीय समिति को भी मान्यता दी जानी चाहिये अन्यथा हम उसके सुझावों को लागू नहीं कर सकते ।

बाद में मुक्त पदों के नाम दिये हैं । मेरा सुझाव है कि परिभाषा देने पर इतनी बड़ी सूची देने की आवश्यकता नहीं होगी । परिभाषा के साथ-साथ यह भी उपबन्ध कर दिया जाये कि न्यायालय को अधिकार होगा कि वे इस बात का निर्णय दे कि अमुक पद लाभपद है या नहीं । मेरा अनुमान है कि अपने पक्ष में कुछ लोगों को बोलने का अवसर देने के लिये सरकार ऐसे लोगों को मुक्त करना चाहती है । पर इस सम्बन्ध में भी कोई निर्धारित नीति होनी चाहिये अन्यथा भ्रष्टाचार तथा पक्षपात का मार्ग खुल जायेगा ।

अतः मेरा निवेदन है कि ऐसे व्यक्तियों को संसद् सदस्य बनने की छूट देना समुचित नहीं होगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : मि० चेयरमैन, इस बिल के मुतल्लिक बहुत सारी बहस आज सुबह से होती रही है और शुक्रवार को भी होती रही । एक मेम्बर भी यह कहता हुआ सुनाई नहीं दिया कि वह इस बिल को मंजूर करता है और इस बिल से उसको कोई ऐतराज़ नहीं है । यहां तक कि हमारे डिप्टी स्पीकर साहब को भी डिप्टी मिनिस्टर साहब की तकरीर से तसल्ली नहीं हुई । गरज कि एक भी शख्स इस हाउस में नहीं है, जिसने इस बिल को माना हो ।

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : माननीय सदस्य हिन्दी के बजाय अंग्रेजी में भाषण दें ।

†**सभापति महोदय** : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह अंग्रेजी में भाषण दें ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : तो मैं बता रहा था कि इस विधेयक से किसी को संतोष नहीं है । माननीय मंत्री के भाषण से उपाध्यक्ष महोदय को भी संतोष नहीं हुआ । अनेक दृष्टिकोणों से विधेयक का विरोध किया गया है ।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी करें । अब संसद् कार्य मंत्री सभा में एक घोषणा करेंगे ।

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं वर्तमान सप्ताह में सरकारी कार्य के क्रम में एक परिवर्तन की सूचना देना चाहता हूं ।

शुक्रवार को मैंने अपने वक्तव्य में बताया था कि जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के सम्बन्ध में वित्त मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा २७ नवम्बर को होगी । अब उस दिन के बजाय २८ नवम्बर को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा । इसका अर्थ यह है कि चर्चा शनिवार, २९ नवम्बर, १९५८ को भी जारी रहेगी ।

[इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार, २५ नवम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई]

[सोमवार, २४ नवम्बर, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		५३१—५६
तारांकित प्रश्न संख्या		
१६६	आयुध कारखाना	५३१-३२
१६७	लाल किला, दिल्ली	५३३
१६८	परीक्षा पद्धति	५३४—३६
१६९	द्वितीय देशमुख समिति प्रतिवेदन	५३६—३८
१७०	दृश्य-श्रव्य शिक्षा के लिये राष्ट्रीय संस्था	५३८-३९
१७१	शैक्षणिक अनुदानें	५३९-४०
१७२	राष्ट्रीय सेवा	५४१—४३
१७३	वयस्क बहरों के प्रशिक्षण केन्द्र	५४३-४४
१७४	रूस से इस्पात का आयात	५४४—४६
१७५	कोचीन में नौसेना डौकयार्ड में दुर्घटना	५४६—४८
१७६	रूसी दल का भारत आगमन	५४८-४९
१७७	विशेष इस्पात का उत्पादन	५४९—५१
	रूरकेला उर्वरक संयंत्र	५५१—५३
१७९	ग्रामीण संस्थायें	५५३—५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—		५५६—६०८
तारांकित प्रश्न संख्या		
१८०	सरकारी कर्मचारियों के कुटुम्बों के लिये कल्याण केन्द्र	५५६
१८१	धातुकर्मिक कोयले का निर्यात	५५६-५७
१८२	दैवी विपत्ति निधि	५५७
१८३	इस्पात संयंत्रों के लिये विदेशी मुद्रा	५५७-५८
१८४	केन्द्रीय मद्य निषेध समिति	५५८
१८५	भारतीय प्रशासन सेवा (विशेष भर्ती)	५५८
१८६	आयकर	५५९

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१८७	राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता . . .	५५९
१८८	पंजाब की पी० सी० एस० पदाली	५५९-६०
१८९	क्षेत्रीय पुलिस बल .	५६०
१९०	बेकार पड़े मशीनी औजार	५६०-६१
१९१	कुलटी का कारखाना	५६१
१९२	विदेशी ऋणों की अदायगी	५६१-६२
१९३	तेल की खोज	५६२
१९४	तेल के भाव . .	५६२
१९५	जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बी० एड० कोर्स	५६३
१९६	औद्योगिक प्रबन्ध पूल . . .	५६३
१९७	हार्ड कोक की मांग पुनर्निर्धारित करने के लिये समिति	५६३-६४
१९८	जीवन बीमा निगम	५६४
१९९	कम्पटी में कोयले के निक्षेप .	५६४-६५
२००	उमरेर तहसील की खनिज सम्पत्ति	५६५
२०१	अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष	५६५
२०२	रद्दी अभ्रक का उपयोग	५६६
२०३	धुंएं रहित ईंधन का उत्पादन	५६६-६७
२०४	खेल-कूद सम्बन्धी शिक्षण शिविर	५६७
२०५	जापान को लौह अयस्क का संभरण	५६७-६८
२०६	दिल्ली नगर निगम के लिये भवन	५६८
२०७	मद्रास-आंध्र सीमा विवाद .	५६८
२१०	विदेश जाने वाले वैज्ञानिकों को वित्तीय सहायता	५६८-६९
२११	दिल्ली प्रशासन का पुनर्गठन . .	५६९
२१२	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लौह अयस्क का उत्पादन	५६९-७०

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२८२	इस्पात कारखानों के लिये विशेषज्ञ . .	५७०
२८३	सैनिकों के लिये मकान निर्माण .	५७०-७१
२८४	हिमाचल प्रदेश में दृश्य-श्रव्य शिक्षा . . .	५७१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

२८५ हिमाचल प्रदेश में स्कूलों के भवन . ५७१

२८६ हरिजन कल्याण . ५७१-७२

२८७ उड़ीसा में माध्यमिक शिक्षा ५७२

२८८ धन-कर ५७२-७३

२८९ सम्पदा-शुल्क . . . ५८३-७४

२९० भारतीय ओलिम्पिक एसोसिएशन . ५७४

२९१ बेसिक शिक्षा सम्बन्धी अनुदान ५७४

२९२ इस्पात संयंत्र . . ५७४

२९३ दिल्ली स्थित अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केन्द्र . ५७४-७५

२९४ विदेशी पूंजी विनियोक्ता ५७५

२९५ अल्प बचत योजना . . ५७५

२९६ उड़ीसा में भारत सेवक समाज शिविर . ५७६

२९७ उड़ीसा में समाज कल्याण संगठन ५७६

२९८ चिलका झील . ५७६-७७

२९९ विदेशी . ५७७

३०० कोकीन . . ५७८

३०१ दसुया में भूकम्पिक सर्वेक्षण ५७८-७९

३०२ पंजाब में सम्बद्ध कालेजों को अनुदान . . ५७९

३०३ पंजाब विश्वविद्यालय के प्राध्याक . . . ५७९

३०४ अखिल भारतीय स्मारक . . ५७९-८०

३०५ पंजाब में सोने के निक्षेप . . ५८०

३०६ अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद् . ५८०

३०७ उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पादन शुलक विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर ५८०-८१

३०८ हिन्दी का विश्वकोष . . ५८१

३०९ हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय छात्र सेना दल ५८१

३१० हिमाचल प्रदेश में राइफल शूटिंग क्लबें ५८१-८२

३११ तस्कर व्यापार . ५८२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
३१२	वन-कर	५८२-८३
३१३	अमरीकी राकेट पाथनियर	५८३-८४
३१४	वैज्ञानिक और प्रविधिक जानकारी का प्रसार	५८४
३१५	इंडोनेशियाई नौसेना के पोतों का भ्रमण	५८४
३१६	बुनियादी शिक्षा	५८४
३१७	शान्ति स्थापना के लिये विदेशों में भारतीय सेना	५८५
३१८	उड़ीसा की खानें	५८५
३१९	तस्कर व्यापार	५८५-५८६
३२०	उड़ीसा खनन निगम	५८६
३२१	ग्राम्य संस्थायें	५८६
३२२	महाकवि कालिदास का स्मारक	५८६-८७
३२३	उड़ीसा में शिक्षित बेरोजगार	५८७
३२४	उड़ीसा में प्राचीन स्मारकों का सर्वेक्षण	५८७
३२५	प्राइमरी शिक्षा	५८७-८८
३२६	विदेश यात्रायें	५८८
३२७	पालिटेक्निक्स	५८८-८९
३२८	हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड में पूंजी लगाना	५८९
३२९	विदेशी मुद्राओं में वेतनों का भुगतान	५८९
३३०	भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद	५९०
३३१	लोहे का कबाड़	५९०
३३२	केन्द्रीय असैनिक सेवायें (आचरण) नियम	५९०
३३३	लोक सहायक सेना के प्रशिक्षार्थियों को प्रतिकर	५९१
३३४	भारत में विदेशी विनियोजनों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये प्रोफेसर हैरी जे० राबिन्सन का मसविदा	५९१
३३५	पश्चिम जर्मनी में व्यवहारिक प्रशिक्षण	५९१-९२
३३६	ताशकंद का लेखक सम्मेलन	५९२
३३७	ज्वालामुखी में भूमि अर्जन	५९२
३३८	जनरल तिम्मय्या का दौरा	५९२-९३
३३९	अफगानिस्तान को विद्वानों का शिष्टमंडल	५९३
३४०	अन्दमान में आदिवासी	५९३-९४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमश) :		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३४१	राजस्थान में छआछूत	५९४
३४२	त्रिपुरा परिषद् नियम	५९४–९५
३४३	एम० बी० बी० कालेज, अगरतला	५९५
३४४	दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन संगीत संस्था	५९५
३४५	पंजाब में आपातकालीन सहायता संगठन	५९५
३४६	अस्पृश्यता	५९५–९६
३४७	अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये संरक्षण	५९६
३४८	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के अधीन काम करने वाली समितियां	५९७
३४९	अनुसुचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये भूमि	५९८
३५०	कलकत्ता विश्वविद्यालय	५९८
३५१	भारत इलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड	५९८
३५२	भारत इलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान एयर-क्राफ्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड में विदेशी	५९९
३५३	आय-कर अपीलें	५९९
३५४	आय-कर की वापसी	५९९–६००
३५५	इम्फाल में गवर्नमेंट डी० एम० कालेज	६००
३५६	पाकिस्तानी राष्ट्रजन	६००
३५७	भारतीय वायु सेना में सरकारी निधियों की व्यवस्था	६००–०१
३५८	प्रतिरक्षा गवेषणा तथा विकास मंत्रणा समिति	६०१–०२
३५९	लोहा और इस्पात के आयात में कमी	६०२
३६०	माध्यमिक शिक्षा	६०२
३६१	पुस्तकालयों के लिये मंत्रणा समिति	६०२
३६२	चीनी मिलों पर बकाया राशि	६०३
३६३	अफीम का निर्यात	६०३
३६४	विदेशी व्यक्तियों सम्बन्धी अधिनियम	६०३
३६५	इस्पात का आयात	६०३
३६६	पंजाब की शिक्षा संस्थायें	६०४
३६७	पंजाब की खेल संस्थायें	६०४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर क्रमश :		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३६८	दिल्ली में छात्राओं के लिये छात्रावास	६०५
३६९	पंजाब में अफीम का उत्पादन	६०५
३७०	विदेशी	६०५
३७१	जिला फीरोजपुर में श्रम तथा समाज सेवा कैम्प	६०५–०६
३७२	पंजाब में बहुप्रयोजनीय स्कूल	६०६
३७३	पंजाब में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां	६०६–०७
३७४	नासिक मे भूमि का अर्जन	६०७
३७५	जीवन बीमा निगम	६०७
३७६	पाकिस्तानी राष्ट्रजन	६०७
३७७	राज्यों में भू-तत्वीय तथा खनन सम्बन्धी सर्वेक्षण	६०७–०८
सभा पटल पर रखे गये पत्र		६०८–६१०

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :

(१) दिनांक २५ अक्तूबर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९८४ में प्रकाशित दर्गाह ख्वाजा साहिब उपविधियों की, एक प्रति ।

(२) संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अन्तर्गत दिल्ली सरकार के विनियोग लेखे, १९५६–५७ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५८ की एक प्रति ।

(३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १३ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २३६९/अत्या० पण्य/लोहा और इस्पात/ए० एम० (३) की एक प्रति ।

(४) संविधान के अनुच्छेद ३२३ (१) के अन्तर्गत १ अप्रैल, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक की अवधि के लिये संघ लोक सेवा आयोग के आठवें प्रतिवेदन की एक प्रति ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमश.)

(५) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक ८ नवम्बर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या १०५५ ।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १५ नवम्बर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या १०७८ ।

(६) प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत प्रतिलिप्याधिकार आदेश, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २१ अक्तुबर, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २२६९ की एक प्रति ।

(७) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३—ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ।

(एक) जी० एस० आर० संख्या १९५७, दिनांक १८ अक्तूबर, १९५८ ।

(दो) दिनांक १८ अक्तूबर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या में १९५८ जिसमें सीमा-शुल्क प्रत्याहृत (सिगार रेपर टोबैको) नियम, १९५८ दिये गये हैं ।

(तीन) जी० एस० आर० संख्या ९९९, दिनांक २५ अक्तूबर, १९५८ ।

(८) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३—ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रत्याहृत (आर्ट, सिल्क) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १८ अक्तूबर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ९५९ ।

(दो) दिनांक २५ अक्तूबर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ९८६, जिसमें सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रत्याहृत (स्टील प्रोडक्टस्) नियम, १९५८ दिये हुए हैं ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित—

इकतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया । . . ६१०

वर्ष १९५५–५६ और १९५६–५७ के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) के बारे में विवरण . . ६१०

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने वर्ष १९५५–५६ और १९५६–५७ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) बताने वाले विवरण उपस्थापित किये ।

विषय पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ६१०-१२

श्री राम कृष्ण ने अरब सागर में ब्रिटिश तेलवाही जहाज "स्टैनवाक जापान" में विस्फोट तथा जहाज के हताहत भारतीय कर्मचारियों की ओर परिवहन तथा संचार मंत्री का ध्यान दिलाया ।

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखा ।

विधेयक वापिस लिया गया—

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५८ . . ६१२

विधेयक पुरस्थापित—

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक, १९५८ . . . . . ६१३

अध्यादेश के बारे में वक्तव्य—सभा-पटल पर रखा गया . ६१३

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) ने हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण अध्यादेश, १९५८ द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाली परिस्थितियों के बारे में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखा ।

विधेयक विचाराधीन . . . . . ६१३—३६

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५७ पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप से विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

मंगलवार, २५ नवम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि—

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५७ पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर, अग्रेतर चर्चा तथा विधेयक को पारित करना ।